संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल
प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

विषय:– प्रदेश में **कियान्वित की जाने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिए आवास– 2022 शहरी)** के विस्तृत दिशानिर्देश ।

1. **भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिए आवास– 2022 शहरी):–**

दिनांक 25.06.2015 को भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य, मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन हाउसिंग फॉर ऑल– 2022 (शहरी) प्रारंभ की गई है। विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये है जो कि भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

2. **कमजोर आय वर्ग (EWS) एवं निम्न आय वर्ग (LIG) के लिये निम्न मानक निर्धारित है:–**

क्र.	श्रेणी	आय वार्षिक अधिकतम	भू– खण्ड का क्षेत्रफल	आवासीय इकाई का क्षेत्रफल
1	कमजोर आय वर्ग (EWS)	राशि रू. 3.00 लाख तक।	30 से 40 वर्गमीटर।	30 वर्गमीटर तक।
2	निम्न आय वर्ग (LIG)	राशि रू. 3.00 लाख से अधिक 6.00 लाख तक।	41 से 96 वर्गमीटर।	30 से अधिक 60 वर्गमीटर तक।

शहरी क्षेत्र में आवासीय इकाई अधिक से अधिक निर्मित हो सके जिससे मांग के अनुसार पूर्ति हो सके इसके लिये शासकीय संशाधनों के साथ निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाये।

2.1 **प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वित के विकल्प :–**

- "In-Situ" Slum Redevelopment with participation of private developers using land as a resource.
- Affordable Housing through Credit Linked Subsidy.
- Affordable Housing in Partnership with Public & Private sectors.
- Subsidy for Beneficiary-Led Individual House Construction.

210

2.2 उक्त चारों विकल्प में शहरी गरीबों को किसी एक ही विकल्प में लाभ दिया जा सकता है।

2.3 नगरीय निकाय द्वारा उपरोक्त में से सभी विकल्पों पर कार्ययोजना तैयार की जानी है।

2.4 योजना का वित्तीय प्रबंधन निम्नानुसार है:–

क्र.	योजना के विकल्प	केन्द्रांश	राज्यांश	पात्र हितग्राही
1	"In-Situ" Slum Redevelopment with participation of private developers using land as a resource.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)हितग्राहियों को राशि रु. 1.00 लाख प्रति आवासीय इकाई	केवल भूमि उपलब्ध कराई जाएगी ।	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)
2	Affordable Housing Through Credit Linked Subsidy.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)एवं निम्न आय वर्ग (LIG) के हितग्राहियों को 15 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए राशि रु. 6.00 लाख तक के गृह ऋण पर 6-5 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy)		आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG)
3	Affordable Housing in Partnership with Public & Private sectors.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)आय-वर्गके हितग्राहियों को राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई	केवल मलिन बस्तियों में निवासरत हितग्राहियों के लिए : राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)
4	Subsidy for Beneficiary-Led Individual House Construction.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)आय-वर्गके हितग्राहियों को राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई	राशि रु. 1.00 लाख प्रति आवासीय इकाई	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)

211

प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

पूर्व पृष्ठ से

3. **सबके लिए आवास उपलब्ध कराने की कार्ययोजनाः–**

भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य, मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश में शहरी क्षेत्र में आवासहीन (जिनके पास पक्के आवास नहीं हैं) को आगामी वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण कर हाउसिंग फॉर ऑफ प्लान ऑफ एक्शन (HFAPoA) तैयार किया जाना है।

हाउसिंग फॉर ऑफ प्लान ऑफ एक्शन (HFAPoA) तैयार करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्लान 2022 तक का हो.प्लान दो भाग में दिया जायेगा। प्रथम भाग में भारत सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकाय एवं हितग्राही के अंशदान से जो भी आवासीय इकाईयों का निर्माण वर्ष 2018 तक किया जा सके, उसका प्लान हो एवं वर्ष 2019–2022 तक का द्वितीय भाग मे दिया जायेगा। हाउसिंग फॉर ऑफ प्लान ऑफ एक्शन (HFAPoA) के साथ सभी हितग्राहियों की घटकवार सूची उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

3.1 **हितग्राहियों का सर्वेक्षणः–**

भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी, उपशमन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के प्रपत्र 4 के अनुसार हितग्राही का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना है एवं हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना के किस विकल्प में लाभ लेने है उसकी सहमति ली जावे।

3.2 **हितग्राही का सर्वेक्षण उपरांत चयनः–**

सर्वेक्षण उपरांत हितग्राहियों का चयन म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा जारी ज्ञाप क्रमांक एफ–10–31/18–2/2007 भोपाल दिनांक 01.11.2014 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा एवं प्रावधान अनुसार जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

3.3 **विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार किया जानाः–**

हितग्राहियों का सर्वेक्षण एवं हाउसिंग फॉर, ऑफ प्लान ऑफ एक्शन (HFAPoA) तैयार करने के पश्चात् चयनित हितग्राहियों के लिए सभी नगरीय निकायों घटकवार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करेंगे। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के साथ चयनित हितग्राहियों की सूची एवं एम.आई.एस. में प्रविष्ट कर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

पूर्व पृष्ठ से

3.4 आवासों का निर्माण:–

आवासों का निर्माण उच्च गुणवत्ता से किया जायेगा तथा संचालनालय से जारी कार्यवाही विवरण दिनांक 29.02.2016 एवं पत्र दिनांक 19.05.2017 के अनुसार किया जायेगा।

3.5 प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत ऐसी आवासीय परियोजना जिनमें आवासीय इकाई का विक्रय किये जाने का प्रावधान है, उन परियोजनओं का यथासमय पंजीयन भू–संपदा विनायमक प्रधाधिकरण (RERA) में कराया जाये।

4. **घटक 01:–जन निजी भागीदारी के माध्यम से"स्व स्थाने" स्लम पुर्नविकास ("In Situ" Slum Redevelopment) :–**

इस घटक के अंतर्गत ऐसी मलिन बस्तियां जो कि अव्यवस्थित रूप से ऐसी भूमि पर बसी है जिनका मूल्य अधिक है।अगर उन्हें व्यवस्थित पक्के आवासों के समूह में परिवर्तित किया जाये तो इन भूमियों के Optimum Utilization होने की संभावना निर्मित होगी। ऐसे व्यवस्थापन एवं पुर्ननिर्माण से ऐसी शासकीय भूमियाँ उपलब्ध हो सकती हैं जिनका वाणिज्यि उपयोग संभव हो सकेगा तथा परियोजना के लिये वित्तीय व्यवस्था भी की जा सकती है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शी प्रशासकीय प्रक्रियाओं के माध्यम से निजी निवेश द्वारा किया जायेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत इस घटक में राशि रू. 1.00 लाख प्रतिहितग्राही अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करायी जायेगी जिसका Optimum Utilizationकरते हुएLand Use as Resourceसिद्धांत का पालन किया जायेगा। हाउसिंग फॉर ऑफ प्लान ऑफ एक्शन (HFAPoA) तैयार करते समय सभी मलिन बस्तियों के Viability Analysisकी जानी होगी, जिससे भूमि का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, ज्ञात हो सकेगा।यदि भूमि इतनी उपयोगी है कि उसका उपयोग इस घटक के अंतर्गत किया जा सकता है तो परियोजना इस घटक के अंतर्गत तैयार की जानी होगी।

अगर उन्हें व्यवस्थित पक्के आवासों के समूह में परिवर्तित किया जाये तो इन भूमियों के Optimum Utilization होने की संभावना निर्मित होगी। ऐसे व्यवस्थापन एवं पुर्ननिर्माण से ऐसी शासकीय भूमियाँ उपलब्ध हो सकती हैं जिनका वाणिज्यिक उपयोग संभव हो सकेगा तथा परियोजना के लिये वित्तीय व्यवस्था भीकी जा सकती है। इन परियोजनाओं के

प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

पूर्व पृष्ठ से

क्रियान्वयन में पारदर्शी प्रशासकीय प्रक्रियाओं के माध्यम से निजी निवेश द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नगरीय निकायों को ऐसी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत किया जाता है। परियोजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है।

4.1.1 नगरीय निकाय अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली ऐसी झुग्गिबस्तियों का चयन HFAPoAमें करें जहाँ झुग्गियों के स्थान पर रहवासियों को व्यवस्थित पक्के आवास बना कर उपलब्ध कराने से कीमती शासकीय भूमि उपलब्ध होगी जिसके निस्तारण से परियोजना के लिये वित्तीय व्यवस्था हो सकेगी।

4.1.2 नगरीय निकाय बस्ती का चयन करते समय उसकी साध्यता (Feasibility)पर विचार करेगा। तदोपरान्त प्रस्तावित परियोजना का Techno-economic feasibility survey किया जायेगा जिसके लिए आवश्यक सलाहकार की नियुक्ति की जा सकेगी।

4.1.3 निकाय परियोजना के अंतर्गत निर्मित आवासों एवं अधोसंरचना की गुणवत्ता के लिए अपना पर्यवेक्षक अधिकारी नियुक्त करेगा। निजी निवेशक तथा निकाय में इस विषय पर कोई मतभेद होता है तो उसका निराकरण आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास के द्वारा किया जायेगा, जो कि दोनों पक्षों को बंधनकारी होगा।

4.2 निविदाएं मुख्यतः निम्न तीन मापदण्ड (Parameter)में से किसी एक पर बुलाई जायेंगी।

(a) मलिन बस्ती में निवासरत हितग्राहियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर हितग्राहियों के लिए निःशुल्क आवासीय इकाईयों की संख्या।

(b) मलिन बस्ती में निवासरत हितग्राहियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवासीय इकाईयों की संख्या निर्धारित करते हुए अतिशेष भूमि पर दी जाने वाली अधिशुल्क (Premium)की राशि।

पूर्व पृष्ठ से

(c) मलिन बस्ती में निवासरत हितग्राहियों के लिए निर्मित की जाने वाली आवासीय इकाईयों एवं अतिशेष भूमि के अतिरिक्त शेष होने वाली भूमि।

4.3 योजनांतर्गत भूमि का विवरणः–

4.3.1 "परियोजना भूमि" वह भूमि कहलाएगी जो कि मलिन बस्ती को अन्यत्र व्यवस्थापित करने पर रिक्त होगी। परियोजना भूमि के दो भाग होंगे एक भाग में मलिन बस्ती में निवासरत परिवारों के लिए आवासी इकाईयों का निर्माण किया जायेगा जिसे "मलिन बस्ती विस्थापन" भूमि कहा जायेगा एवं एक भाग Concessionaire को विकास करने के लिए दी जायेगी जिसे "अतिशेष भूमि" कहा जायेगा।

4.3.2 यदि भूमि स्वामित्व म.प्र. शासन, राजस्व विभाग एवं नगरीय निकाय के अतिरिक्त अन्य विभाग की होने की स्थिति में नगरीय निकाय द्वारा उस विभाग से सहमति एवं विभाग की शर्तों के साथ प्रस्ताव परियोजना प्रतिवेदन में प्रस्तुत करना होगा।

4.3.3 मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अथवा अन्य किसी विभाग की भूमि होने पर परियोजना भूमि नगरीय निकाय को स्थानांतरित की जायेगी। वह क्षेत्र जिस पर झुग्गीवासियों के आवास निर्मित होंगें तथा आनुषांगिक अधोसंचरना निर्मित की जायेगी। नगरीय निकाय के स्वामित्व पर रहेगी। अतिशेष भूमि नगरीय निकाय द्वारा Concessionaire को Freehold मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग से प्राप्त कर अंतरित की जायेगी। इस अंतरण में आने वाले आवश्यक stamp/registration शुल्क के भुगतान का उत्तरदायित्व Concessionaire का होगा।

4.3.4 उक्त स्थिति के अतिरिक्त यदि कोई भूमि शेष होती है तो वह नगरीय निकाय अपने आधिपत्य में होगी जिसका उपयोग अन्य परियोजनाओं के लिए किया जायेगा।

पूर्व पृष्ठ से

4.3.5 RFP Document के आधार पर निविदा आमंत्रित करने के पूर्व परियोजना में सम्मिलित भूमियों के यथोचित भू उपयोग उपांतरण की कार्यवाही नगरीय निकाय द्वारा कराया जायेगा।

4.4 परियोजना तैयार करने के लिए मुख्य तकनीकी प्रावधानः–

4.4.1 परियोजना तैयार करते समय मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनिमय, 1956 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत बने नियम मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाईज का रजिस्ट्रीकरण निबंधन तथा शर्तें) नियम, 1998 के प्रावधान का पालन करना अनिवार्य होगा।

4.4.2 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत बने मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 का पालन करना अनिवार्य होगा।

4.4.3 योजना का प्रस्ताव उस शहर के मास्टर प्लान के प्रावधान के अनुसार होना चाहिए।

4.4.4 भवन का आकार कॉरपेट एरिया आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए 30 वर्गमीटर एवं निम्न आय वर्ग के लिए 60 वर्गमीटर का होगा।

4.4.5 बहु मंजिला भवनों की स्थिति में भू–तल में न्यूनतम 2.4 मीटर ऊँचाई की स्टिल्ट पार्किंग रखी जायेगी।

4.4.6 अधिकतम FAR/FSIउस शहर के मास्टर प्लान के अनुसार रहेगा।

4.5 परियोजना प्रस्ताव निम्न बिन्दुओं पर तैयार किया जायेगा :–

4.5.1 परियोजना में वर्णित 4.4 में सभी तकनीकी प्रावधानों को सम्मिलित किया जायेगा।

4.5.2 मलिन बस्ती में निवासरत हितग्राही परिवारों की संख्या।

4.5.3 सभी बहुमंजिला परियोजनाओं में 2.4 मी.स्टिल्टपार्किंग का अनिवार्य रूप से प्रावधान किया जाये।

4.5.4 परियोजना अंतर्गत एक अथवा एक से अधिक मलिन बस्तियों का समूह के रूप में भी लिया जा सकता है।

4.5.5 उक्त परियोजना क्षेत्र का नक्शा (पटवारी नक्शा एवं ब्लू प्रिंट) दिया जाना होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के कियान्वयन के संबंध में।

पूर्व पृष्ठ से

4.5.6 परियोजना के क्रियान्वयन में सम्मिलित विभिन्न एजेन्सियों की भूमिका एवं उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण।,

4.5.7 मलिन बस्ती के व्यवस्थापन के लिए निर्मित किये जाने वाले ई.डब्ल्यू.एस. आवासों की संख्या तथा अधोसंरचना विकास के निर्माण करने के लिए आवश्यक कुल राशि।

4.5.8 उक्त आवासगृहों को निर्मित करने के लिए स्थल पर आवश्यक अधोसंरचना के लिए राशि की गणना। इस राशि में सड़क, विद्युत, बाउंड्रीवाल, जल प्रदाय, सीवेज सिस्टम, सुलभ सामुदायिक सुविधा आदि सम्मिलित की जायेगी।

4.5.9 Insitu विकास की स्थिति में अगर झुग्गिवासियों को अस्थायी आवास उपलब्ध कराना होगा तो ऐसे अस्थायी आवासों पर होने वाला व्यय। निर्माण अवधि के दौरान स्लम वासियों को ट्रांजिट आवास एवं आवश्यक अधोसंरचना विकास कराना परियोजना विकासकर्ताओं(Concessionaire)का उत्तरदायित्व होगा।

4.5.10 परियोजना लागत अर्थात् परियोजना पूर्ण करने में अनुमानित व्यय एवं सलाहकार की फीस भी सम्मिलित करते हुए कुल व्यय राशि।

4.5.11 झुग्गिवासियों के लिए आवास निर्मित करने के लिए आवश्यक भूखण्डों एवं Common open spaces का कुल क्षेत्रफल।

4.5.12 "अतिशेष भूमि" का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा तथा क्या विद्यमान मास्टर प्लॉन में उसका भू-रूपांतरण आवश्यक होगा। "अतिशेष भूमि" का कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार मूल्य।

4.5.13 परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए राज्य तथा केन्द्र शासन द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान राशि का विवरण।

4.5.14 परियोजना क्रियान्वयन के लिये मलिन बस्ती में निवासरत हितग्राहियों का कम से कम 70 प्रतिशत सहमति प्राप्त की जाये।

4.5.15 हितग्राहियों से परियोजना लागत का न्यूनतम् अंश कितना लिया जायेगा यह नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित् किया जायेगा।

4.5.16 परियोजना अंतर्गत चयनित भूमि का वर्तमान एवं प्रस्तावित एफएआर/एफएसआई।

217

प्रधानमंत्री आवास योजना के कियान्वयन के संबंध में।

पूर्व पृष्ठ से

4.5.17 परियोजना प्रतिवेदन में आवासों की संख्या अधोसंरचना का विस्तृत विवरण उनके Specification का विस्तृत विवरण देना होगा।

4.5.18 अन्य बिन्दु यदि कोई आवश्यक हो तो।

4.6 **परियोजनाओं की स्वीकृतिः—**

4.6.1 **परियोजना प्रस्ताव तैयार कर नगरीय निकाय, निकाय की सक्षम स्वीकृति उपरांत प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नामांकित नोडल एजेंसी, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रस्तुत करेगा।**

4.6.2 नगरीय निकाय द्वारा तैयार की गयी परियोजना का प्रथमतः परीक्षण प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति(SLAC)के द्वारा किया जायेगा।

4.6.3 राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC)के अनुमोदन उपरांत प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (SLSMC)के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी, जो आवश्यक विचार कर यथोचित स्वीकृति प्रदान करेगी।

4.6.4 राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (SLSMC) के स्वीकृति के उपरांत भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य, मंत्रालय की केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

4.6.5 भारत सरकार की स्वीकृति के उपरांत नगरीय निकायों द्वारा पारदर्शी निविदा प्रक्रिया का पालन करते हुए योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

4.6.6 निविदा प्रक्रिया Concessionaire को नियुक्त करने हेतु EPC (Engineering Procurement Contract) माध्यम से की जायेगी।

4.6.7 परियोजना क्रियान्वित करने के लिए तैयार RFP Documentकाअनुमोदन राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) के द्वारा किया जायेगा।

4.6.8 **भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान एवं हितग्राही अंश से प्राप्त होने वाली राशिनगरीय निकाय के कोष में जमा की जायेगी। जिसका उपयोग निविदा उपरांत उत्पन्न होने वाली स्थिति अनुसार इसी परियोजना में अथवा अन्य परियोजना में राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (SLSMC) के अनुमोदन उपरांत किया जायगा।**

पूर्व पृष्ठ से

4.7 निर्मित परसंपत्तियों के आवंटन/विक्रय के सम्बंध में:–

4.7.1 उक्त परियोजना में निर्मित सभी संपत्तियों पर मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम, 1994 के अनुसार किया जायेगा।

4.7.2 "मलिन बस्ती विस्थापन" भूमि में निर्मित की गई परिसंपत्तियों का आधिपत्य नगरीय निकाय को Concessionaire द्वारा किया जायेंगा। नगरीय निकाय हितग्राही अंश प्राप्त कर निर्मित इकाईयों को हितग्राहियों को आवंटित/आधिपत्य देगा। इस पर लगने वाले देय आवश्यक stamp/registration शुल्क के भुगतान का उत्तरदायित्व हितग्राहियों का होगा।

4.7.3 अतिशेष भूमि पर निर्मित की गई परिसंपत्ति का पंजीयन Concessionaire एवं नगरीय निकायों के द्वारा संयुक्त रूप से Concessionaire द्वारा चयनितकेताओं को किया जायगा। अंतरण में देय आवश्यक stamp/registration शुल्क के भुगतान का उत्तरदायित्व क्रेता का होगा।

4.7.4 उपरोक्त के अतिरिक्त अगर कोई भूमि शेष जाती है तो उस भूमि का उपयोग नगरीय निकाय द्वारा अन्य मलिन बस्ती विकास कार्यों के लिये किया जा सकेगा।

4.7.5 नगरीय निकाय निजी निवेश को मलिन बस्तियों के लिए निर्मित की जा रहीं आवासीय इकाईयों के समानुपात में अतिशेष भूमि का अंतरण करेगा, जिस पर निजी निवेशक उसी समानुपात में निर्माण करेगा।

4.7.6 निजी निवेशक के द्वारा नगरी निकाय को जितनी मलिन बस्तियों के लिए निर्मित इकाईयों का हस्तानांतरण करेगा उसी समानुपात में निजी निवेशक को नगरीय निकाय सम्पत्तियों के विक्रय का अनुमति देगा।

4.7.7 अनुपात की गणना फ्लोर एरिया से की जायेगी।

4.8 निर्मित संपत्तियों का संचालन एवं संधारण :–

4.8.1 आवास एवं अधोसंरचना पूर्ण होने पर उसका आधिपत्य संबंधित नगरीय निकाय को सौंपा जाएगा। परियोजना से निर्मित समस्त परिसम्पत्ति के संचालन, संधारण की दो वर्षों की जिम्मेदारी निजी निवेशक की होगी, दो वर्ष की प्रारंभिक तिथि की गणना अंतिम सम्पत्ति के अंतरण से की जायेगी। पूर्व के समय को निर्माण समय गिना जायेगा जिसके संचालन संधारण की जिम्मेदारी निजी निवेश की ही होगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

पूर्व पृष्ठ से

5. घटक 02–क्रैडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास(Affordable Housing through Credit Linked Subsidy):–

5.1 भारत सरकार द्वारा इस योजनांतर्गत ऐसे शहरी गरीबों को बैंक के माध्यम से ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाना है। यह योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू है। इस योजनांतर्गत हितग्राही को पक्का आवास निर्माण, विस्तार एवं क्रय करने के लिए, लिए गये ऋण मेंनिम्नानुसार ब्याज अनुदान प्राप्त हो सकेगा :–

Particulars	EWS	LIG	MIG I	MIG II
Household Income (Rs. Per Annum)	3,00,000	6,00,000	12,00,000	18,00,000
Interest Subsidy (% p.a.)	6.50%		4.00%	3.00%
Maximum loan tenure (in years)	20		20	20
Eligible Housing Loan Amount for Interest Subsidy (Rs.)	6,00,000		9,00,000	12,00,000
Dwelling Unit Carpet Area	30 Sq. m.	60 Sq. m.	90 Sq. m.	110 Sq. m.
Maximum Subsidy Amount	2,67,280		2,35,068	2,30,156
Processing Fees Per loan Case	3000		2000	
Period of Implementation	From 17.05.2017 to 31.03.2022		1 year starting from 01.01.2017	

5.2 भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य, मंत्रालय द्वारा ब्याज अनुदान उपलब्ध कराने के लिए दो एजेंसी–हडको एवं नेशलन हाउसिंग बैंक, को नियुक्त किया गया है।

5.3 विभिन्न वित्तीय संस्थाओं (राष्ट्रीयकृत बैंक एवं अन्य पैरास्टेटल एजेंसी) के द्वारा हडको एवं नेशनल हाउसिंग बैंक से अनुबंध में निष्पादित किये गये है, जिसकी सूची "परिशिष्ट–2" अनुसार है।

5.4 निम्न एवं माध्यम आय वर्ग के हितग्राहियों को मात्र इसी विकल्प अंतर्गत अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है।

5.5 बैंकों द्वारा हितग्राहियों को लोन देते ही बैंक से मांग पर नोडल संस्था द्वारा अनुदान अग्रिम के रूप में प्राप्त हो जायेगा।

पूर्व पृष्ठ से

5.6 हितग्राही सीधे बैंक से संपर्क कर ऋण प्राप्त कर सकता है अथवा नगरीय निकाय के माध्यम से भी बैंक को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

5.7 ऋण प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन पत्र निर्धारित नहीं किया गया है बैंकों में जो प्रचलित आवेदन पत्र है उसी में ही हितग्राही को आवेदन करना है।

5.8 नगरीय निकायोंएवं ऐनजीओ के अधिकृत स्टाफ को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रति स्वीकृत आवेदन हेतु राशि रू. 250/– प्रोत्साहन राशि पृथक से उपलब्ध करायी जा रही है।

5.9 नगरीय निकायों से अपेक्षा है कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लिए निर्धारित मापदण्ड अनुसार कई विकल्पों के मानचित्र तैयार कर प्रदर्शित कर दे जिसमें कोई हितग्राही उन मानचित्रों से किसी एक मानचित्र को स्वीकार करते हुए बैंकों में आवेदन करें, ताकि भवन निर्माण अनुज्ञा आदि से वह बच सके।

5.10 हितग्राही द्वारा यदि उक्त मानचित्र के अतिरिक्त अन्य किसी मानचित्र को अपनाया जाता है तो उसकी अनुज्ञा नगरीय निकाय से प्राप्त करनी होगी।

5.11 प्रदेश की नगरीय निकायों द्वारा हितग्राहियों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है कुछ हितग्राहियों द्वारा इस विकल्प को चुना जा रहा है नगरीय निकाय इन हितग्राहियों को उक्त ऋण प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करें।

5.12 नगरीय निकाय द्वारा यह सत्यापित किया जायेगा कि हितग्राही द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के इस विकल्प के अतिरिक्त अन्य किसी योजना में लाभ नहीं लिया जा रहा है।

5.13 यदि किसी हितग्राही द्वारा ऋण अवधि में अथवा ऋण अवधि के बाद विक्रय किया जाता है तो उसे दोबार प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार की अन्य आवासीययोजना से लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5.14 आर्थिक एवं जाति आधारित की गई जनगणना के आंकड़े प्राप्त होने की स्थिति में जोड़ा जाये।

5.15 इस योजनांतर्गत भूमि/प्रकोष्ठ का स्वामित्व हितग्राही के पक्ष में होना अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

पूर्व पृष्ठ से

6. घटक 03– भागीदारी में किफायती आवास (**Affordable Housing in Partnership with Public & Private sectors**):–इस घटक के अंतर्गत दो तरह से परियोजनाऐं क्रियान्वित की जानी है।

6.1 ग्रीन फील्ड प्रोजेक्टः–इस घटक के अंतर्गत खुले क्षेत्र पर शहरी गरीबों के लिए आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जाना है।

6.1.1 इस घटक के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए राशि रू. 1.50 लाख उपलब्ध कराया जायेगा।

6.1.2 कमजोर आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के लिए ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

6.1.3 नगरीय निकाय भी इस योजनांतर्गत कार्य कर सकते है।

6.1.4 यह परियोजना जन निजी भागीदारी से भी करायी जा सकती है। जन निजीभागीदारी से परियोजना क्रियान्वयन करने के लिए कण्डिका 4 के अनुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

6.1.5 शासकीय एजेंसी अथवा निजी कॉलोनाईजर द्वारा यदि ऐसी परियोजना का क्रियान्वयन किया जाता है कि उस परियोजना में कुल आवासों की संख्या न्यूनतम 35 प्रतिशत आवास आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए होनी चाहिए। इन 35 प्रतिशत आवासों में भारत सरकार से राशि रू. 1.50 लाख अनुदान प्राप्त किया जा सकता है।

6.1.6 एक शहर में एक से अधिक स्थानों पर यदि योजना क्रियान्वित की जाती है तो उनको सम्मिलित करते हुए एक परियोजना भी बनायी जा सकती हैं।

6.2 ऐसी मलिन बस्तियां जो कि घटक 01 के अंतर्गत विकसित नहीं की जा सकती हैं अथवा ऐसी भूमि पर बसी है जिन्हें विस्थापित किया जाना आवश्यक है।

6.2.1.1 इस घटक में भारत सरकार द्वारा राशि रू. 1.50 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा मलीन बस्ती में निवासरत हितग्राहियों हेतु राशि रू. 1.50 लाख अनुदान के साथ प्रस्तावित भूमि राशि रू. 1.00 में उपलब्ध करायी जा रहीं है। हितग्राही अंश अधिकतम राशि रू. 2.00 लाख तक ही लिया जाना है।

6.2.1.2 हितग्राही अपने अंश की पूर्ति स्वयं के स्त्रोत से कर सकता है अथवा बैंक से ऋण प्राप्त करके भी कर सकता है।

37

पूर्व पृष्ठ से

6.2.1.3 हितग्राहियों को आसान किश्तों पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने हेतु संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा पत्र क्रमांक यां.प्र./07/2017/8714 दिनांक 4 जुलाई 2017 को सामान्य दिशानिर्देश एवं त्रिपक्षीय अनुबंध जारी किया गया है जो कि नगरीय निकाय एवं बैंक/वित्तीय संस्थाओं को मान्य होगा।

6.2.2 अधोसंरचना विकास के सभी कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाना है।

6.2.3 आवासीय इकाईयों के निर्माण में राशि रू. 5.00 लाख से अधिक जो राशि व्यय होगी वह उस परियोजना की भूमि का वाणिज्यिक, आवासीय में एल. आई.जी. एवं एम.आई.जी. का निर्माण कर कॉस सब्सिडी से पूर्ति की जायेगी।

6.2.4 अधोसंरचना विकास के कार्यो के लिए नगरीय निकाय, निकाय में संचालित अन्य योजना जैसे– अमृत योजना, मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना, मुख्यमंत्री पेयजल योजना अन्य योजनाएं अथवा समय समय पर उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान के साथ आश्रय निधि का भी उपयोग कर सकते है।

6.2.5 नगरीय निकाय मलिन बस्तियों में निवास करने वाले हितग्राहियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मकान के साथ निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग एवं वाणिज्यक उपयोग के लिए भी परियोजना बनाई जाये और इससे प्राप्त राशि का उपयोग कॉस सब्सिडी में किया जाये।

6.2.6 निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्गके लिए गृह ऋण पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान का प्रावधान है:–

Particulars	EWS	LIG	MIG I	MIG II
Household Income (Rs. Per Annum)	3,00,000	6,00,000	12,00,000	18,00,000
Interest Subsidy (% p.a.)	6.50%		4.00%	3.00%
Maximum loan tenure (in years)	20		20	20
Eligible Housing Loan Amount for Interest Subsidy (Rs.)	6,00,000		9,00,000	12,00,000
Dwelling Unit Carpet Area	30 Sq. m.	60 Sq. m.	90 Sq. m.	110 Sq. m.

पूर्व पृष्ठ से

6.2.7 निम्नआय वर्ग मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के आवासीय इकाईयों का विक्रय कर इससे प्राप्त होने वाली आय से अधोसंरचना विकास एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों को कॉस सब्सिडी के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाये।

6.2.8 वाणिज्यिक संपत्तियों का व्ययन निविदा करते हुए अधिक से अधिक आय प्राप्त की जाय जिसका उपयोग अधोसंरचना विकास एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया जाय।

6.2.9 आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों का चयन एवं आवंटन की प्रक्रिया कण्डिका 3.2 अनुसार किया जायेगा।

6.2.10 इस योजनांतर्गत निर्मित सभी तरह की आवासीय इकाईयां एवं वाणिज्यक इकाईयां मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम, 2016 के अंतर्गत किये जाये।

6.2.12 निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के लिए आवासों का आवंटन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:–

6.2.12.1 आवासीय इकाईयों का आवंटन फ्री होल्ड पर पंजीयन के माध्यम से किया जायेगा।

6.2.12.2 आवासीय इकाईयों के लिए नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेंसी एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेगें निर्धारित आवेदन "परिशिष्ट– 3" के अनुसार है।

6.2.12.3 आवेदन पत्र एक निश्चित अवधि तक प्राप्त किये जायेंगे।

6.2.12.4 आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए विज्ञापन जारी किया जायेगा, ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों के जानकारी में आ सके।

6.2.12.5 निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों को आवासीय इकाईयों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

6.2.12.6 यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता हो तो उस दशा में उसे इस बारे में निकाय को लिखित में सूचना उपलब्ध करानी होगा।

पूर्व पृष्ठ से

6.2.12.7 निःशक्तजनों को भूतल पर आवासीय इकाईयों का आवंटन किया जायेगा।

6.2.12.8 आवेदन के साथ कम से कम निर्धारित लागत मूल्य का 10 प्रतिशत राशि जमा करायी जायेगी।

6.2.12.9 शेष राशि निम्नानुसार जमा करायी जायेगीः–

क्र.	परियोजना की स्थिति	जमा की जाने वाली राशि
1	आवंटन होने पर एक माह के अंदर	25 प्रतिशत
2	25 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर	और 25 प्रतिशत
3	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर	और 25 प्रतिशत
4	75 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर	शेष 15 प्रतिशत

6.2.12.10 आवंटित हितग्राहियों को निर्धारित प्रारूप अनुसार आवासीय इकाई का पंजीयन सम्पूर्ण राशी प्राप्त होने पर एवं 100% निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कराया जायेगा।

6.2.12.11 आवेदक को आवेदन करते समय पट्टे पर दिए जाने वाले सम्पत्ति का आकार एवं क्षैत्रफल अनुमानित होगा। बाद में वास्तविक सीमांकन प्राप्त होने पर सूचना पट्टेदार को पृथक से दी जायेगी। वास्तविक सीमांकन पर यदि आवेदन के समय बताए गए अनुमानित क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन होता है तो आवंटी को परिवर्तन के अनुसार प्रीमियम विकास दर वार्षिक भू–भाटक तथा कोने की सम्पत्ति होने की दशा में सम्पत्ति मूल्य का 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा। यदि क्षेत्रफल कम/अधिक होगा तो तदनुसार अंतर की राशि ली जावेगी।

6.2.12.12 आवंटी द्वारा पूर्ण प्रीमियम विकास दर एवं अन्य अन्य अंतर की देय राशि (यदि हो) निकाय में जमा होने के पश्चात् ही आवंटन को अंतिम समझा जायेगा। राशि जमा न होने पर आवंटन आंशिक (प्रोविजन) ही रहेगा।

6.2.12.13 आवेदक को सम्पत्ति का मूल्य विज्ञापन में प्रकाशित निर्धारित शर्तो के अधीन जमा करना होगा। जिसके संबंध में आवंटन आदेश में भी उल्लेख किया जावेगा।

पूर्व पृष्ठ से

6.2.12.14 आवंटन आदेश में अंकित समय सीमा में कोई राशि जमा न करने पर आवंटन निरस्त कर नियमानुसार पंजीयन राशि जप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। आवंटन पुर्नजीवित कराना चाहता है तो आवंटित सम्पत्ति की पूर्ण बकाया राशि मय ब्याज तथा अर्थ दण्ड के साथ डी.डी. आवेदन पत्र. के साथ प्रस्तुत करने पर परिषद् के अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत उपरांत ही आवंटन पुर्नजीवित किया जायेगा। पुर्नजीवित किया जावे अथवा नहीं इसका अधिकार निकाय की निर्वाचित परिषद् अध्यक्ष का होगा।

6.2.12.15 निर्धारित तिथि के पश्चात् विलंब से जमा की गई राशि पर नियमानुसार प्रचलित दर से ब्याज देय होगा।

6.2.12.16 सामान्यतः कोई भी भुगतान बैंक ड्राफट द्वारा जो निकाय के नाम से देय होगा, स्वीकार किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित पंजीयन केवल बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकार की जावेगी किसी भी परिस्थिति में पंजीयन हेतु चैक/नगद स्वीकृत नहीं होंगे।

6.2.12.17 सम्पत्ति के पट्टा निष्पादन दिनांक अथवा कब्जा देने के दिनांक से जो भी पहले हो आवंटी से सम्पत्ति मूल्य के अतिरिक्त निम्नानुसार वार्षिक भू-भाटक सेवा प्रभार, संपत्तिकर एवं समिति शुल्क लिया जावेगा।

6.2.12.18 सम्पत्ति का शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वार्षिक भू-भाटक निर्धारित किया जावेगा।

6.2.12.19 बहु-मंजलीय भवनों के लिए प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम लागू होगा तथा हितग्राहियों को वार्षिक भू-भाटक के अतिरिक्त आवंटी को 5/-रू. प्रति 100 वर्गफूट की दर से राशि योजना के रख-रखाव हेतु प्रतिवर्ष निकाय को देना होगी। यह राशि तब तक देय होगी जब तक निकाय द्वारा योजना का हस्तांरण निकाय को नही किया जाता अथवा प्रकोष्ठ अधिनियम के तहत समिति का गठन नहीं किया जाता। पट्टेदार को वार्षिक भू-भाटक अग्रिम के रूप में प्रत्येक वित्त वर्ष में 31 मई से पहले जमा करना होगा। पट्टा निष्पादन से पूर्व तीन वर्ष का अग्रिम भू-भाटक एवं सेवा प्रभार जमा करना होगा।

6.2.12.20 आवासीय सम्पत्ति मद में 10 वर्ष का अग्रिम भू-भाटक जमा किया जाता है तो उसे आगामी शेष लीज अवधि के लिये भू-भाटक भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

पूर्व पृष्ठ से

6.2.12.21 पट्टेदार को दी गई सम्पत्ति का कब्जा उस समय की मौजूदा स्थिति अनुसार देय होगा।

6.2.12.22 योजना का विकास अथवा निर्माण कार्य संबंधित निकाय अपने निर्धारित समयानुसार करेगा। निर्माण कार्य में विलंब होने पर निर्धारित समय अनुसार शीघ्रता से कार्य करने का प्रयास करेगा। परंतु विकास कार्य के आधार पर पट्टेदार को कोई भी भुगतान रोकने या जमा करने का कोई अधिकार नहीं होगा इस बावत् कोई वाद मान्य नहीं होगा।

6.2.12.23 विज्ञापन अवधि के भीतर किसी पंजीयनकर्ता द्वारा पंजीयन किये जाने के बाद लॉटरी/आवंटन सुनिश्चित होने के पूर्व कोई पंजीयनकर्ता अपनी राशि वापस चाहता है तो पंजीयन राशि का 10 प्रतिशत काटौत्रा कर शेष राशि बिना ब्याज के वापस की जावेगी।

6.2.12.24 पंजीयन उपरांत आवेदन लॉटरी या अन्य माध्यम से आवंटन सुनिश्चित हो जाने के पश्चात् यदि आवेदक अपनी धरोहर राशि वापस चाहते है, तो प्रथम किश्त कि दिनांक से पूर्व प्रस्तुत आवेदनकर्ता की जमा धरोहर राशि में 15 प्रतिशत काटकर शेष राशि बिना ब्याज के वापस की जावेगी। प्रथम किश्त की तिथि उपरांत यदि कोई आवंटी पंजीयन निरस्त कराता है तो पूर्ण धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

6.2.12.25 आवेदक आवेदन पत्र के साथ निकाय में स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर एक से अधिक सम्पत्ति न होने का निर्धारित शपथ–पत्र मूल्य–10 कि स्टॉप पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर देना होगा। आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत न करने वाले आवेदक को आंवटन की पात्रता नहीं होगी।

6.2.12.26 विक्रित सम्पत्ति का नंबर परिवर्तन कराने हेतु प्रचलित प्रक्रिया अनुसार पृथक से शुल्क देय होगा।

6.2.12.27 आवंटी की मृत्यु होने पर समस्त दावेदारों/उत्तराधिकारियों के द्वारा शपथ पत्र पर सहमति देने के उपरांत अथवा विधि अनुसार वैद्य वारिसों के नाम नामांतरण हो सकेगा। इसमें विभाग द्वारा किये गये विज्ञापन व्यय तथा अन्य शुल्क का भुगतान उत्तराधिकारी द्वारा जमा किया जावेगा।

37.

227

प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

पूर्व पृष्ठ से

6.2.12.28 सम्पत्ति अधिनियम के अनुसार योजना में सम्पत्ति आवंटित स्वामियों को योजना के रख–रखाव हेतु समिति का गठन करना होगा। इस हेतु पट्टा निष्पादन के पूर्व निर्धारित समिति शुल्क जमा करना होगा, जिसमें आगामी वर्षो का रख–रखाव होगा। शेष राशि यदि कोई होगी समिति को दी जावेगी।

6.2.12.29 भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित टेक्स का भुगतान भी करना आवश्यक होगा।

6.2.12.30 किसी भी प्रकार के वाद की स्थिति में वाद का क्षेत्र संबंधित निकाय के क्षेत्र का सक्षम न्यायालय रहेगा।

6.2.12.31 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

7 हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिये सब्सिडी(Subsidy for Bepeficiary-Led Individual House Construction):–

7.1 हितग्राही आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग का होना चाहिए।

7.2 प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशानिर्देशानुसार इस घटक के अंतर्गत आवास के निर्माण अथवा मौजूदा आवास के विस्तार के लिए आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के पात्र हितग्राही परिवारों को को पक्का आवास निर्माण एवं विस्तार के लिए सहायता प्रदान की जायेगी।

7.3 इसघटक अंतर्गत ऐसे परिवार नए आवासों के निर्माण अथवा विस्तार के लिए अधिकतम राशि रू. 1.50 लाख का केन्द्रांश एवं राशि रू. 1.00 लाख का राज्यांश इस प्रकार कुल राशि रू. 2.50 लाख की अनुदान हितग्राही को प्रदान किया जायेगा

7.4 हितग्राही को पक्के आवास में एन.बी.सी.सी. के मानक अनुसार दो कमरे एक रसोई घर एवं शौचालय का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

7.5 हितग्राही चयन करते समय नगरीय निकाय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि हितग्राही के पास स्वयं के स्वामित्व की भूमि है एवं भू–स्वामित्व संबंधी अभिलेख उपलब्ध हैं अथवा नहीं, साथ ही इस भू–खंड पर हितग्राही को भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है अथवा नहीं, तत्पश्चात् ही योजना में इन्हें सम्मिलित किया जाये।

पूर्व पृष्ठ से

7.6 ऐसे हितग्राही जिनके पास भूमि उपलब्ध नहीं है उनके लिए नगरीय निकाय द्वारा शासकीय भूमि चिन्हित कर भूमि का आवंटन प्राप्त कर भूमि की उपलब्धता एवं हितग्राहियों की संख्या के मान से 30 से 40 वर्गमीटर तक के भूखण्ड विकसीत करहितग्राहियों को प्रचलित नियमों के प्रावधान अनुसार पट्टा प्रदान किये जायेंगे। दिनांक 10.07.2017 के आदेशों का पालन अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

7.7 शासकीय भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में निजी भूमि नगरीय निकाय द्वारा क्रय कर यह उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर सकेंगे।

7.8 इस विकल्प अंतर्गत लाभ लेने वाले आर्थिक रूप से कमजोर हितग्राहियों का सर्वेक्षण कर नगरीय निकाय सूची तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त अनुदान प्राप्ति के इच्छुक हितग्राही उनकी पात्रता से संबन्धित दस्तावेजों के साथ नगरीय निकायों से भी संपर्क कर सकते हैं।

7.9 नगरीय निकाय हितग्राही द्वारा दिये गये दस्तावेज तथा उसके द्वारा प्रस्तुत की गई आवास की भवन–निर्माण योजना (यदि हितग्राही द्वारा स्वयं आवासीय इकाई का डिजाईन तैयार किया गया हो तो) को प्रमाणित करेंगें जिससे भूमि के स्वामित्व तथा हितग्राही के अन्य ब्यौरों, जैसे–आर्थिक स्थिति और पात्रता को प्रमाणित करेंगे।

7.10 इस घटक अंतर्गत हितग्राही को भवन लेने हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर माफ किया जासकता है।

7.11 इस घटक के अंतर्गत निर्माण हेतु हितग्राही की आधार कार्ड से जोड़ा जाना अनिवार्य है।

7.12 हितग्राहियों की जाँच सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना(SECC)से की जानी चाहिए।

7.13 SECCडाटा का सर्वेक्षण वर्ष 2011 के पूर्व का है। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत सभी आवासहीन शहरी गरीब को वर्ष 2022 तक पक्का आवास उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। जिन हितग्राहियों का SECC डाटा उपलब्ध नहीं होता तो उनका अंतिम अनुमोदन अनुउपलब्धता का उल्लेख करते हुए कराया जाये।

7.14 ऐसी परियोजनाएं का मूल्यांकन, राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति(SLAC) द्वारा किया जायेगा एवं SLAC के मूल्यांकन उपरांत राज्य स्तरीय स्वीकृत

प्रधानमंत्री आवास योजना के कियान्वयन के संबंध में।

पूर्व पृष्ठ से

और निगरानी समिति (SLSMC) से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा तद्उपरांत भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी, उपशमन मंत्रालय को प्रेषित कर अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

7.15 प्रारूप–अ अनुसार परियोजना प्रतिवेदन में प्रत्येक हितग्राही का आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर,बैंक खाते, आदिका विवरण होना अनिवार्य है जिसमें बैंक खाते अनुदान में राशि हितग्राही को उपलब्ध करायी जायेगी।

7.16 व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए परियोजना को अनुमोदन देते समय नगरीय निकायों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हितग्राही के स्वयं के योगदान, भारत सरकार अनुदान, राज्य अनुदान, आदि, सहित विभिन्न स्रोतों से नियोजित आवास के निर्माण हेतु अपेक्षित वित्त–पोषण उपलब्ध है।

7.17 इस घटक अंतर्गत अधोसंरचना विकास शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ–10–47/2015/18–2 दिनांक 13/11/2015 अनुसार नगरीय निकायों द्वारा किया जाना है।

7.18 आवासीय इकाई का निर्माण हितग्राही द्वारा स्वयं किया जायेगा। इस हेतु कोई ठेकेदार नगरीय निकाय द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा।

7.19 आवासीय इकाई निर्माण हेतु नगरीय निकाय द्वारा विभिन्न आवासीय इकाई का डिजाईन तैयार कर हितग्राही को उपलब्ध कराये जायेंगें। उन आवासीय इकाईयों के मानचित्र अपनाये जाने पर हितग्राही को भवन अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु नगरीय निकाय भू–स्वामित्व एवं म.प्र. भूमि विकास अधिनियम, 2012 के प्रावधानों का परीक्षण करेंगे।

7.20 हितग्राही द्वारा स्वयं का कोई मानचित्र तैयार किया जा सकता है, तो उस मानचित्र का नगरीय निकाय से अनुमोदित करते हुये निर्माण कराया जायेगा।

7.21 निर्माण कार्य हितग्राही द्वारा 12 माह में पूर्ण किया जाना होगा।

7.22 अनुदान राशि हितग्राही को आवास के निर्माण की प्रगति के आधार पर 4 किश्तों में व्यक्तिगत हितग्राही द्वारा निर्माण के अनुपात में अनुदान राशि जारी की जाएगी।

पूर्व पृष्ठ से

7.23 हितग्राही को अनुदान उपलब्ध कराने के उपरांत न्यूनतम चार चरणों में Geo-Tagging किया जाना होगा।

7.24 आवास निर्माण हेतु किश्त की राशि निम्न विवरण अनुसार हितग्राही को जारी की जायेगी–

(राशि रू लाख में)

किश्त का विवरण	केन्द्रांश	राज्यांश	योग	कार्य का विवरण	समय सीमा
प्रथम किश्त	–	0.40	0.40	योजना स्वीकृत होने पर	–
द्वितीय किश्त	0.60	–	0.60	लिंटल लेवल पहुंचने पर	4 माह
तृतीय किश्त	0.60	0.40	1.00	छत लेवल पहुँचने पर	8 माह
चतुर्थ किश्त	0.30	0.20	0.50	आवास पूर्ण होने पर।	12 माह
योग–	1.50	1.00	2.50		

टिप्पणी – किश्त जारी करने की उक्त स्तर सूचनात्मक है एवं विकासखंड स्थानीय स्थिति के अनुसार स्वयं के स्तर पर किश्त वितरण नियंत्रित कर सकेगा है, परन्तु शासन सरकार द्वारा जारी होने वाली अंतिम किश्त राशि से तीन हजार आवास पूर्ण होने के उपरांत ही विमुक्त की जायेगी।

7.25 इस विकल्प में ऐसे हितग्राही जिनके पास भूमि उपलब्ध नहीं है एवं अनटेनेबल स्लम के हितग्राहियों को भू–खण्ड विकसित कर पट्टा/प्लॉट जारी ज्ञाप क्रमांक भूमिहीन: एफ–1–6/2017/18–3/18143 भोपाल दिनांक 10/07/2017 जिसमें दिसम्बर 2014 तक जो हितग्राही रह रहा है उसे पट्टा दिये जाने के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जा सकता है एवं मिश्रित भूखण्ड से अर्थोसंरचना विकास को क्रॉस सब्सिडाईज्ड भी किया सकता है। प्रदान किये गये पट्टे/प्लॉट पर हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण किया जा सकता है।

7.26 ऐसे हितग्राही जो संबंधित आबादी क्षेत्र में पूर्व से निवासरत है एवं नगरीय निकाय को नियमित सम्पत्तिकर/समेकित कर का भुगतान कर रहे है किन्तु उनके पास भूमि स्वामित्व संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पा रहे है उस स्थिति में सभी हितग्राहियों को भी योजना के BLC घटक हेतु पात्र माना जावे। निकाय द्वारा दावे आपत्ति आमंत्रित कर निराकरण

231

प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

उपरांत उन सभी हितग्राहियों को उसी स्थान पर आवास निर्माण हेतु BLC घटक अंतर्गत योजना में सम्मिलित किया जायें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. मंजू शर्मा)
अपर आयुक्त
मिशन डायरेक्टर (HFA)
नगरीय प्रशासन एंव विकास

233

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
"मंत्रालय"

क्रमांक एफ–1–6/2013/18– 3 भोपाल,दिनांक 29 अप्रैल,2013

प्रति

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय–मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिया जाना ।

–0–

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 में विभिन्न संशोधन किये जाने संबंधी अधिसूचना क्रमांक 2987–138–21–अ (9) अधि.दिनांक 18 अप्रैल, 2013 की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न (परिशिष्ट–एक) प्रेषित है । उक्त अधिनियम की अद्यतन संशोधित प्रति तथा मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) नियम 2006 की प्रति विभागीय वेबसाईट www.mp.urban.gov.in पर उपलब्ध है ।

2. अधिसूचना दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 में निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं:–

(1) हितग्राही की पात्रता के निर्धारण के लिए "Cut off date" 31 दिसंबर, 2012 नियत की गयी है ।

(2) सर्वेक्षण एवं पट्टों के प्रदाय के संबंध में हितग्राहियों द्वारा गलत जानकारी देने या जानकारी छिपाते हुए कपटपूर्वक पट्टाधृति अधिकार प्राप्त करने,पट्टे की भूमि का विक्रय, किराये आदि पर अंतरण, या किसी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक अथवा प्रलोभन द्वारा पट्टाधारी को आवंटित भूमि का अधिपत्य प्राप्त करने के अपराध के लिये [illegible] प्रावधानों का [illegible] गया है ।

3. अधिनियम की प्रावधानों के अधीन [illegible] आवासीय पट्टे दिये जायेंगे, किंतु यदि अधिभोगी के अधिभोग में संलग्न आवास भूमि है तो नगरपालिक निगम के क्षेत्र में [illegible] नगरपालिका क्षेत्र में [illegible]

तथा नगर परिषद के क्षेत्र में 80 वर्गमीटर आकार तक की भूमि के पट्टे दिये जा सकेंगे । इससे अधिक भूमि का अधिपत्य होने पर हितग्राही द्वारा उसे समर्पित करना होगा ।

4. उपर्युक्तानुसार राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31 दिसंबर, 2012 की स्थिति में राज्य शासन, नगरीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरणों की भूमि पर काबिज व्यक्ति जो वहां वास्तविक रूप से निवास कर रहा है, कोई मकान या भूमि या तो अपने स्वयं के नाम पर या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से स्वामित्व में नहीं रखता हो, को आवासीय पट्टों का वितरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाये । इस प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण का कार्य 1 मई से 31 मई, 2013 के मध्य संपन्न किया जावेगा । तदोपरांत प्रदेश में पट्टों के वितरण की कार्यवाही दिनांक 20 जून, 2013 से प्रारंभ कर 31 जुलाई, 2013 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाये ।

5. हितग्राहियों के सर्वेक्षण की प्रक्रिया—

पट्टे दिये जाने के लिये पात्र व्यक्तियों के चयन हेतु सर्वेक्षण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:—

(1) 31 दिसंबर 2012 की स्थिति में शहरी क्षेत्रों में शासकीय, नजूल, स्थानीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरणों की भूमि पर निवास करने वाले ऐसे आवासहीन व्यक्तियों जिनके पास उक्त पते का राशनकार्ड बना हो, के नाम सर्वेक्षण सूची में सम्मिलित किये जायेंगे । राशनकार्ड न होने की दशा में संबंधित नगरीय निकाय द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत समुचित अधिकारी संबंधित व्यक्ति की पात्रता का सत्यापन करेगा ।

(2) जिन व्यक्तियों के पास पूर्व से पट्टे उपलब्ध हैं या शासन की किसी योजना में भूखंड / आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु उनका चयन किया गया है, ऐसे व्यक्तियों के नाम इस सर्वेक्षण सूची में सम्मिलित नहीं किये जायें ।

(3) यदि कोई भूमिहीन व्यक्ति किरायेदार के रूप में झुग्गी में निवास कर रहा है तथा उसके नाम पर संबंधित नगरीय क्षेत्र में कोई आवासीय भूमि / भवन नहीं है तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का नाम सर्वेक्षण सूची में सम्मिलित किया जावेगा । किंतु संबंधित झुग्गी के मालिक का नाम सर्वेक्षण सूची में किसी भी परिस्थिति में सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।

234

(4) सर्वेक्षण के लिए प्रपत्र :–

अधिनियम के अंतर्गत भूमिहीन व्यक्तियों की पहचान के लिये संलग्न परिशिष्ट–दो में विहित प्रारूप में सर्वेक्षण किया जायेगा ।

सर्वेक्षण उपरांत वास्तविक रूप से समायोजित पात्र हितग्राहियों के प्रत्येक परिवार/व्यक्ति के बारे में विस्तृत विवरण मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाभूमि अधिकारी का प्रदान किया जाना) नियम, 2008 के नियम–3 के संलग्न प्रारूप 'क' में दर्ज कर स्थाई रूप से संधारित किये जायेंगे ।

(5) सर्वेक्षण दलों का गठन

योजनान्तर्गत भूमिहीन व्यक्तियों के सर्वेक्षण के लिए संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा पर्याप्त संख्या में सर्वेक्षण दल प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए गठित किये जायेंगे । सर्वेक्षण दल का प्रमुख यथा संभव एक राजस्व अधिकारी होगा जो कि नायब तहसीलदार के स्तर से कम का नहीं होगा । सर्वेक्षण में नगरीय निकायों के कर्मचारियों को भी आवश्यकतानुसार संलग्न किया जायेगा ।

(6) प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति

सर्वेक्षण कार्य संपन्न करने के लिए कलेक्टर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी । यह अधिकारी उपखंड पदाधिकारी, सहायक कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के स्तर से निम्न स्तर का नहीं होगा । कलेक्टर के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन प्राधिकृत अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी होगा ।

किसी नगरीय क्षेत्र में भौगोलिक आकार के आधार पर विभिन्न भागों के लिए पृथक–पृथक प्राधिकृत अधिकारी भी नियुक्त किये जा सकेंगे ।

(7) सर्वेक्षण सूची वेबसाईट पर अपलोड करना–

जिले के नगरीय क्षेत्रों में संपन्न करने हेतु सर्वेक्षण के आधार पर प्रारंभिक सूची दिनांक 1 जून, 2013 को सर्वसाधारण के सूचनार्थ कलेक्टर कार्यालय,संबंधित उपखंड (राजस्व) कार्यालय एवं नगरीय निकाय/विकास

236

प्राधिकरण के कार्यालय/वार्ड कार्यालय में प्रकाशित करायी जायेगी । उक्त सूची जिला कार्यालय की वेबसाईट पर "अपलोड" की जावेगी तथा उसकीप्रति ई-मेल cmamp2@mpurban.gov.in पर विभागीय वेबसाईट www.mpurban.gov.in पर अपलोड करने के लिये भी अनिवार्य रूप से भेजी जाये ।

प्रारंभिक सूची के संबंध में आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित कर उनका निराकरण करने के पश्चात अंतिम सूची का प्रकाशन 15 दिवस की समय-सीमा में अनिवार्य रूप से कराया जावेगा ।

(8) <u>आपत्तियों/सुझावों पर निर्णय के लिये संक्षम समितियां</u>

प्रारंभिक सर्वेक्षण सूची के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचारोपरांत निम्नानुसार समिति द्वारा सूची को अंतिम रूप दिया जायेगा:-

<u>जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों के लिये</u>

(एक)	कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(तीन)	नगर निगम आयुक्त/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का मुख्य नगरपालिका अधिकारी	सदस्य
(चार)	नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय का स्थानीय अधिकारी	सदस्य
(पांच)	जिला शहरी विकास अभिकरण का परियोजना अधिकारी	सदस्य

<u>अन्य नगरीय क्षेत्रों के लिये</u>

(एक)	उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)	अध्यक्ष
(दो)	उप खण्ड अधिकारी (पुलिस)	सदस्य
(तीन)	नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय का स्थानीय जिला अधिकारी	सदस्य
(चार)	जिला शहरी विकास अभिकरण का परियोजना अधिकारी	सदस्य
(पांच)	नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का मुख्य नगरपालिका अधिकारी	सदस्य

जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य नगरीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण सूची को अंतिम रूप देने के लिए गठित समिति द्वारा अनुमोदित सूची संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा अभिप्रमाणित की जायेगी । जिला कलेक्टरों द्वारा अंतिम सर्वेक्षण सूची दिनांक 15 जून ,2013 को प्रकाशित कराई जायेगी । यह सूची भी जिला कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट पर अनिवार्य रूप से अपलोड कराई जायेगी ।

(9) <u>सर्वेक्षण की समय सारणी</u>

सर्वेक्षण की समय–सारणी निम्नानुसार होगी:–

1.	सर्वेक्षण दलों का गठन तथा सर्वेक्षण प्रारंभ करने की तिथि	—	1 मई, 2013
2.	सर्वेक्षण समाप्त होने की तिथि		31 मई, 2013
3.	प्रारंभिक सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन	—	1 जून, 2013
5.	अंतिम सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन	—	15 जून, 2013
6.	सर्वेक्षण सूची प्राधिकृत अधिकारी तथा कलेक्टर के हस्ताक्षर से आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को भेजने की तिथि	—	20 जून, 2013

(10) उपर्युक्त निर्देशों के अनुसरण में जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में किये गये सर्वेक्षण अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाणित सर्वेक्षण सूची दिनांक 20 जून, 2013 तक आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को विशेष वाहक के हस्ते भिजवाना सुनिश्चित किया जाए । कृपया प्रमाणित सर्वेक्षण सूची की एक साफ्ट कापी (सीडी) भी अवश्य भेजी जाये ।

(11) <u>हितग्राहियों का कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस/बायोमेट्रिक सर्वे</u>

उपरोक्तानुसार भौतिक सर्वेक्षण के उपरांत समानान्तर रूप से आवासहीनों का कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस तैयार किया जायेगा । सर्वेक्षण अनुसार पात्र हितग्राहियों के बायोमेट्रिक/डाटाबेस तैयार करने तथा इसमें सुनिश्चित आईडेंटीफिकेशन प्रणाली (क्षमता) का उपयोग करने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे ।

238

6. **स्थाई तथा अस्थाई पट्टे–**

पट्टे दिये जाने के लिए पात्र पाये गये व्यक्तियों के संबंध में दो स्थितियां निर्मित हो सकती है। प्रथमतः जिन व्यक्तियों को व्यापक जनहित में अन्यत्र व्यवस्थापित नहीं किया जाना है उन्हें उसी स्थल पर, जहां वे वर्तमान में काबिज हैं, स्थाई पट्टे प्रदान किये जायेंगे । दूसरी स्थिति स्थानीय तथा भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विद्यमान झुग्गी बस्तियों को उनके वर्तमान स्थल से अन्यत्र व्यवस्थापन किये जाने की आवश्यकता संभव हो सकती है । इस प्रयोजन के निर्णय हेतु जिला कलेक्टर/उपखंड पदाधिकारी द्वारा वांछित जानकारी संबंधित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगी । अतः सर्वेक्षण कार्य के दौरान ही यह जानकारी भी संकलित कर ली जाये कि किन बस्तियों में काबिज व्यक्तियों को अन्यत्र व्यवस्थापित करने की आवश्यकता होगी तथा उसका वैकल्पिक प्रस्ताव क्या है ।

बस्तियों के व्यवस्थापन संबंधी मामलों में निम्न समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचारोपरांत निर्णय लिया जायेगा:–

(अ) <u>भोपाल शहर के लिये</u>

(1)	प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	अध्यक्ष
(2)	संभागीय आयुक्त,भोपाल	सदस्य
(3)	कलेक्टर,भोपाल	सदस्य
(4)	पुलिस अधीक्षक,भोपाल	सदस्य
(5)	क्षेत्र का उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)	सदस्य
(6)	आयुक्त, न.पा.निगम, भोपाल	सदस्य
(7)	संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,भोपाल	सदस्य
(8)	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, भोपाल	सदस्य

(ब) <u>अन्य संभागीय स्तर के शहरों के लिये</u>

(1)	संभागीय आयुक्त	अध्यक्ष
(2)	कलेक्टर	सदस्य
(3)	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(4)	क्षेत्र का उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)	सदस्य
(5)	आयुक्त, नगरपालिक निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी	सदस्य
(6)	नगर तथा ग्राम निवेश का स्थानीय अधिकारी	सदस्य
(7)	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य

–7

(स) <u>जिला स्तरीय एवं अन्य शहरों के लिए</u>

(1)	कलेक्टर	अध्यक्ष
(2)	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(3)	क्षेत्र का उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)	सदस्य
(4)	संबंधित आयुक्त, नगरपालिक निगम / मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका / नगर परिषद	सदस्य
(5)	नगर तथा ग्राम निवेश जिले का भारसाधक अधिकारी	सदस्य
(6)	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य

ऐसे स्थल जिन पर विद्यमान झुग्गी बस्तियों को अन्यत्र व्यवस्थापित किये जाने का निर्णय लिया जाता है, उन बस्तियों में काबिज व्यक्तियों को तात्कालिक तौर पर अस्थायी पट्टे जारी किये जायेंगे ।

7. जारी किये जाने वाले स्थाई तथा अस्थाई पट्टों के पात्रता पत्र (पट्टा विलेख) क्रमशः लाल और पीले रंग के होंगे, जिनके प्रारूप नियम, 2008 के नियम (7) में क्रमशः प्रारूप–ख तथा प्रारूप–ग अनुसार होंगे । पट्टे पर हितग्राही (पति–पत्नी) का संयुक्त छायाचित्र चस्पा करना होगा तथा नियत स्थान पर उनके बायें हाथ की सुस्पष्ट अंगूठा निशानी भी ली जायेगी, जिसका उपयोग शहरों में किये जाने वाले बायोमेट्रिक सर्वे के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान की प्रक्रिया में किया जावेगा । छायाचित्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर/पदमुद्रा के अधीन प्रमाणित किया जावेगा ।

8. स्थायी रूप से पट्टा दिये जाने वाले क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं यथा सड़क, स्वच्छ पेयजल, नालियां,बिजली आदि की सुविधा शासन की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उपलब्ध करायी जायेंगी । अतः ऐसी बस्तियों में किये जाने वाले कार्य तथा उसके लिए विभिन्न योजनाओं में राशि की व्यवस्था संबंधी कार्यवाही संबंधित नगरीय निकायों / विकास प्राधिकरणों के समन्वय में अविलंब पूर्ण कर ली जाये ।

9. पट्टा वितरण की समय-सारणी-

इन निर्देशों के अनुपालन में जिलों में पट्टे दिये जाने के संबंध में समय-सारणी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

(1)	व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित बस्तियों की पहचान, ऐसे व्यवस्थापन हेतु उपयुक्त स्थल का चयन एवं संबंधित औपचारिकताओं की पूर्ति	...	15 जून,2013
(2)	चिन्हित हितग्राही संख्या के अनुपात में स्थाई तथा अस्थाई पट्टा विलेखों का मुद्रण	...	20 जून, 2013
(3)	पट्टों के वितरण की कार्रवाई प्रारंभ करना	...	20 जून, 2013
(4).	पट्टा वितरण की कार्रवाई पूर्ण करना	...	31जुलाई,2013
(5)	वितरित किये गये पट्टों की जानकारी आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रस्तुत करना	...	5 अगस्त, 2013

10. अनाधिकृत पट्टा प्राप्त करने/पट्टे की भूमि पर काबिज लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही -

अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अंतर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिये जाने के संबंध में सर्वेक्षण करते समय पूर्व वर्षों में दिये गये पट्टों की भूमि वैध पट्टाधारी के अधिपत्य में होने संबंधी स्थिति की जांच भी अनिवार्य रूप से की जाये । धारा-5 के अंतर्गत पट्टे की भूमि पर अवैध अधिपत्य रखने अथवा आवंटित भूमि को किराये/विक्रय आदि से माध्यम से अंतरित करने के प्रकरणों की सूक्ष्म स्थल जांचोपरांत अभिलेखीय साक्ष्य एकत्रित कर सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की कार्यवाही भी प्रारंभ की जाये ।

11. सर्वेक्षण सूची का कम्प्यूटरीकरण-

इन निर्देशों के तहत निर्धारित प्रारूप में तैयार किये गये निम्नांकित दस्तावेजों की कम्प्यूटरीकृत प्रति भी समानान्तर रूप से तैयार करवाई जावे-

(1) प्रारंभिक तथा अंतिम सर्वेक्षण सूची
(2) आवंटित पट्टों की सूची
(3) पूर्व आवंटित पट्टों में अनाधिकृत/अधिपत्य/अंतरण के प्रकरणों की सूची तथा उनके संबंध में प्रारंभ की गई न्यायालयीन कार्यवाही का विवरण

12. राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में शहरी भूमिहीन व्यक्तियों को आवासीय भूमि के पट्टे दिये जाने की कार्रवाई में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाये तथा आवश्यकतानुसार संपन्न होने वाली कार्रवाई का समुचित प्रचार-प्रसार भी किया जाय ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

(एस.पी.एस.परिहार) 29/4/13
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-4-6/18-3 /2013 भोपाल,दिनांक 29 अप्रैल, 2013
प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग/आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय,मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
5. आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
8. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय, भोपाल ।
9. समस्त संभागीय उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश।
10. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश ।

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

24/

क्रमांक एफ–10–31/18–2/2007 भोपाल, दिनांक 01/11/2014

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
नगरपालिक निगम
मध्यप्रदेश

2. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्
मध्यप्रदेश

विषय:–जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम, राजीव आवास योजना एवं भारत सरकार की नयी योजना "Housing for All - 2022" के अंतर्गत गरीबों की आवासीय योजनाओं के लिये हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया।

संदर्भ:– विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ–10–31/18–2/2007 दिनांक 24.07.2007।

—00—

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (बीएसयूपी एवं एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम) एवं राजीव आवास योजना के अंतर्गत मलिन बस्तियों में निवास करने वाले शहरी गरीबों को पक्के आवास बनाकर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। BSUP एवं IHSDP योजना के हितग्राहियों की चयन प्रक्रिया के संबंध में संदर्भित पत्र दिनांक 24.07.2007 के द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संदर्भित समसंख्यक निर्देश को निरस्त करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. सर्वेक्षण एवं हितग्राही चयन की प्रक्रिया :–

1.1 हितग्राही के चयन के लिये बस्ती का पूर्ण सर्वेक्षण करते हुए चतुर्सीमा का चिन्हांकन कर किया जाये। सर्वेक्षण के लिये गठित दल अंतर्विभागीय हो एवं दल का प्रमुख नगरीय निकाय के कर्मचारियों व अधिकारियों को नियुक्त किया जाये। उक्त दल चयनित बस्ती में निवासरत झुग्गीवासियों का स्थानीय निवासियों की एक समिति बनाकर उनकी सहभागिता से विस्तृत सर्वे करेगा व उनसे अभिलेख प्राप्त करेगा। प्रत्येक आवास एवं परिवार को एक नम्बर प्रदान किया जायेगा, तथा प्रारंभिक सूची तैयार किया जाएगा। बस्ती से संबंधित जोन के जोनल अधिकारी, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी उक्त प्रारंभिक सूची का प्रकाशन संबंधित झुग्गी बस्ती/निकाय कार्यालय में कर उसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दावा आपत्ति आमंत्रण करेंगे। दावा आपत्ति हेतु 15 दिवस का समय दिया जायेगा व उनका निराकरण अगले 07 दिवस के अंदर नगरीय निकाय द्वारा इस हेतु गठित समिति अथवा नियुक्ति अधिकारी द्वारा किया जाकर उसकी अंतिम सूची तैयार करेंगे। इस अंतिम सूची को मेयर–इन–कौंसिल/प्रसिडेंट–इन–कौंसिल द्वारा स्वीकृति दी जाएगी।

1.2 इस प्रकार तैयार अंतिम सूची को अनुमोदन हेतु जिला कलेक्टर को प्रेषित किया जाएगा व जिला कलेक्टर सूची का सत्यापन कराने के उपरांत पात्र हितग्राहियों की सूची का अंतिम अनुमोदन करेंगे व इस सूची का प्रकाशन बस्ती में, निकाय कार्यालय में व वेबसाईट पर किया जायेगा।

1.3 चयनित बस्तियों के सर्वे में फोटोग्राफी अथवा विडियोग्राफी सर्वेक्षण के समय करवाई जायेगी व प्रत्येक हितग्राही अथवा उसके परिवार के सदस्य का फोटो झुग्गी के समक्ष लेकर हितग्राही की नस्ती में संलग्न किया जायेगा। जिस भी बस्ती का सर्वे किया जाये उसकी सीमा का मानचित्र तैयार किया जायेगा।

2. हितग्राहियों की पहचान :-

2.1 चयनित मलिन बस्ती में हितग्राहियों की पात्रता के लिये "पूर्ण मलिन बस्ती" के व्यवस्थापन (स्लम फ्री एप्रोच) एवं भारत सरकार की "Housing for All 2022" योजना के आधार पर सर्वे किया जायेगा।

2.2 हितग्राही को सर्वेक्षण के समय चयनित बस्ती में निवासरत होना चाहिए। निवास के समर्थन में अभिलेख जैसे राशन कार्ड/आधारकार्ड/मतदाता पहिचान पत्र/ड्राइविंग लायसेंस/आधारकार्ड/बिजली बिल/गैस कनेक्शन/जनगणना विवरण की देय पत्र के साथ में दर्ज होने संबंधी अंकन पत्र/निर्वाचन नामावली/श्रमिक कार्डधारक पहिचान पत्र/गरीबी रेखा की सूची/कामकाजी महिला होने संबंधी पहिचान पत्र/शपथ प्रतिभूतियों का परिवार पंत्र की सत्यापित प्रति शपथ पत्र के साथ मान्य होंगे। उपरोक्त उल्लेखित अभिलेखों में से कोई भी एक सत्यापित अभिलेख निवास के समर्थन में पर्याप्त होगा परन्तु निवास के सत्यापन का अभिलेख मलिन बस्ती के प्रारंभिक सर्वेक्षण दिनांक के पूर्व का होना चाहिए।

2.3 सर्वे हेतु चयनित मलिन बस्ती में निवासरत प्रत्येक परिवार को पृथक से हितग्राही होने की पात्रता होगी। परिवार की परिभाषा के रूप में मुखिया, उसकी पत्नी या पति एवं उसके नाबालिग बच्चे माने जायेंगे। नाबालिग अथवा बालिग बच्चे जिनका विवाह न हुआ हो, को हितग्राही के रूप में पात्रता नहीं होगी।

2.4 एक आवास/झुग्गी में एक से अधिक विवाहित परिवार निवास करते हों तो प्रत्येक विवाहित परिवार को हितग्राही की पात्रता होगी।

2.5 हितग्राही मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। किसी शहरी क्षेत्र में उसके स्वामित्व का कोई रिहायशी भूखण्ड अथवा मकान नहीं होना चाहिए। हितग्राही के द्वारा पैरा (2.2) के अनुक्रम में निवास संबंधी प्रस्तुत अभिलेखों की सत्यता व उपरोक्त बाबत् आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र प्रमाणीकरण का समुचित आधार माना जायेगा। शपथ पत्र के बिंदु भविष्य में अगर कभी भी संशोधन अथवा शिकायत पाये जाने पर असत्य पाये जाते हैं तो हितग्राही का आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।

2.6 चयनित झुग्गी बस्ती/मलिन बस्ती जिसमें सर्वे किया जा रहा है, उसमें रहने वाले मलिन निवासी जो शहरी गरीबी रेखा सूची में पंजीकृत हो अथवा कमजोर आय वर्ग (शासन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लिये निर्धारित आय सीमा लागू होगी) के परिवार इस योजनांतर्गत पात्रता श्रेणी में आ सकेंगे।

2.7 चयनित मलिन बस्ती क्षेत्रों में सर्वे के समय यदि आजीविका संसाधन जुटाने के लिये दुकानें संचालित पायी जाती हैं तो योजनांतर्गत विकसित किये जा रहे हाकर्स कार्नर/पेटी शॉपिंग इत्यादि में इनका व्यवस्थापन किया जा सकता है। (व्यवस्थापन में

[illegible] निर्माण लागत हितग्राही से ली जायेगी। यदि हाकर्स कार्नर अथवा छोटी [illegible] दुकानों का निर्माण प्रस्तावित नहीं है, तो इनके लिये नगरीय निकाय के [illegible] इन-चीफ / प्रेसिडेंट-इन-कौंसिल के द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जा सकता है, [illegible] मलिन बस्ती में निवास करने के साथ-साथ दुकान का भी संचालन कर रहे हैं, [illegible] की पात्रता होगी।

2.8 सर्वे के समय मलिन बस्ती में निवासरत परिवार (चाहे वह किरायेदार हो, बिन्दु क्र. 2.2 अनुसार बताये गये पहचान की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा) को हितग्राही के रूप में चिन्हांकित किया जायेगा।

2.9 जो मलिन बस्ती, राजस्व भूमि इस योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, उन बस्ती परिवारों को जिला प्रशासन एवं नगरीय निकाय के समन्वय से नगर के अन्य स्थानों पर जहाँ मलिन बस्ती निवासी / अन्य अतिक्रमणकारियों के व्यवस्थापन के लिये स्थान चिन्हित किया है, उस स्थल पर अथवा रेन्टल हाउस उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जायेगा। परन्तु ऐसे परिवारों को आवास अथवा रेन्टल उपलब्ध कराये जाने का कोई पृथक से दावा / अधिकार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2.10 योजना तैयार करने के समय चयनित हितग्राही यदि योजना पूर्ण होने पर आवासों के आवंटन के समय बस्ती में निवासरत नहीं रहता है, तो उसको चयनित सूची से पृथक कर दिया जायेगा, एवं उसे आवास आवंटन की पात्रता नहीं होगी।

2.11 कोई हितग्राही योजना तैयार करने के लिये किये जा रहे सर्वेक्षण उपरांत एवं योजना पूर्ण होने की अवधि में बस्ती में निवास करने लगता है, तो उसे योजना में अतिरिक्त आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा। योजना में आवास उपलब्ध होने की स्थिति में आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा। योजना में आवास उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रेन्टल हाउस अथवा किसी अन्य योजना में समायोजित किये जायेंगे। यदि रिक्त आवासों की संख्या इस तरह के हितग्राहियों की संख्या से कम होती है, तो लॉटरी के माध्यम से पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।

2.12 पंजीकृत हितग्राही की मृत्यु हो जाने की स्थिति में आवास पाने की पात्रता चयनित हितग्राही के उत्तराधिकारी का होगा।

3. आवासों का आवंटन :-

3.1 उपरोक्त अनुसार चयनित हितग्राहियों को अस्थाई आवंटन आदेश संबंधित निकाय लॉटरी उपरांत जारी करेंगे। जो हितग्राही उनके अंशदान की राशि अथवा ऋण के माध्यम से निकाय द्वारा सूचित की गई समयावधि में जमा करायेंगे, उन्हें आवंटन आदेश जारी कर उनके लीज डीड का निष्पादन पंजीयन के माध्यम से की जायेगी। बैंक ऋण की स्थिति में यह लीज डीड बैंक में मॉर्गेज रखी जायेगी व हितग्राही को आवास का कब्जा दिया जायेगा।

3.2 लॉटरी की प्रक्रिया में जिन परिवार में विकलांग सदस्य हो / इस प्रक्रिया जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है / जिन परिवारों के सदस्यों को मेडिकल बोर्ड से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाये कि वे सीढ़ियों से चढ़ने-उतरने में कठिनाई हो, उन परिवारों के लिये भू-तल पर आवास आरक्षित रखे जायेंगे। यह प्रक्रिया लॉटरी के पूर्व सुनिश्चित कर ली जाये। यदि ऐसे परिवारों की संख्या भू-तल पर निर्मित आवासों से अधिक हो तो उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पर नगरीय निकाय के माननीय सदस्यों के साथ गठित समिति के द्वारा निर्धारण किया जायेगा। भू-तल पर इस प्रकार से आरक्षित आवासों के लिये

आवंटन के लिये भी लॉटरी प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। ऐसी स्थिति में आधु प्रमाण दिया जाना अनिवार्य होगा।

3.3 हितग्राही परिवार कब्जा लेने के पश्चात रहवासी समिति गठित करेंगे व यह रहवासी समिति आवासों का अनुरक्षण/संधारण/रख-रखाव करेंगे व इस संबंध में शुल्क इत्यादि का निर्धारण कर संग्रहित करेगी जिससे अनुरक्षण संबंधित कार्य किया जायेगा।

3.4 चयनित हितग्राही परिवार को कब्जे के पूर्व आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवासीय इकाइयों के आवंटन में दुहराव (Duplicacy) न हो एक बार आवास आवंटित होने के पश्चात् वही हितग्राही पुनः उसी शहर अथवा प्रदेश के किसी शहर में शासकीय योजनाओं में आवास प्राप्त न कर सके, यह सुनिश्चित किया जाय। इसके लिये आधार कार्ड का बायोमेट्रिक्स पर्याप्त माना जायेगा। प्रत्येक नगरीय निकाय, जिनके द्वारा शहरी क्षेत्रों के आवास को ध्यान में रखकर क्रियान्वयन की जा रही है, आवंटितियों के बायोमेट्रिक्स डाटा संधारित करेंगे।

3.5 जो परिवार आपसी सहमति से लॉटरी उपरांत पंजीयन से पूर्व आवासों को बदलना चाहते है, वे इस बाबत शपथ पत्र देकर मेयर-इन-कौंसिल/प्रेसिडेंट-इन-कौंसिल के स्वीकृत से शुल्क रू. 500/- जमा प्रस्तुत कर सकेंगे। हितग्राहियों का कोई समूह एक साथ एक आवासीय इकाई का आवंटन का अनुरोध करता है। तो मेयर-इन-कौंसिल/प्रेसिडेंट-इन-कौंसिल की पूर्व स्वीकृति से ब्लॉक के भीतर ही आपसी लॉटरी से इन्हें आवंटित किया जा सकेगा। उपलब्ध ब्लॉकों में से समूह हेतु ब्लॉक का निर्धारण लॉटरी के माध्यम से मेयर-इन-कौंसिल/प्रेसिडेंट-इन-कौंसिल के द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

3.6 यदि उपलब्ध भवनों की तुलना में आवेदकों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति द्वारा आवासीय इकाईयों का आवंटन पूर्व में घोषित दिनांक, स्थान व समय पर लॉटरी पद्धति से किया जाएगा।

3.7 चयन सूची के साथ 10 प्रतिशत हितग्राहियों की एक प्रतीक्षासूची बनाई जायेगी। चयन सूची में सम्मिलित किसी हितग्राही द्वारा भवन आवंटित न किये जाने की स्थिति में प्रतीक्षासूची के क्रमवार ऐसे भवन आवंटित किये जा सकेंगे।

3.8 यदि कंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा इस प्रकार की योजनाएं ली जाती है, तो उनका सर्वेक्षण कंटोनमेंट बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया अनुसार कर जिला कलेक्टर के माध्यम से सूची का अनुमोदन करायेंगे। इन योजनाओं में मेयर-इन-कौंसिल/प्रेसिडेंट-इन-कौंसिल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

3.9 चयनित हितग्राहियों को आवासीय इकाईयों का न्यूनतम 15 वर्ष के लिये लीज डीड पंजीयन के माध्यम से पति एवं पत्नि दोनों के संयुक्त नाम से दिया जायेगा।

3.10 निर्माण लागत के विरुद्ध हितग्राही के अंशदान की व्यवस्था के तौर पर बैंक अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्था के पास लीज डीड मूल के पुनर्भुगतान की अवधि के लिए बंधक रखे जा सकेंगे।

3.11 आवंटित आवासीय इकाई का उप पट्टा, विक्रय पत्र, दानपत्र, मुख्तारनामा या किसी भी रीति से हस्तांतरण प्रतिबंधित होगा तथा ऐसा पाये जाने पर आवासीय इकाई को नगरीय निकाय द्वारा अपने अधिपत्य में ले लिया जायेगा। सशर्त तौर पर वापस प्राप्त किये

एवं ऐसे आवास हितग्राहियों की चयनित सूची में सम्मिलित प्रतीक्षासूची के व्यक्तियों को अभियान क्रम से आवंटित किये जायेंगे।

3.12 भारत सरकार एवं राज्य शासन के अनुदान, वित्तीय सहयोग एवं निःशुल्क भूमि पर क्रियान्वित होने वाली योजनाओं जैसे- जे.एन.एन.यू.आर.एम. (बी.एस.यू.पी.), आई.एच.एस.डी.पी., राजीव आवास योजना एवं नयी योजना "Housing for All - 2022" आदि के क्रियान्वयन में विकास प्राधिकरण, ग्रह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल जैसे संस्था इस ज्ञाप के प्रावधानों का पालन नगरीय निकायों के समान करेंगें।

3.13 विशेष परिस्थितियों में हितग्राहियों के चयन, सर्वेक्षण से संबंधित निर्देशों के अतिरिक्त यदि कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके निराकरण के संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा व उसकी सूचना नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दी जायेगी।

4.1 राज्य शासन के संबंधित ज्ञाप क्रमांक एफ-10-31/18-2/2007 दिनांक 24.07.2007, में हितग्राही चयन के अतिरिक्त बिन्दु सम्बंधित योजना के गाइड लाईन के अनुरूप रहेंगें।

(के.के. कातियां)
उपसचिव,
म.प्र. शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-10-31/18-2/ 2007 भोपाल, दिनांक 01-11-2015

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।

उपसचिव,
म.प्र. शासन,
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

246

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / यां.प्र. / 07 / 5922 दिनांक 15 / 06 / 2015

शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने हेतु सामान्य दिशानिर्देश :–

शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिये बैंक / वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने हेतु संचालनालय से ज्ञाप क्रमांक / यां.प्र. / 07 / 5060, दिनांक 05.06.2015 को जारी किये गये दिशानिर्देश एवं त्रिपक्षीय अनुबंध में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 15.06.2015 को बैठक में चर्चा की गई। बैंक एवं नगर निगम, भोपाल के प्रतिनिधियों से चर्चा उपरांत त्रिपक्षीय अनुबंध के कण्डिका 15.2 के परन्तुक के स्थान पर निम्नानुसार परन्तुक स्थापित किया जाता है :–

परन्तु यदि हितग्राही के ऋण अदायगी न करने की स्थिति में प्राधिकारी किसी भी कारण से आवासीय इकाई के पुर्न आंवटन में सफल न हो तो ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा प्राधिकारी को डिफाल्ट की दी गई सूचना की तिथि से 180 दिन के अंदर संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान प्राधिकारी द्वारा बैंक को किया जायेगा"।

(विवेक अग्रवाल) 15/6
आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

त्रिपक्षीय अनुबंध

1. यह अनुबंध आज दिनांक ..... प्रथम पक्ष श्री..... .....आ. श्री ..... निवासी..... .....जिन्हें आगे हितग्राही कहा गया है।

एवं

2. द्वितीय पक्ष नगर पालिक निगम/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया जब तक की संदर्भ से अन्यथा प्रतिकूल न हो इस शब्द में द्वितीय पक्ष के उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक एवं एसाइनीज भी सम्मिलित है।

एवं

3. .....बैंक/वित्तीय संस्था जो कि बैंक एक्ट ..... जिसका की पंजीयत कार्यालय.....स्थित है, और जिसका की प्रतिनिधित्व इसकी शाखाओं में से एक जो कि .....(मध्य प्रदेश) पर स्थित है, जिसे आगे की बैंक/वित्तीय संस्था के नाम से संबोधित किया गया है, इस शब्द में तृतीय पक्ष के जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रतिकूल न हो उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक एवं एसाइनीज भी सम्मिलित है।

4. हितग्राही को प्राधिकारी की जे.एन.एन.यू.आर.एम. (बी.एस.यू.पी.) योजना के अन्तर्गत स्थित .... निर्मित आवासीय इकाई/भवन क्र. ..... का आवंटन पत्र क्रं. ..... दि. ..... से द्वारा आवंटित किया गया है जिसका की हितग्राही द्वारा प्राधिकारी को एक मुश्त/किस्तों में जैसा की आवंटन की शर्तों में प्रावधानित किया गया है का भुगतान किया जाना है।

5. हितग्राही ने प्राधिकारी की उक्त योजना में आवासीय इकाई/भवन को क्रय करने हेतु हाउसिंग ऋण हेतु बैंक/वित्तीय संस्था से आवेदन किया गया है इसलिए बैंक/वित्तीय संस्था हितग्राही को रू. .....(रू. .....) केवल का हाउसिंग ऋण प्रदान करना स्वीकार किया है हितग्राही वित्तीय संस्था/बैंक से स्वीकृत उक्त हाउसिंग ऋण बैंक/वित्तीय संस्था में प्रचलित शर्तों के अधीन लेने में अपनी सहमति देता है।

6. शर्तों के अनुसार हितग्राही/प्राधिकारी को उपरोक्त भवन/आवासीय इकाई को बंधक रखने की सहमति वित्तीय संस्था/बैंक को देना आवश्यक है। ऋण ली गई राशि बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी में जमा की जावेगी तथा ऋण की अदायगी हितग्राही द्वारा उक्त बैंक/वित्तीय संस्थाओं को किया जायेगा।

7. हितग्राही इस बात की सहमति देता है कि, प्रत्येक स्थिति में बैंक/वित्तीय संस्था की ओर से प्राधिकारी को किये गये ऋण भुगतान, यह माना जावेगा मानो सीधे हितग्राही को किया गया हो यदि बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा अथवा हितग्राही द्वारा प्राधिकारी को भुगतान में किसी भी प्रकार का विलम्ब होता है तो दोनो ही स्थितियों में हितग्राही की ओर से त्रुटि मानी जायेगी एवं हितग्राही प्राधिकारी को इस प्रकार विलम्बित भुगतान के लिये शास्ति यदि कोई हो तो भुगतान करेगा।

8. तृतीय पक्ष बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋण स्वीकृत आदेश में दर्शित किस्तों का भुगतान लगातार तीन किस्तों से अधिक का विलम्ब होता है, तो प्राधिकारी द्वारा आवासीय इकाई का आवंटन निरस्त एवं आवासीय इकाई रिक्त कराकर पुनः आवंटन संचालनालय के सामान्य दिशानिर्देश क्रमांक/मा.प्र./07/5502 दिनांक 05.06.2015 के अनुसार किया जायेगा।

250

9. प्राधिकारी हितग्राही का पृथक लेखा संधारण करेगा और बैंक/वित्तीय संस्थान से इस प्राप्त होने वाली राशि का समायोजन उपरोक्त हितग्राही को आवंटित भवन/आवासीय इकाई की कीमत के मद में करेगा।

10. प्राधिकारी यह वचन देता है कि सम्पूर्ण भुगतान के उपरान्त भवन/आवासीय इकाई की लीजडीड निष्पादित करेगा, हितग्राही भी यह सुनिश्चित करेगा कि निष्पादित लीजडीड को पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध कराकर तुरन्त पश्चात वह उक्त भवन/आवासीय इकाई की लीजडीड/पट्टानामा बैंक/वित्तीय संस्था में जमा करेगा। तदउपरान्त हितग्राही को भवन/आवासीय इकाई का कब्जा दिया जायेगा।

11. बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत ऋण के लिये भवन/आवासीय इकाई उक्त ऋण की बंधक का भाग होगा।

12. प्राधिकारी इसके लिये सहमत है कि किसी भी स्थिति में हितग्राही को रिफण्ड द्वारा अथवा अन्य किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से कोई राशि का भुगतान बैंक/वित्तीय संस्था की लिखित सहमति के बिना नहीं करेगा।

13. भवन/आवासीय इकाई का पट्टा अहस्तांतरणीय है। हितग्राही उक्त भवन/आवासीय इकाई को दानपत्र/विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय किया जाना प्रतिबंधित रहेगा, नहीं कोई ऐसा कार्य करेगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त भवन के टाईटल को प्रभावित करता हो।

14. यदि हितग्राही की ऋण अवधि में मृत्यु हो जाती है, तो ऋण अदायगी की जिम्मेदारी उनके वारिस जिनके नाम पर प्राधिकारी के अभिलेखों में नामान्तरण/नाम संलग्न किया जायेगा, उनकी होगी।

15. हितग्राही द्वारा ऋण राशि की लगातार तीन किस्त अदायगी नहीं की जाती एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण अदायगी के संपूर्ण प्रयास करने के बाद यह सुनिश्चित हो गया हो कि हितग्राही ऋण की राशि अदा नहीं करेगा उस स्थिति में वित्तीय संस्थायें नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी को सूचना देगा, दी गई सूचना अनुसार नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा ऋण की राशि वापस प्राप्त करने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।

15.1 संबंधित नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा डिफाल्टर हितग्राही का आवास आवंटन निरस्त कर उस आवास को रिक्त कराया जायेगा। रिक्त होने के उपरांत नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा संधारित प्रतीक्षा सूची में से अग्रक्रम के आधार पर आवास का आवंटन किया जायेगा। यह प्रक्रिया नगरीय निकायों द्वारा 45 दिवस में पूर्ण की जायेगी। द्वितीय हितग्राही द्वारा स्वयं हितग्राही अंश की राशि जमा की जायेगी अथवा उसके पास राशि न होने की स्थिति में पुनः वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। यह प्रक्रिया द्वितीय हितग्राही द्वारा 30 दिवस में पूर्ण करनी होगी। द्वितीय हितग्राही, हितग्राही अंश की पूर्ति हेतु निम्न विकल्प अनुसार कार्यवाही कर सकता है :-

15.1.1 यदि द्वितीय हितग्राही द्वारा ऋण न लेते हुये नगद राशि जमा की जाती है, तो यह राशि नगरीय निकाय में जमा होगी। नगरीय निकाय, मूल हितग्राही द्वारा लिये गये ऋण के विरूद्ध कुल देय राशि (Total Dues) की पूर्ति मूल हितग्राही को ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंक/वित्तीय संस्था को प्रदाय करेगा। बैंक/वित्तीय संस्था की कुल देय राशि (Total Dues) देने के उपरांत राशि बचती है, तो वह मूल हितग्राही को वापस की जायेगी।

15.1.2 यदि द्वितीय हितग्राही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेता है तो इस संस्था द्वारा राशि नगरीय निकाय को भुगतान की जायेगी। नगरीय निकाय, मूल हितग्राही द्वारा लिये गये ऋण के विरूद्ध कुल देय राशि (Total Dues) की पूर्ति हेतु, मूल हितग्राही को ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंक/वित्तीय संस्था को प्रदाय करेगा। बैंक/वित्तीय संस्था की कुल देय राशि (Total Dues) देने के उपरांत राशि बचती है, तो वह मूल हितग्राही को वापस की जायेगी।

15.1.3 यदि द्वितीय हितग्राही उसी बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेता है, जिससे मूल हितग्राही का ऋण था, बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा द्वितीय हितग्राही को (खण्ड– 8 अनुसार) ऋण उपलब्ध कराया जायेगा एवं बैंक/वित्तीय संस्था की कुल देय राशि (Total Dues) देने के उपरांत राशि बचती है, तो वह मूल हितग्राही को वापस की जायेगी।

15.2 नगरीय निकायों में प्रतीक्षा सूची न होने की स्थिति में नगरीय निकाय द्वारा पुनः राज्य शासन के निर्देशानुसार हितग्राही का चयन कर आवंटन की प्रक्रिया कण्डिका 4 के अनुसार करेगा एवं द्वितीय हितग्राही को उपरोक्त प्रावधान अनुसार ऋण उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जावेगी।

"परन्तु यदि हितग्राही के ऋण अदायगी न करने की स्थिति में प्राधिकारी किसी भी कारण से आवासीय इकाई के पुर्न आवंटन में सफल न हो तो ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा प्राधिकारी को डिफाल्ट की दी गई सूचना की तिथि से 180 दिन के अंदर संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान प्राधिकारी द्वारा बैंक को किया जायेगा"।

प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष तृतीय पक्ष

252

260

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 22 अगस्त, 2015

क्रमांक एफ 19–54/2015/1/4 :: राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य में सबके लिए आवास 2022(प्रधानमंत्री आवास योजना) के संचालन करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश अनुसार राज्य स्तरीय स्वीकृत और निगरानी समिति (State Level Sanctioning and Monitoring Committee -SLSMC) का गठन करता है:–

1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
5	आयुक्त सह– सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास	सदस्य
6	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	सदस्य
7	अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास	सदस्य सचिव(राज्य नोडल अधिकारी)

SLSMC के कार्य निम्नलिखित सहित मिशन के समग्र कार्यान्वयन की प्रभारी होगी :–

1. सभी के लिए आवास कार्य योजना का अनुमोदन(एमएलएसएमसी) ।
2. वार्षिक कार्यान्वयन योजना का अनुमोदन ।
3. मिशन के विभिन्न घटको के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन
4. वार्षिक गुणवत्ता निगरानी योजनाओं का अनुमोदन ।
5. राज्य और शहर में अनुमोदित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा ।
6. मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी ।
7. मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित अन्य कोई विषय ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

24.8.15
(श्याम दाई धुर्वे)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग

24/8/2015

निसार ...

पृ० कमांक एफ 19–54/2015/1/4 भोपाल, दिनांक 24 अगस्त, 2015

प्रतिलिपिः–

1. समिति के अध्यक्ष / सदस्य / सदस्य सचिव
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की ओर जारी आदेश के साथ मूल नस्ती सहित।
5. उप संचालक, जनसम्पर्क, मंत्रालय, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

24.8.15

अवर सचिव
म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

24/8/2015

252

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल– 462004

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 8/9/2015

क्रमांक एफ 10-24/15/18-2 राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य में सबके के लिये आवास 2022 (प्रधानमंत्री आवास योजना) के संचालन करने के लिये भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश अनुसार "राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (State Level Appraisal Committee -SLAC) निम्नानुसार गठित करता है:–

प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास	अध्यक्ष
अपर संचालक, वित्त	सदस्य
मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास	सदस्य
आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी संबंधित नगरीय निकाय	सदस्य
योजना प्रभारी (कार्यपालन यंत्री), संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास	सदस्य–सचिव

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति के कार्य निम्नलिखित है :–

1. क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत डीपीआर के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन करना।
2. मूल्यांकन उपरांत अपनी रिपोर्ट तैयार कर एसएलएसएसी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत करना।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.एस. वर्मा)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

पृ.क्रमांक/F 10-24/18/2015 भोपाल दिनांक 8/9/2015

1. आयुक्त सह– सचिव, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।
3. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, जोनल कार्यालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया।
4. अपर आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।
5. मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास
6. योजना प्रभारी (कार्यपालन यंत्री), संचालनालय, नगरीय प्रशासन भोपाल।
7. स्टेट ऑफिसर, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

250

253

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

/ / आदेश / /

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर, 2015

क्रमांक एफ–10–47/2015/18–2 :: राज्य शासन एतद्द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास (शहरी) के संबंध में निम्नानुसार सैद्धांतिक सहमति प्रदान करता है :–

1. भारत सरकार आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा लागू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल 2022 प्रदेश में लागू करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा निर्धारित करार ज्ञापन (Memorandum of Agreement-MOA) जिसमें योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत अनुसार योजना क्रियान्वित करना एवं शहरी सुधार कार्यक्रम पर सहमति दी जाती है।

3. सभी के लिये आवास मिशन के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृत और निगरानी समिति (SLSMC) एवं प्रमुख अभियंता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता मे राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) का गठन किया जाता है।

3. (अ) *राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति "(State Level Sacnctioning and Monitoring Committee-SLSMC)"* निम्नानुसार गठित की जाती है :–

मुख्य सचिव	अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त	सदस्य
प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
प्रमुख सचिव, राजस्व	सदस्य
आयुक्त सह–सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास	सदस्य
संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	सदस्य
अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास (राज्य नोडल अधिकारी)	सदस्य–सचिव

259

एसएलएसएमसी के अध्यक्ष को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी सदस्य को सहयोजित करने अथवा सीएसएमसी की बैठक के लिए विशेष आमंत्रित को आमंत्रित करने का प्राधिकार होगा।

राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति "(State Level Sacnctioning and Monitoring Committee-SLSMC)" के व्यापक कार्य–निम्नलिखित सहित मिशन के समग्र कार्यान्वयन की प्रभारी होगी :–

I. सभी के लिए आवास कार्य योजना का अनुमोदन (एसएलएसएमसी)
II. वार्षिक कार्यान्वयन योजना का अनुमोदन।
III. मिशन के विभिन्न घटको के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन।
IV. वार्षिक गुणवत्ता निगरानी योजनाओं का अनुमोदन।
V. राज्य और शहर में अनुमोदित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा।
VI. मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी।
VII. मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित अन्य कोई विषय।

3. (ब) *राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति "(State Level Appraisal Committee-SLAC)" निम्नानुसार गठित की जाती है :–*

प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास	अध्यक्ष
अपर संचालक, वित्त	सदस्य
मुख्य अभियंता, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग	सदस्य
मुख्य अभियंता, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल	सदस्य
मुख्य अभियंता, भोपाल विकास प्राधिकरण	सदस्य
आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी संबंधित नगरीय निकाय	सदस्य
योजना प्रभारी (कार्यपालन यंत्री), संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास	सदस्य–सचिव

राज्य स्तरीय मुल्यांकन समिति "(State Level Appraisal Committee-SLAC)" के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है :–

I. कियान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत डीपीआर को तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन करना।

258

11. मूल्यांकन उपरांत अपनी रिपोर्ट तैयार कर एसएलएसएमसी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत करना।

4. संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास को नोडल एजेन्सी नियुक्त करते हुए अपर आयुक्त, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को मिशन संचालक मनोनीत किया जाता है।

5. योजना के कियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ एवं शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ के वित्तीय प्रबंधन एवं गठन की स्वीकृति दी जाती है।

6. (i) प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक–3 Affordable Housing in Partnership के अंतर्गत मलिन बस्तियों के हितग्राहियों के लिए निर्मित किये जाने वाली आवासीय इकाईयों के लिए प्रति आवासीय इकाई राज्यांश अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी जाती है। अनुदान की मात्रा के लिए मुख्यमंत्रीजी को अधिकृत किया जाता है।

(ii) अधोसंरचना विकास का कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जायेगा। नगरीय निकाय को स्वयं की निधि, अन्य योजना–अमृत, मुख्यमंत्री अधोसंरचना अथवा आश्रय निधि के उपयोग से यह कार्य करने की अनुमति दी जाती है।

(iii) आवासीय इकाई में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अनुदान के अतिरिक्त लगने वाली राशि हितग्राही द्वारा वहन किये जाने की अनुमति दी जाती है।

(iv) यदि किसी शासकीय एजेन्सी अथवा निजी कोलोनाईजर द्वारा ग्रीन फील्ड/हाउसिंग स्टॉक योजना कियान्वित की जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा यह अनुदान नहीं दिया जावेगा, परन्तु एजेन्सी भारत सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकेंगी।

(v) प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक–4 Subsidy for Beneficiary-led Individual House Construction में राज्य सरकार द्वारा राज्यांश हितग्राही को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी जाती है। अनुदान की मात्रा के लिए मुख्यमंत्रीजी को अधिकृत किया जाता है।

1256

7. जे.एन.एन.यू.आर.एम. (बी.एस.यू.पी./आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत निर्मित आवासीय इकाईयों के हितग्राही को हितग्राही अंश की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋण के लिये राज्य सरकार की ओर से ब्याज अनुदान प्रदान किया जायेगा। अनुदान की मात्रा के लिए मुख्यमंत्रीजी को अधिकृत किया जाता है।

8. आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लिये निर्धारित आय–सीमा एवं भूखण्ड के आकार में वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है। अब इन वर्गों के लिए भूखण्डों का आकार इस प्रकार होगा।

1.	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिये 30 वर्गमीटर तक।
2.	निम्न आय वर्ग के लिये 60 वर्गमीटर तक।

9. कट–ऑफ डेट (Cut-off Date) एवं हितग्राही चयन की प्रकिया का निर्धारण समय–समय पर विभाग द्वारा किया जावेगा।

10. प्रधानमंत्री आवास योजना कियान्वयन हेतु राजस्व भूमि राशि रूपये 1 भू–भाटक पर निर्माण एजेन्सी को कलेक्टर द्वारा समय–सीमा 90 दिन में आवंटित करने एवं मलिन बस्ती व्यवस्थित करने पर जो भूमि अतिशेष के रूप में शेष होगी, वह भूमि नगरीय निकाय द्वारा अन्य योजनाओं हेतु अपने अधिग्रहण में लेने के लिये स्वीकृति पृथक से मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा जारी की जावेगी।

11. परियोजना लागू करने की अवधि में योजना लागत की कुल सीमा के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों के मध्य लक्षित की गई आवासीय इकाईयों की संख्या एवं अनुदान राशि में योजना के प्रगति के आधार पर आंतरिक परिवर्तन किये जाने की अनुमति दी जाती है।

12. प्रदेश द्वारा अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रगति करने की दशा में अतिरिक्त केन्द्रांश प्राप्त करने की स्थिति में राज्यांश की राशि में वृद्धि किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

13. नगरीय निकाय आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लिये भूखण्ड विकसित कर सकेगें। भूखण्डों के आवंटन के उपरांत आवासीय इकाई के निर्माण हेतु योजनांतर्गत अनुदान राशि उपलब्ध करायी जावेगी।

14. आवासीय परियोजना में मलिन बस्ती में निवासरत हितग्राहियों के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी की आवासीय इकाईयों के निर्माण के साथ निम्न आय वर्ग के लिये

260

मिश्रित रूप से बहुमंजिला आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जावेगा, परन्तु केन्द्रांश के साथ राज्यांश का अनुदान आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग को ही उपलब्ध कराया जावेगा, निम्न आय वर्ग के लिये निर्मित आवासीय इकाईयों को भारत सरकार से निर्धारित ब्याज अनुदान उपलब्ध हो सकेगा। निम्न आय वर्ग की आवासीय इकाईयों का व्ययन निर्माण एजेन्सी अपने व्ययन नियमों के अनुसार कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ओम प्रकाश श्रीवास्तव)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

पृष्ठां.क्र. एफ–10–47/2015/18–2 भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर, 2015

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल,
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग/राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
5. समस्त कलेक्टर
6. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, भोपाल,
7. आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल, म.प्र.
8. आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल, म.प्र.
9. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, म.प्र.
10. समस्त उप संचालक, संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.
11. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर परिषद, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13/11/15

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

252

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 6–120 / 2015 / सात–नजूल भोपाल,दिनांक 17 / 12 / 2015

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त,
मध्य प्रदेश

2. समस्त कलेक्टर
मध्य प्रदेश

विषय:– प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास– 2022 (शहरी) के क्रियान्वयन के लिए शासकीय नजूल भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाना।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वयन हेतु राजस्व भूमि राशि रू0 1.00 भू–भाटक पर निर्माण एजेंसी को कलेक्टर द्वारा समय–सीमा 90 दिन में आवंटित करने एवं मलिन बस्ती व्यवस्थित करने पर जो भूमि अतिशेष के रूप में शेष होगी, वह भूमि नगरीय निकायों को अन्य योजनाओं हेतु अपने अधिग्रहण में लेने की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह निर्देश राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड –चार क्रमांक– 1 का भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुमन रायकेवार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

पृ0क्रमांक एफ 6–120 / 2015 / सात–नजूल भोपाल,दिनांक 17 / 12 / 2015

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त, की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

259

मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
"मंत्रालय"

क्रमांक– 2002 / 2015 / 18–3 भोपाल, दिनांक 30-12-15

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः– मध्यप्रदेश, नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टावृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिया जाना।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का परिपत्र क्रमांक–एफ–1–6 / 2013 / 18–3, दिनांक 29 अप्रैल, 2013।

—oo—

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टावृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत संदर्भित परिपत्र द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में राज्य शासन, नगरीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरणों की भूमि पर काबिज व्यक्ति जो वहां वास्तविक रूप से निवास कर रहा है, कोई मकान या भूमि या तो अपने स्वयं के नाम पर या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से स्वामित्व में नहीं रखता हो, को आवासीय पट्टों का वितरण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये थे। राज्य शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि परिपत्र में दी गयी समय–सीमा में कतिपय नगरीय क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों को पट्टा प्रदाय नहीं हो पाया है।

2 संदर्भित परिपत्र में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र हितग्राहियों के सर्वेक्षण तथा पट्टा वितरण की संशोधित समय सारणी जारी किये जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है, जिससे नगरीय क्षेत्र के छूटे हुये पात्र हितग्राहियों को पट्टा प्रदाय किया जा सके। संशोधित समय सारणी निम्नानुसार है :–

2.1 <u>31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों हेतु सर्वेक्षण की समय सारणी</u> :

(1)	सर्वेक्षण दलों का गठन तथा सर्वेक्षण प्रारंभ करने की तिथि	–	01 जनवरी, 2016
(2)	सर्वेक्षण समाप्त होने की तिथि	–	31 जनवरी, 2016
(3)	प्रारंभिक सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन	–	05 फरवरी, 2016
(4)	अंतिम सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन	–	20 फरवरी, 2016
(5)	सर्वेक्षण सूची प्राधिकृत अधिकारी तथा कलेक्टर के हस्ताक्षर से आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को भेजने की तिथि	–	25 फरवरी, 2016

2.2 <u>31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों हेतु पट्टा वितरण की समय–सारणी</u> :

(1)	व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित बस्तियों की पहचान ऐसे व्यवस्थापन हेतु उपयुक्त स्थल का चयन एवं संबंधित औपचारिकताओं की पूर्ति	–	20 फरवरी, 2016

260

(2) चिन्हित हितग्राही संख्या के अनुपात में स्थाई तथा अस्थाई पट्टा विलेखों का मुद्रण – 25 फरवरी, 2016
(3) पट्टों के वितरण की कार्यवाही प्रारंभ करना – 25 फरवरी, 2016
(4) पट्टा वितरण की कार्यवाही पूर्ण करना – 31 मार्च, 2016
(5) वितरित किये गये पट्टों की जानकारी आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रस्तुत करना – 05 अप्रैल, 2016

31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों हेतु सर्वेक्षण तथा पट्टा वितरण संबंधी अन्य प्रावधान मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के संदर्भित परिपत्र क्रमांक–एफ–1–6/2013/18–3 दिनांक 29 अप्रैल, 2013 के अनुसार रहेंगे। (परिपत्र की प्रति संलग्न है)

3. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अन्तर्गत प्रावधानित समय सीमा दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को संशोधित करके दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 किये जाने पर विचार किया जा रहा है तथा नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत शहरों को झुग्गी मुक्त किये जाने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में हितग्राहियों की पात्रता के निर्धारण हेतु सर्वेक्षण के साथ–साथ दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति में राज्य शासन, नगरीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरणों की भूमि पर काबिज व्यक्ति जो वहां वास्तविक रूप से निवास कर रहा है, कोई मकान या भूमि या तो अपने स्वयं के नाम पर या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से स्वामित्व में नहीं रखता हो, को आवासीय पट्टों को प्रदान किये जाने हेतु सर्वेक्षण किया जाये। 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों हेतु सर्वेक्षण के साथ–साथ दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति में हितग्राहियों के सर्वेक्षण की कार्यवाही हेतु समय सारणी निम्नानुसार है :–

3.1 <u>31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों हेतु सर्वेक्षण की समय सारणी</u> :

(1) सर्वेक्षण दलों का गठन तथा सर्वेक्षण प्रारंभ करने की तिथि – 01 अप्रैल, 2016
(2) सर्वेक्षण समाप्त होने की तिथि – 30 अप्रैल, 2016
(3) प्रारंभिक सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन – 05 मई, 2016
(4) अंतिम सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन – 20 मई, 2016
(5) सर्वेक्षण सूची प्राधिकृत अधिकारी तथा कलेक्टर के हस्ताक्षर से आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को भेजने की तिथि – 25 मई, 2016

दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों के आवासीय पट्टा वितरण के लिये समय सारणी पृथक से प्रेषित की जायेगी।

4. उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये शहरी भूमिहीन व्यक्तियों को आवासीय भूमि के पट्टे दिये जाने में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाये तथा आवश्यकतानुसार संपन्न की जाने वाली कार्यवाही का समुचित प्रसार–प्रचार भी किया जाये।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(विवेक अग्रवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

264

पृष्ठ. क्रमांक- 2003 /2015/18-3 भोपाल, दिनांक 30-12-15

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
9. समस्त संभागीय उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
10. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

262

मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
"मंत्रालय"

क्रमांक–19/02 /2015/18–3 भोपाल, दिनांक 2/1/2016

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः–मध्यप्रदेश, नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिया जाना।

संदर्भः–1. मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का परिपत्र क्रमांक–एफ–1–6/2013/18–3, दिनांक 29 अप्रैल, 2013।
2. मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का परिपत्र क्रमांक–2002/2015/18–3, भोपाल दिनांक 30.12.2015।

—00—

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत संदर्भित परिपत्रों द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में राज्य शासन, नगरीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरणों की भूमि पर काबिज व्यक्ति जो वहां वास्तविक रूप से निवास कर रहा है, कोई मकान या भूमि या दो अपने स्वयं के नाम पर या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से स्वामित्व में नहीं रखता हो, का सर्वे तथा पात्र व्यक्तियों को आवासीय पट्टों का वितरण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने हेतु निर्देश तथा समय सारणी दी गयी है। संदर्भित परिपत्र क्रमांक–2 में दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में छूटे हुये पात्र हितग्राहियों के सर्वेक्षण तथा पट्टा वितरण की समय सारणी पृथक–पृथक दी गयी है।

2. संदर्भित परिपत्र क्रमांक–2 में दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों के सर्वेक्षण तथा पट्टा वितरण की समय सारणी में दी गयी समय सीमा सर्वेक्षण तथा पट्टा वितरण की अधिकतम समय सीमा है। मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यदि सर्वेक्षण का कार्य अधिकतम समय सीमा के पूर्व सम्पन्न कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को पट्टा वितरण का कार्य परिपत्र में निर्धारित समय सीमा के पूर्व किया जा सकता है। पट्टा वितरण का कार्य परिपत्र में दी गयी अधिकतम समय सीमा में आवश्यक रूप से सम्पन्न कराया जाये।

(विवेक अग्रवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

निरंतर.....2

263

पृष्ठ क्रमांक- 71/ [illegible] /2015/18-3 भोपाल, दिनांक 2/1/2016

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त [illegible] एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. आयुक्त [illegible] निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. समस्त [illegible] आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. [illegible] मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
5. समस्त [illegible] उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
6. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश।

[illegible]

[illegible]

नगरीय विकास [illegible]

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

264

/ / आदेश / /

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी, 2016

क्रमांक एफ–10–47/2015/18–2 :: प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास (शहरी) के संबंध में राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.11.2015 द्वारा जारी आदेश में वर्णित 14 कंडिका में उल्लेखित विवरण के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास (शहरी) के संबंध में राज्य शासन द्वारा अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई थी ।

2/ राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.11.2015 की कंडिका क्रमांक 6 (i), 6 (v) एवं कंडिका क्रमांक–7 में अंकित विवरण के साथ ही निम्नांकित विवरण अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है:–

"कंडिका क्रमांक– 6(i) प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक–3 Affordable Housing in Partnership मलिन बस्तियों के हितग्राहियों के लिये निर्मित किये जाने वाले आवासीय इकाईयों के लिये प्रति आवासीय इकाई राज्यांश राशि रू. 1.5 लाख।"

"कंडिका क्रमांक– 6(V) प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक–4 Subsidy for beneficiary-led individual house construction हितग्राहियों द्वारा स्वयं निर्माण किये जाने वाले आवासीय इकाईयों के लिए प्रति आवासीय इकाई राज्यांश राशि रू. 1.00 लाख।"

"कंडिका क्रमांक–7 जे.एन.एन.आर.यू.आर.एम.(बी.एस.यू.पी./आई.एच.एस.डी.पी.)के अंतर्गत निर्मित आवासीय इकाईयों के हितग्राही को हितग्राही अंश की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋण के लिये राज्य सरकार की ओर से ब्याज अनुदान 05 प्रतिशत दिया जाएगा।"

3/ शेष विवरण विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13.11.2015 में उल्लेखित अनुसार यथावत रहेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
10/1/16
(ओम प्रकाश श्रीवास्तव)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

पृष्ठां.क्रं. एफ–10–47/2015/18–2 भोपाल, दिनांक 21 जनवरी, 2016

प्रतिलिपि :–

प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल,

1.प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल,

2.अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग/राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल,

3.समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश

4.समस्त कलेक्टर

5.आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, भोपाल,

6.आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल, म.प्र.

7.आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल, म.प्र.

8.समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, म.प्र.

9.समस्त उप संचालक, संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.

10.समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर परिषद, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0, भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Nawab Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2554000 Fax 0755-2554001
Email:- anand.singh@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

266

क्रमांक/सं0प्र0/07/2016/ 1204 भोपाल, दिनांक 28/1/2016

प्रति,

संयोजक,
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,
क्षेत्रीय कार्यालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
अरेरा हिल्स, भोपाल
मध्यप्रदेश

विषय :- जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजनांतर्गत (बी.एस.यू.पी./आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत निर्मित आवासीय इकाईयों के लिए हितग्राही अंश की पूर्ति के सम्बंध में।

संदर्भ :- म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–10-47/2015/16-2 दिनांक 21 जनवरी, 2016।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित संलग्न आदेश अनुसार जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजनांतर्गत (बी.एस.यू.पी./आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत निर्मित आवासीय इकाईयों के लिए हितग्राही अंश की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले ऋण में राज्य सरकार की ओर से ब्याज अनुदान 05 प्रतिशत दिया जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजनांतर्गत (बी.एस.यू.पी./आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत निर्मित आवासीय इकाईयों के लिए हितग्राही अंश की पूर्ति हेतु हितग्राहियों को उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण में 05 प्रतिशत अनुदान दिये जाने के लिए प्रदेश के समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, हाउसिंग फायनेंस कंपनी एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को अनुदान कार्य में दो वर्ष संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के माध्यम से बैंकों की मांग पर उपलब्ध कराया जायेगा। प्रदेश के जिन वित्तीय संस्थाओं द्वारा हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा वह संचालनालय को मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे।

कृपया संलग्न आदेश से राष्ट्रीय बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अवगत कराने का कष्ट करें।

(संलग्न- उपरोक्तानुसार आदेश की प्रति)

(प्रियंका दास)
अपर आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक/सं.प्र./07/2016/1205 भोपाल, दिनांक 28/1/2016

प्रतिलिपि :-

1. समस्त आयुक्त, नगर पालिका निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर परिषद् मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय प्रबंधक, हब्बो क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय प्रधानीय प्रतिनिधि, नेशनल हाउसिंग बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, भोपाल।
4. जोनल प्रमुख, समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक/प्रायवेट बैंक/हाउसिंग फायनेंस कम्पनी एवं अन्य वित्तीय संस्था।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

Updated-Letter Holder-Bhopal_Sir Letter.docx

267

मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
"मंत्रालय"

क्रमांक– 1573 /2015/18–3 भोपाल, दिनांक 02-2-2016

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः– मध्यप्रदेश, नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिया जाना।

संदर्भः– 1. मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का परिपत्र क्रमांक–एफ–1–6/2013/18–3, दिनांक 29 अप्रैल, 2013 ।

2. मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का परिपत्र क्रमांक–एफ–1–6/2013/18-3, दिनांक 05.01.2016 ।

3. मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का परिपत्र क्रमांक–70/7/2015/18–3, भोपाल दिनांक 02.01.2016 ।

---00---

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के अन्तर्गत संदर्भित द्वितीय तथा तृतीय परिपत्र में पात्र हितग्राहियों के सर्वेक्षण तथा पट्टा वितरण की संशोधित समय सारणी दी गयी है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि पट्टा वितरण का कार्य प्रदेश समस्त नगरीय निकायों में एक निश्चित तिथि पर किया जाये। अतः पट्टा वितरण हेतु समय सारणी दिनांक 25 फरवरी, 2016 से 31 मार्च 2016 तक को निरस्त किया जाता है। शेष कार्यवाही संदर्भित परिपत्रों के अनुसार संपादित की जाये। पट्टा वितरण की तिथि को पृथक से सूचित किया जायेगा।

(विवेक अग्रवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

F.NO.162 LETTER GOVT.M.P.

268

पृष्ठ क्रमांक— 1574 /2015 / 18–3 भोपाल, दिनांक 02-3-2016

प्रतिलिपि:—

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
9. समस्त संभागीय उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
10. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 92] भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 फरवरी 2016—फाल्गुन 5, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2016

अधि. क्र. 4-इक्ष-1-1 2016-असाढ़-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 80 के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 109 के साथ पठित धारा 355 इन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम, 2016 है.

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

(3) ये नियम समस्त नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों तथा नगर परिषदों को लागू होंगे.

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961);

(ख) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम की स्थिति में आयुक्त तथा नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् की स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, कि इन नियमों के नियम 5 के खण्ड (एक) के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति के अंतरण को स्वीकृति देने के लिये विहित प्राधिकारी;

(घ) "संपरिवर्तन" से अभिप्रेत है, पट्टा दी गयी भूमियों के संबंध में फ्री-होल्ड अधिकार का दिया जाना;

(ङ) "परिषद्" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) के अधीन गठित नगरपालिक निगम कोई तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद्;

(च) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों के संलग्न प्ररूप;

(छ) "पट्टा" से अभिप्रेत है, किसी वर्तमान जंगम या स्थावर सम्पत्ति का वह अंतरण जो एक व्यक्ति द्वारा जो दान करता है, दूसरे व्यक्ति को, जो अदत्ता करता है, स्वेच्छया और

270

प्रतिफल के बिना किया गया हो और आदाता द्वारा या की ओर से प्रतिग्रहीत किया गया हो;

(ज) "अचल संपत्ति" से अभिप्रेत है, स्थानीय नगरीय निकाय के स्वामित्व का भवन, भूमि दुकान, छत, पगडंडी, बरामदा, सीढ़ियाँ आदि परन्तु उसके अन्तर्गत खड़ा काष्ठ, उगती फसलें या घास सम्मिलित नहीं है;

(झ) "भूमि" में सम्मिलित है, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, मकान और भूमि से बद्ध या भूमि से बद्ध किसी वस्तु से स्थायी रूप से बंधी हुई वस्तुएं तथा ऐसी भूमि भी सम्मिलित है जिस पर निर्माण किया जा रहा हो या निर्माण किया गया हो या जो छत से ढंकी हुई हो;

(ञ) "पट्टा" से अचल सम्पत्ति का उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अन्तरण अभिप्रेत है जो एक अनिश्चित या विवर्धित समय के लिए या शाश्वत काल के लिए, किसी कीमत के, जो दी गई हो या जिसे देने का वचन दिया गया हो, अथवा धन या फसलों के अंश या सेवा या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के जो कालावधि रूप से या विनिर्दिष्ट अवसरों पर अन्तरिती द्वारा, जो उस अंतरण को ऐसे निबंधनों पर प्रतिग्रहीत करता है, अन्तरक को या दी जानी है, प्रतिफल के रूप में किया गया हो ;

(ट) "बाजार मूल्य" से अभिप्रेत है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अधीन बनाये गये मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का कथित जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के अधीन कलेक्टर, द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार निर्धारित भूमि/भवन का मूल्य

(ठ) "प्रीमियम" से अभिप्रेत है, ऐसी राशि जो आवंटिती द्वारा आवंटन के समय भू-भाटक को छोड़कर दिया जी गई हो ;

(ड) "आरक्षित मूल्य" से अभिप्रेत है, सम्पत्ति के अंतरण के प्रयोजन हेतु स्थानीय नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया मूल्य ;

(ढ) "विक्रय" से अभिप्रेत है, ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण जो दी जा चुकी हो या जिसके देने का वचन दिया गया हो या जो अंशतः दी जा चुकी हो या जिसके अंशतः दिए जाने का वचन दिया जा चुका हो ;

(ण) "प्रतिभूति" से अभिप्रेत है, निधियों का ऐसी शर्तों के अधीन, जो कि अवधारित की जाएं, निक्षेप किया जाना ;

(त) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(थ) "संपत्ति का अंतरण" से अभिप्रेत है, स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा किसी निश्चित संमवाधि के लिये एक या अनेक व्यक्तियों को यथा निर्धारित किन्हीं शर्तों के अधीन प्रीमियम एवं भू-भाटक अथवा संपरिवर्तन (फ्री-होल्ड) पर अचल सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार का दिया जाना ;

(द) "स्थानीय नगरीय निकाय" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-7 के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम या मध्यप्रदेश

276

नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-5 के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद्;

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों से, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

3. अचल सम्पत्ति का अंतरण :-

(1) निविदा आमंत्रण द्वारा – यथास्थिति नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् द्वारा किसी भी अचल सम्पत्ति जो ऐसी स्वरूप की हो कि जिसका अंतरण संबंधित निकाय तथा सार्वजनिक हित में हो, आमंत्रित की गई निविदा में सर्वोच्चतम दर प्रस्तावित करने वाले के सिवाय किसी अन्य को न तो पट्टे पर, न संपरिवर्तन द्वारा बेची जायेगी न अन्यथा अन्तरित की जायेगी। निविदाएं आमंत्रित करने संबंधी सूचना, सम्पत्ति का विवरण, पट्टे या विक्रय की शर्तें, निविदा प्रस्तुत करने की तारीख, समय तथा स्थान का उल्लेख करते हुये निविदा प्राप्त करने की तारीख, से कम से कम 15 दिवस के पूर्व कम से कम दो समाचार पत्रों में, जिसमें से एक स्थानीय हिन्दी समाचार पत्र होगा, प्रकाशित की जायेगी तथा नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्/कलेक्टर एवं आयुक्त के कार्यालयों में नोटिस बोर्ड पर लगाकर भी प्रकाशित की जाएगी। निविदा आमंत्रित करने हेतु अंतरित की जाने वाली सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य की गणना नियम 6 के अनुसार की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार प्राप्त हुई निविदाओं में से किसी भी निविदा को स्वीकार कर सकेगा, परन्तु जहाँ वह सबसे ऊँची निविदा को स्वीकार न करे वहाँ वह ऐसा करने के लिये कारण अभिलिखित करेगा।

(2) निविदा आमंत्रण के बिना – यदि नियम 10 के अन्तर्गत व्यवस्थापन हेतु, शैक्षणिक, धार्मिक या सार्वजनिक प्रयोजन के लिये लोक संस्थाओं को उपरोक्तानुसार अचल सम्पत्ति अंतरण के लिये बन्द लिफाफे में निविदा आमंत्रित करना वांछनीय नहीं है, तो स्थानीय नगरीय निकाय राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से बन्द लिफाफे में प्रस्थापना आमंत्रित किये बिना ऐसे अंतरण कर सकेगा तथा ऐसे अंतरण के लिये संबंधित निकाय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की निम्नलिखित जानकारी के साथ स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजेगा,–

(एक) सम्पत्ति की प्रकृति अर्थात् भूमि, दुकान, भवन आदि;

(दो) ऐसी सम्पत्ति का क्षेत्रफल उसकी स्थल योजना (साईट प्लान) के साथ;

(तीन) परिषद् द्वारा अर्जित/क्रय की गई भूमि की दशा में वह प्रयोजन जिसके लिये भूमि अर्जित/ क्रय की गई है;

(चार) वह प्रयोजन जिसके लिये क्षेत्रीय विकास योजना में ऐसी भूमि अथवा सम्पत्ति नियत की गई है;

(पांच) वह प्रयोजन जिसके लिए वर्तमान में सम्पत्ति उपयोग में आ रही है;

(छह) वह प्रयोजन जिसके लिये ऐसी सम्पत्ति का उपयोग उस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसको आवंटन की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है;

272

(सात) भवन अथवा दुकान की स्थिति में उसकी लागत और सानिर्माण पूर्ण होने का दिनांक;

(आठ) सम्पत्ति के लिये आरक्षित मूल्य व वार्षिक पट्टा भाड़े का गणना चक्र;

(नौ) आबंटन की शर्तें

परन्तु किसी भी ऐसी अचल सम्पत्ति का अंतरण राज्य सरकार की स्वीकृति से उचित प्रीमियम दर जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाये, किया जा सकेगा। परन्तु, उक्त भूमि का वार्षिक भू-भाटक आरक्षित मूल्य का 0.5 प्रतिशत होगा:

परन्तु यह और कि उक्त भूमि के आबंटन के पश्चात् राशि जमा होने के बाद स्थानीय नगरीय निकाय एवं संबंधित आबंटिती के मध्य अंतरण के संबंध में पंजीबद्ध विलेख निष्पादित किया जायेगा, जिसमें होने वाला समस्त व्यय आबंटिती द्वारा वहन किया जायेगा तथा पंजीबद्ध विलेख निष्पादित होने के उपरान्त आबंटित भूमि का कब्जा, यथासंभव उचित समय में स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा आबंटिती को सौंप दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि नियम 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी शैक्षणिक, धार्मिक या किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए पंजीकृत लोक संस्थाओं को किसी अचल सम्पत्ति का अंतरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विहित की गई शर्तों व दरों के अनुसार किया जाएगा।

4. पट्टे पर दी गई अचल संपत्ति का नामान्तरण :-

(1) सम्पत्ति का विधिपूर्ण अंतरण हो जाने पर अचल सम्पत्ति का नामान्तरण किया जा सकेगा। पात्रिकृत अधिकारी अंतिम निर्णय करने के पूर्व दो दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित करेगा तथा प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई उपरान्त, विधि अनुसार नामान्तरण आवेदन पर आदेश पारित करेगा। नामान्तरण आवेदन पर विचारण के दौरान अगर यह तथ्य ज्ञान में आता है कि मौके पर पट्टे की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, तो इन नियमों के उपबंधों के अन्तर्गत उल्लंघन का प्रशमन करते हुए नामान्तरण किया जा सकेगा। नामान्तरण की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए की जाएगी, -

(एक) नामान्तरण के उपरान्त नवीन आबंटिती तथा स्थानीय नगरीय निकाय के मध्य पुनः पूर्व शर्तों का उल्लेख करते हुये बकाया अवधि के लिये संबंधित अनुबंध करवाया जायेगा, जिसके पंजीकरण आदि में होने वाला समस्त व्यय नवीन आबंटिती द्वारा वहन किया जायेगा।

(दो) नामान्तरण के उपरांत पूर्व आबंटिती के साथ निष्पादित किया गया अनुबंध निरस्त समझा जाएगा। इस संशोधित अनुबंध में पूर्व की समस्त शर्तें अन्तर्विष्ट होंगी।

(तीन) आबंटिती द्वारा स्थानीय निकाय की आस्तियों के प्रस्तुत आवेदन, जो तात्समय सुसार न्यास, नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर परिषद् द्वारा आबंटित सम्पत्ति यथा भू-खण्ड/दुकान/भवन, जो लीज/किरायेदारी/अनुज्ञप्ति/पट्टे पर दी गई है, इनका निराकरण कार्यालयीन पंजी एवं अभिलेख से किया जाएगा:

272

परन्तु,

(क) यदि कार्यालय में अभिलेख उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित सम्पत्ति की नस्ती का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए संबंधित से सुसंगत अभिलेख/साक्ष्य प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी प्रति का मूल से मिलान करके तथा नस्ती का निर्माण करने के पश्चात् सार्वजनिक सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। आपत्तियों का निराकरण कर उसके दस्तावेजों का निर्धारण कर नस्ती का पुनर्निर्माण अंतिम रूप से किया जाएगा।

(ख) यदि पट्टे की भूमि/भवन/दुकान के उपयोग के अधिकारों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संबंधित को मामले का विधि के समक्ष न्यायालय द्वारा विनिश्चय करवाने के लिए एक अवसर दिए जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए नामांतरण की कार्यवाही को तीन मास की कालावधि के लिए स्थगित रखा जाएगा। उक्त कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् नस्ती का पुनर्निर्माण करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

(2) पट्टाधारी की मृत्यु होने पर उसके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा नामांतरण का आवेदन दिये जाने पर नामांतरण शुल्क रु. 5000/- जमा करके नामांतरण किया जायेगा। अचल सम्पत्ति के अंतरण की स्थिति में पट्टे के अन्तरण की तारीख से प्रीमियम राशि का 1.00 प्रतिशत आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटित /भवन हेतु तथा वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयोग होने की स्थिति में प्रीमियम का 2.00 प्रतिशत की दर से नामांतरण प्रभारों की गणना की जाएगी। सम्पत्ति के मूल्य की गणना कलेक्टर गाईड लाइन के अनुसार की जाएगी।

(3) यदि पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्तों के अनुसार प्रकोष्ठों का निर्माण किया गया है तथा निर्मित प्रकोष्ठों का या तो विक्रय कर दिया गया है या शेष प्रकोष्ठ मूल आवंटिती के ही स्वामित्व में धारित हैं, तब ऐसे प्रकरणों में प्रकोष्ठ धारियों के पक्ष में पट्टे किए जा सकेंगे। ऐसे प्रकरण का परीक्षण कर प्रत्येक प्रकोष्ठधारी के पक्ष में पट्टा विलेख का निष्पादन किए जाने संबंधी कार्यवाही निम्नानुसार की जाएगी:-

(क) प्रत्येक प्रकोष्ठधारी के प्रकोष्ठ हेतु निष्पादित विक्रय विलेख में उल्लिखित स्वत्व के अनुपात में आवंटित पट्टे के भू-खण्ड के अविभक्त अंश का हकदार होगा। अनुपात की गणना प्रकोष्ठधारी द्वारा धारित प्रकोष्ठ के क्षेत्रफल (कुल बिल्ट अप एरिया) को निर्मित भवन के सभी प्रकोष्ठों के कुल क्षेत्रफल से विभाजित कर की जाएगी। इस प्रकार परिगणित अनुपात अनुसार भू-खण्ड का जो अविभक्त क्षेत्रफल प्राप्त होगा, उसके अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर नामांतरण शुल्क रु. 2000/- लिया जाकर नामांतरण किया जा सकेगा।

(ख) उक्त प्रकार से किए गए समस्त पट्टों का समयावधि समाप्त होने पर नियम 17 के अनुसार नवीनीकरण किया जा सकेगा।

5. अचल सम्पत्ति के अंतरण हेतु सक्षम प्राधिकारी :-

(एक) विक्रय, पट्टे, दान, बंधक या विनिमय द्वारा अचल संपत्ति का अंतरण किए जाने की दशा में अंतरण की स्वीकृति देने की शक्तियां निम्नानुसार प्राधिकारियों में निहित होंगी :-

274

क्र.	स्थानीय नगरीय निकाय की श्रेणी	सम्पत्ति का मूल्य	स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक निगम	रूपये 10.00 करोड़ तक	परिषद
		रूपये 10.00 करोड़ से अधिक रूपये 20.00 करोड़ तक	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास
		रूपये 20.00 करोड़ से अधिक	राज्य सरकार
2	5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरपालिक निगम तथा नगरपालिका परिषद्	रूपये 2.00 करोड़ तक	परिषद
		रूपये 2.00 करोड़ से अधिक रूपये 5.00 करोड़ तक	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास
		रूपये 5.00 करोड़ से अधिक	राज्य सरकार
3	नगर परिषद्	रूपये 50.00 लाख तक	परिषद्
		रूपये 50.00 लाख से अधिक 5.00 करोड़ तक	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास
		रूपये 5.00 करोड़ से अधिक	राज्य सरकार

(दो) संबंधित स्थानीय नगरीय निकाय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी उक्त अन्तरण से संबंधित सम्पत्ति की विस्तृत जानकारी सहित प्रकरण तैयार कर स्वीकृति हेतु आवेदित करेगा। स्थानीय नगरीय निकाय के स्वामित की कोई अचल सम्पत्ति यदि अंतरण योग्य हो तो ऐसी सम्पत्ति का सर्वे किया जाकर उसके स्वामित्व के संबंध में आवश्यक अभिलेख आदि संकलित किये जाएंगे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रमाणित किया जाएगा कि ऐसी सम्पत्ति का अंतरण स्थानीय नगरीय निकाय के हित में है। प्रस्ताव निर्णय हेतु संबंधित स्थानीय नगरीय निकाय की परिषद् में प्रस्तुत किया जाएगा। परिषद् द्वारा विचारोपरांत अंतरित की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण उल्लेख करते हुए प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा तथा सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य तथा भू-भाटक तदनुसार निर्धारित किए जाएंगे।

6. आरक्षित मूल्य.—

(1) अंतरित की जाने वाली सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य की गणना निम्नानुसार की जाएगी –

(क) अचल सम्पत्ति के अधीन उपयोग में लायी गई भूमि का मूल्य–प्रचलित कलक्टर गाईड लाईन के अनुसार.

(ख) अचल सम्पत्ति के निर्माण में आयी वास्तविक लागत, जिसमें शामिल है अचल सम्पत्ति के हित में किए गए अन्य विकास कार्य यथा सार्वजनिक शौचालय, रोड निर्माण, पौधारोपण, स्ट्रीट लाईट, पार्किंग, पेयजल व्यवस्था आदि।

275

उपरोक्त उपखण्ड (क) एवं (ख) की राशि को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली राशि आरक्षित मूल्य होगा। परन्तु ऐसी गणना बाद, प्राप्त राशि को निकटतम सौ रुपये के मूल्य पर पूर्णांकित किया जाएगा।

(2) उपरोक्तानुसार अचल सम्पत्ति का वार्षिक भू-भाटक/किराया उपनियम (1) के अनुसार गणना करने पर निविदा में प्राप्त प्रीमियम राशि के मूल्य का 0.5 प्रतिशत होगा।

7. प्रतिभूति निक्षेप.-

(1) अचल सम्पत्ति का अंतरण निविदा आमंत्रित करके किया जाएगा। निविदा आमंत्रण में प्रतिभूति निक्षेप की राशि परिषद् द्वारा इस शर्त के आधीन रहते हुए संगणित की जाएगी कि ऐसी राशि आरक्षित मूल्य के 2.5 प्रतिशत से कम न हो। यह राशि प्रत्येक बोलीकर्ता द्वारा नकद/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवश्यक रूप से जमा की जाएगी अन्यथा कोई भी व्यक्ति निविदा में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होगा और इसी प्रकार उक्त प्रतिभूति निक्षेप के बिना कोई निविदा ग्रहण नहीं की जाएगी।

(2) उच्चतम निविदा दाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक से 21 (इक्कीस) दिवस में जमा की जायेगी और शेष राशि जिसमें प्रतिभूति राशि को सम्मिलित किया जा सकता है निविदा पर की अंतिम स्वीकृति के संबंध में लिखित सूचना प्राप्त होने के दिनांक से 120 दिवस के अंदर जमा की जाएगी। यदि बोलीकर्ता द्वारा विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि या संसूचित अवधि के अंदर शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी "विक्रय या पट्टे को अनुपयुक्त कर दिया गया" घोषित कर सकेगा तथा पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।

(3) यथास्थिति, निविदा प्रक्रिया समाप्त होने पर या प्रस्ताव खोले जाने के तत्काल पश्चात उच्चतम बोली लगाने वाले की प्रतिभूति निक्षेप को छोड़कर शेष सभी बोली लगाने वालों का प्रतिभूति निक्षेप तत्काल वापस कर दिया जाएगा।

(4) निविदा प्रस्थापना के प्रस्ताव को अमान्य किये जाने पर निविदाकर्ता को अग्रिम राशि वापस कर दी जायेगी किन्तु ब्याज देय नहीं होगा।

8. सम्पत्ति का अन्तरण.-इन नियमों के उपबन्धों एवं प्ररूप-एक में उल्लिखित शर्तों के आधीन रहते हुए प्रत्येक सम्पत्ति का अंतरण पट्टे द्वारा किया जाएगा, जिसमें पट्टा 30 वर्ष के लिये होगा और पट्टाकर्ता को नवीनीकरण के अधिकार प्राप्त होंगे।

9. अचल संपत्ति के अंतरण में आरक्षण.- अचल सम्पत्ति जैसे भवन, दुकान इत्यादि के विक्रय व अन्तरण में निम्नानुसार या तत्समय प्रवृत्त उपबंधों के अनुसार, आरक्षण किया जाएगा :-

सरल क्रमांक	प्रवर्ग जिसके लिये आरक्षण किया जाना है	आरक्षण का प्रतिशत
1	2	3
1.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए	गत जनगणना के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या में इनकी जनसंख्या का जो अनुपात हो उस अनुपात में (इनमें से-दो प्रतिशत प्रत्येक

		इन वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित होगा).
2.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए	उ: प्रतिशत (इनमें से एक प्रतिशत इस वर्ग की महिलाओं के लिये).
3.	अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए	पांच प्रतिशत
4.	विकलांग व्यक्तियों के लिये (इनमें दृष्टिहीन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी).	दो प्रतिशत

(क) आरक्षित श्रेणी की अचल सम्पत्ति का आवंटन, करने के लिये संबंधित आरक्षित प्रवर्ग के बीच, बन्द लिफाफे में निविदा प्रस्थापना आमंत्रित की जाएगी.

(ख) आरक्षित प्रवर्ग की सम्पत्ति उसी संवर्ग को अंतरित की जा सकेगी. नामांतरण की कार्यवाही नियम 4 के प्रावधान अनुसार की जायेगी. आरक्षित प्रवर्ग की सम्पत्ति के संपरिवर्तन की कार्यवाही भी की जा सकेगी.

(ग) आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों का तीन बार सार्वजनिक सूचना द्वारा निविदा आमंत्रित किये जाने पर भी कोई निविदा प्राप्त नहीं होने पर, उक्त सम्पत्ति को नियम 5 में दिये गये सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके सामान्य वर्ग को निविदा द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित कर आवंटित किया जा सकेगा. निविदा हेतु सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन नियम 3 में उल्लिखित रीति के अनुसार किया जाएगा.

10. व्यवस्थापन के अधीन आवंटन :

(1) दैनिक शुल्क या पट्टे पर अनुज्ञप्त अस्थायी दुकानदारों को या अन्यथा ऐसे अन्य दुकानदारों को, जो कम से कम 3 वर्ष से उस स्थान पर व्यवसायरत हों, हटाया जाकर स्थानीय नगरीय निकाय के स्वामित्व अथवा अधीन शासकीय भूमि पर नवीन दुकानों का निर्माण किया जाकर ऐसे दुकानदारों को व्यवस्थापन के अधीन दुकान आवंटन किया जा सकेगा. दुकान का आवंटन निविदा आमंत्रित किये बिना, इस प्रयोजन हेतु गठित प्राधिकार समिति की पूर्व स्वीकृति से किया जा सकेगा. किन्तु ऐसी दुकानों का प्रीमियम मूल्य आरक्षित मूल्य से कम नहीं होगा तथा वार्षिक भू-भाटक/किराया प्रीमियम का 0.5 प्रतिशत होगा.

(2) व्यवस्थापन की दशा में प्रीमियम मूल्य की पूरी राशि आसान किश्तों में तय करने का अधिकार प्राधिकार समिति को होगा किन्तु प्रारंभिक पंजीयन शुल्क कुल लागत के पचीस प्रतिशत से कम नहीं होगा तथा अधिकतम मासिक किश्तें चौबीस से अधिक नहीं होंगी. परन्तु भू-भाटक/किराये का भुगतान नियमित रूप से किया जाएगा.

(3) व्यवस्थापन की कार्यवाही में नियम 9 के अनुसार आरक्षण की गणना नहीं होगी.

(4) प्राधिकारी समिति—प्राधिकारी समिति निम्नानुसार होगी :

(क)	जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर तथा अन्य नगरीय निकायों हेतु जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि जो अपर कलेक्टर से	अध्यक्ष

281

	निम्न श्रेणी के नहीं हो	
(ख)	उस वार्ड की वार्ड पार्षद जहां अचल सम्पत्ति अवस्थित है।	विशेष आमंत्रित सदस्य
(ग)	संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	सदस्य
(घ)	संबंधित जिले के उप संचालक या सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश	सदस्य
(ङ)	संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी	सदस्य सचिव

11. समस्त मामलों में पट्टा विलेख (लीजडीड) के संबंध में देय स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रीकरण के प्रभार इत्यादि पट्टाधारी द्वारा वहन किए जाएंगे।

12. भू-खण्डों पर भवन का सन्निर्माण तत्समय प्रभावशील भवन उपविधियों तथा क्षेत्रीय विनियमों के अनुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर किया जाएगा।

13. पट्टाधारी, सम्पत्ति का कब्जा लेने के लिये नियत किये गये या उसको अधिसूचित किये गये दिनांक को सम्पत्ति का कब्जा ले सकेगा और पट्टाधारी उस दिनांक से समस्त स्थानीय करों तथा अन्य करों का चाहे वे स्वामी से या पट्टाधारी से उद्ग्रहणीय हों, भुगतान करेगा और यह भी कि सम्पत्ति का कब्जा निर्धारित प्रीमियम राशि के जमा होने के बिना नहीं दिया जाएगा। सम्पत्ति का आधिपत्य, पट्टा विलेख के पंजीयन होने के 15 दिवस के अंदर यथासंभव दिया जावेगा।

14. वह पट्टाधारी जो निकाय से भू-खण्ड अभिप्राप्त करता है उस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें पट्टा निष्पादित किया गया हो, भू-भाटक के रूप में ऐसी रकम का अग्रिम भुगतान करेगा, जैसा कि इन नियमों के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अवधारित की जाए।

पट्टे पर दिये जाने वाले भू-खण्डों पर भू-भाटक, इस नियम के प्रावधानों के तहत कलेक्टर गाईड लाईन पर आधारित अथवा निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा की राशि, जो भी अधिक हो के 0.5 प्रतिशत के मान से ली जावेगी। किन्तु ऐसे प्रकरणों में जहाँ निकाय को राजस्व विभाग से प्रीमियम एवं भू-भाटक पर भूमि आवंटित हुई है, तब ऐसे भूमियों के प्रकरणों में निकाय भू-भाटक का निर्धारण इस प्रकार से कर सकेगा, कि निकाय को उसके पट्टाधारियों से राजस्व विभाग को देय भू-भाटक से कम राशि प्राप्त न हो।

परन्तु इस नवीन नियम के प्रवृत्त होने के पूर्व निष्पादित पट्टा विलेख के मामले में भू-भाटक, पट्टादाता तथा पट्टाधारी के बीच निष्पादित करार के निबंधनों के अनुसार देय होगा।

15. (1) यदि पट्टाधारी, पट्टे में वर्णित शर्तों का अनुपालन नहीं करता है अथवा इन नियमों का उल्लंघन करता है तो मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा सम्पत्ति का पट्टा रद्द किया जा सकेगा तथा सम्पत्ति का ऐसी रीति में व्ययन किया जा सकेगा, जैसा कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी उचित समझे।

(2) पट्टों की शर्तों के उल्लंघन के कारण पट्टा रद्द करने के उपरान्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी पूर्व उस पर निर्मित भवन में पुनः प्रवेश कर सकेगा। इस हेतु 15 दिवस का नोटिस, पूर्व पट्टाधारी को इस आशय का दिया जावेगा कि वह 15 दिवस के अन्दर भू-खण्ड का आधिपत्य स्थानीय नगरीय निकाय को सौंप दें एवं उस पर निर्मित अधोसंरचना को अपने व्यय पर हटा ले। 15 दिवस में पूर्व पट्टाधारी अगर उक्त निर्देशों का पालन नहीं करता है तो, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा स्थानीय नगरीय निकाय के

278

अधिकृत अधिकारी उक्त भू-खण्ड पर पुनः प्रवेश कर सकेंगे एवं उस पर निर्मित संरचनाओं को अपने आधिपत्य में ले सकेंगे, लेकिन पट्टाधारी को समक्ष में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी भू-खण्ड पर पट्टेधारी द्वारा निर्मित संरचना का मूल्यांकन, किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता से करवा सकेगा तथा आरक्षित मूल्य की गणना करते समय निर्मित संरचना के मूल्य को सम्मिलित करेगा। इस भू-खण्ड के व्ययन को समय सफल, उच्चतम बोलीकर्ता से निर्मित संरचना के मूल्य को सम्मिलित करते हुये आंकलित आरक्षित मूल्य के अनुसार इन नियमों का पालन करते हुये राशि जमा करवाई जाएगी।

16. **वार्षिक भाड़ा अग्रिम में देय होगा.**— अचल संपत्ति (भूमि) का प्रत्येक पट्टा इस शर्त के अधीन होगा कि पट्टे की अवधि के दौरान देय वार्षिक भू-भाटक प्रति वर्ष अग्रिम में देय होगा तथा पट्टाधारी का यह दायित्व होगा कि, वह निर्धारित अवधि के पूर्व उक्त राशि जमा करे। निर्धारित तिथि के पूर्व भू-भाटक जमा करने में असफल रहने की दशा में 12 प्रतिशत ब्याज अधिरोपित किया जाएगा।

17. पट्टे का नवीनीकरण.— पट्टे पर अंतरित संपत्ति की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर पट्टे का नवीनीकरण मूल पट्टा अनुबंध में जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की गई थी, उसी प्रयोजन हेतु आगामी 30 वर्ष की अवधि के लिये करने की शक्ति परिषद को होगी, परन्तु ऐसा नवीनीकरण करते समय प्रीमियम राशि का निर्धारण आवासीय भू-खण्ड/भवन हेतु प्रचलित बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत प्रीमियम तथा वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयोग होने की स्थिति में प्रचलित बाजार मूल्य का 1.00 प्रतिशत प्रीमियम एवं भूभाटक की दर का निर्धारण, मूल पट्टे की भूभाटक की दर का चार गुना अथवा प्रचलित बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत जो भी कम हो, निर्धारित करके किया जाएगा। पट्टे का नवीनीकरण निम्न मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत किया जाएगा :-

(क) पट्टे की अवधि के अवसान के अंतिम वर्ष में किन्तु अवसान दिनांक से 4 माह पूर्व पट्टा नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया जा सकेगा। अवसान दिनांक के उपरान्त प्रतिवर्ष रू. 1000/- प्रशासन प्रभार के साथ नवीनीकरण का आवेदन प्राप्त किया जा सकेगा।

(ख) ऐसे प्रकरणों में जिसमें पट्टाधारियों द्वारा देय भू-भाटक का अन्य देय राशि नियत अवधि में जमा नहीं की है, वहां ऐसी बकाया हो चुकी राशि पर 12 प्रतिशत की दर से शास्ति तथा पट्टे की शर्त के उल्लंघन के कारण पुनः प्रवेश के अधिकार का त्यजन करते हुए रुपये 5000/- अर्थदण्ड वसूल कर नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(ग) ऐसे प्रकरण में जहां पट्टाधारियों द्वारा विलम्ब से निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, किन्तु प्रकरण के विचारण के समय निर्माण पूर्ण हो चुका है, उसमें पुनः प्रवेश का अधिकार का त्यजन करते हुए निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर शास्ति अधिरोपित करते हुए, राशि वसूल की जाकर एवं नवीनीकरण किया जा सकेगा.-

(एक) एक लाख तक की आबादी वाले नगरों के लिए — रुपये 1500/-
(दो) एक लाख से पांच लाख तक की आबादी वाले नगरों के लिए— रुपये 5000/-
(तीन) पांच लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले नगरों के लिए — रुपये 7500/-
(चार) 10 लाख से अधिक की आबादी वाले नगरों के लिए — रुपये 10000/-

283

(घ) उस दशा में, जहां निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है और प्रकरण के विचारण के समय भी पूर्ण नहीं हुआ है, अर्थात् भू-खण्ड रिक्त है अथवा अर्द्धनिर्मित है, वहां पुनः प्रवेश के अधिकार का त्यजन करते हुए जनसंख्या के आधार पर उपरोक्त खण्ड (ग) में उल्लिखित राशि से दोगुनी राशि वसूल की जाकर नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(ङ) पट्टे में दी गई अवधि के भीतर बिना समुचित निर्धारित अनुमति प्राप्त किये, दान अथवा विक्रय के माध्यम से भू-खण्ड अंतरित किये जाने की दशा में पुनः प्रवेश के अधिकार का त्यजन करते हुये उक्त कंडिका (ग) में उल्लिखित जनसंख्या के मान से, राशि, वसूल कर नियमानुसार नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(च) यदि पट्टे की शर्तों के उल्लंघन में भू-खण्ड का इस प्रकार से अंतरण किया गया हो, जिससे कि भू-खण्ड का विभाजन होता हो, तब ऐसी दशा में प्रत्येक विभाजित भू-खण्ड के लिए रूपये 10000/- की शास्ति वसूलते हुए सम्पूर्ण अविभाजित भू-खण्ड के नवीनीकरण किया जा सकेगा। यदि भू-खण्ड के विभाजन के लिए संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश अनुमति दे देता है अनुमति देता है, तो प्रशमन राशि वसूल की जाकर विभाजित भू-खण्डों का पृथक्-पृथक् नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(छ) पट्टे में उल्लिखित उपयोग से भिन्न प्रयोजन हेतु भू-खण्ड उपयोग किये जाने की दशा में, ऐसे परिवर्तित उपयोग की अनुमति नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से प्रदान किये जाने के उपरांत, तत्समय बाजार मूल्य का 02 प्रतिशत प्रीमियम तथा 2 प्रतिशत भू-भाटक निर्धारित कर, भू-खण्ड के वर्तमान उपयोग अनुसार लीज नवीनीकरण किया जा सकेगा। यदि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, उपयोग में परिवर्तन का अनुमोदन नहीं करता है, तो ऐसी दशा में भूमि/भू-खण्ड को पट्टे में उल्लिखित मूल उपयोग में वापस लाया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी भू-खण्ड पर पुनः प्रवेश कर सकेगा।

(ज) उस दशा में जहां शर्तों के उल्लंघन का नोटिस प्राप्त होने पर, शर्तों के उल्लंघन संबंधी गतिविधियों को बन्द करके पुनः पट्टे की शर्तों के अनुरूप गतिविधि प्रारंभ कर दी जाती है, वहां रूपये 5000/- शास्ति वसूल कर नवीनीकरण किया जा सकेगा।

18. बैंक से ऋण हेतु अनापत्ति.- स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा पट्टे पर दिये गये भू-खण्ड अथवा निर्मित संरचना को वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने हेतु पट्टेधारी को प्ररूप-दो के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जा सकेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी वित्तीय संस्थान के पक्ष में यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर सकेंगे। इस हेतु पृथक से रजिस्टर संधारित करने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का होगा।

19. अंतरण का पंजीयन.- अचल संपत्ति के प्रत्येक अंतरण के अनुबंध का पंजीयन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

20. संपरिवर्तन का अधिकार.-

(1) नगरपालिक निकाय के स्वामित्व की वह भूमि जिसका उपयोग आवासीय या वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजनों हेतु हो रहा है तथा जो किसी व्यक्ति, संस्था आदि को पट्टे पर आवंटित की गई हो, तब ऐसे पट्टे की भूमियों को संपरिवर्तन के अधिकार की श्रेणी में लाया जा सकेगा।

280

(2) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कोई पात्र पट्टाधारी लीज होल्ड अधिकार पर उसके द्वारा धारित भूमि के संबंध में संपरिवर्तन अधिकार प्राप्त करने के लिए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्ररूप–तीन में आवेदन कर सकेगा।

(3) किसी भी ऐसी भूमि का, जो सुधार न्यास/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण या किसी अन्य विघटित संस्था की होकर नगरीय निकाय के नियंत्रण या स्वामित्व में है तथा उस पर विकसित एवं आवंटित भू–खण्ड 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक की कालावधि हेतु आवासीय या वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजनों के लिए पट्टे पर दिए गए हैं, फ्री होल्ड में संपरिवर्तन किया जा सकेगा:

परन्तु ऐसी पट्टे की भूमि जिनका पट्टे की शर्तों में विनिर्दिष्ट रूप से संपरिवर्तन प्रतिषिद्ध है या जिन पर पट्टाभूति का अधिकार मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाभूति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 या राजीव गांधी पट्टा आश्रय योजना या मुख्यमंत्री आश्रय योजना के अधीन प्रोद्भूत हुआ हो, या जो स्थानीय नगरीय निकाय के स्वामित्व की नहीं हो, फ्री होल्ड में संपरिवर्तित नहीं की जा सकेगी।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी संपरिवर्तन हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी होंगे, जो इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन पट्टाभूति अधिकारों को फ्री होल्ड में परिवर्तित कर सकेंगे।

(5) आवेदन प्राप्त होने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा 15 दिवस की सार्वजनिक सूचना कम से कम दो समाचार पत्रों में, जिसमें से एक स्थानीय हिन्दी समाचार पत्र होगा तथा नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्/कलेक्टर एवं आयुक्त के कार्यालयों में नोटिस बोर्ड पर लगाकर, ऐसी भूमि को संपरिवर्तन करने के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी तथा आपत्तियों पर सुनवाई किये जाने के साथ–साथ निम्न बिन्दुओं पर भी विचार किया जाएगा कि–

(एक) भूमि का पट्टा वैध है।

(दो) पट्टे की शर्तों के अधीन देय समस्त राशियों का भुगतान कर दिया गया है।

(तीन) पट्टे की किन्हीं शर्तों का भंग नहीं हुआ है और यदि पट्टे की शर्तें भंग हुई हैं, तो वह इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रशमन शुल्क जमा करवा कर उनका विनियमितीकरण करवाया गया है।

(चार) पट्टे की शर्तें संपरिवर्तन को प्रतिषिद्ध तो नहीं करती हैं।

(पांच) पट्टाधारी द्वारा इस आशय का एक शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है कि संपरिवर्तन के अधीन की ऐसी भूमि के संबंध में कोई प्रकरण किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष लंबित नहीं है।

(छह) सरकार द्वारा दिए गए तत्समय प्रवृत्त निर्देशों के अनुसार अन्य आवश्यक अभिलेख व शुल्क पट्टाधारी द्वारा वहन किए जाएंगे।

(सात) कोई अन्य बिन्दु जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उचित समझा जाए यथासंभव 120 दिन के कालावधि के भीतर अंतिम रूप से निराकृत किया जाएगा।

(6) संपरिवर्तन का आवेदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा यथासंभव 120 दिवस की कालावधि के भीतर अंतिम रूप से निराकृत किया जाएगा।

285

21. संपरिवर्तन प्रभार.—

संपरिवर्तन प्रभारों में सम्मिलित होंगे :—

(एक) संपरिवर्तन स्वीकृत करने की तिथि को आवासीय प्रयोजन के लिए प्रचलित बाजार मूल्य की 01 प्रतिशत राशि तथा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए 02 प्रतिशत राशि, भूमि के प्रयोजन हेतु तत्समय प्रचलित व्यवहरित क्षेत्रों के लिये बनाये गये नियमों के अनुसार नियत की जाएगी। पट्टे की शेष अवधि या 10 वर्ष की अवधि के लिए, जो भी कम हो, उस अवधि का एकमुश्त भू-भाटक जमा कराया जाएगा।

(दो) संपरिवर्तन आदेश जारी किए जाने की तारीख से तीस दिवस के अन्दर संपरिवर्तन प्रभार जमा किए जाएंगे। संपरिवर्तन विलेख का निष्पादन, संपरिवर्तन प्रभार के भुगतान के पश्चात् ही किया जाएगा, परन्तु यदि भू-भाटक का भुगतान अग्रिम रूप से कर दिया गया है तो, ऐसा भुगतान ऊपर वर्णित संपरिवर्तन प्रभार के विरुद्ध विकलनीय होगा।

(तीन) मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन नियमों के अधीन संपरिवर्तन (फ्री होल्ड) अधिकार स्वीकृत करने के लिए, आदेश के पश्चात् तथा संपरिवर्तन प्रभार और अन्य शुल्क, यदि कोई हो, की प्राप्ति पर प्ररूप-चार में एक हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा, जिसका संपरिवर्तन प्रभार के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन पंजीयन कराया जायेगा तथा मुद्रांक शुल्क सहित ऐसे पंजीयन के व्यय पट्टाधारी द्वारा वहन किए जाएंगे। इस हस्तांतरण विलेख के पंजीयन होने के उपरान्त, भू-खण्ड संपरिवर्तन से संबंधित भूमि हस्तांतरण विलेख प्रमाण पत्र अधिकतम 15 दिवस में अनिवार्य रूप से मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

22. अचल संपत्ति का रजिस्टर— मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, स्थानीय नगरीय निकाय में निहित या उसकी अचल संपत्ति का एक रजिस्टर इन नियमों के संलग्न प्ररूप-पांच में संधारित किया जाएगा।

23. निरसन तथा व्यावृत्ति.— इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त, इन नियमों के तत्स्थानी मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम, 1994 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम, 1996 निरसित हो जाएंगे:

परन्तु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों में से किसी भी नियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही, जब तक ऐसी बात या कार्यवाही इन नियमों के उपबंधों से असंगत न हो, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या कार्यवाही समझी जाएगी।

282

प्रारूप – एक

(नियम 8 देखिए)

(1) उपरोक्त संपत्ति को पट्टा धारी को प्रारंभिक रूप से 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर प्रदान किया गया है।

(2) उपरोक्त संपत्ति का नवीनीकरण 30 वर्ष की अवधि के लिए किया जा सकेगा। नवीनीकरण प्रभार तत्समय प्रभावशील प्रभार के अनुसार देय होंगे।

(3) पट्टे की अवधि के अवसान की तारीख के एक वर्ष की अवधि के दौरान नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

(4) पट्टा भाड़ा निर्धारित अवधि में चुकाना होगा, अन्यथा निर्धारित दण्डिक प्रभार देय होगा।

(5) संपत्ति के के संरचनात्मक भागों के किसी भाग में कोई अतिरिक्त कार्य करने या परिवर्तन करने की पात्रता नहीं होगी, जो संरचना की सुरक्षा को प्रभावित करती हो तथा वह इसे उसी स्थिति में रखेगा, जैसा कि उसे प्रदान किया गया हो।

(6) यदि संपत्ति को किसी प्राकृतिक आपदा या शरारत भीड़ या अन्य किसी दुर्घटना जो मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती है तो इसकी हुई क्षति को पट्टाधारी को ही वहन करना होगा। इसके लिए मुख्य कार्यपालिक अधिकारी किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी।

(7) संपत्ति का रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मत पट्टेधारी द्वारा किया जाएगा।

(8) मुख्य कार्यपालिक अधिकारी लोकहित में उक्त संपत्ति का अंतरण निरस्त कर सकेगा और स्थानांतरण वैकल्पिक स्थल पर कर सकेगा।

(9) मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा उसका निरीक्षण किया जायेगा।

(10) पट्टाधारी को किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थों या किन्हीं अन्य पदार्थों के संग्रहण की अनुमति नहीं होगी, जो उसकी संपत्ति तथा आस-पास की संपत्तियों के लिए असुरक्षित हों।

(11) पट्टाधारी किसी ऐसी गतिविधि का क्रियान्वयन नहीं करेगा, जो विधि के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है और आसपास के रहवासियों अथवा आमजन की शांति तथा सुरक्षा को प्रभावित करती हो।

(12) सम्पत्ति का पट्टाधारी अतिरिक्त अतिक्रमण अथवा अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।

(13) मुख्य कार्यपालिक अधिकारी लोकहित में संपत्ति में सुधार करवाएगा अथवा पट्टाधारी को सम्पत्ति में सुधार करने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(14) पट्टाधारी को विद्युत संयोजन नियमानुसार प्राप्त करना होगा।

(15) पट्टाधारी द्वारा इस निर्मित बनाये गये नियमों और उसके अधीन बनाए गए उपबंधों और अनुबंध की शर्तों के अनुपालन में चूक करने की दशा में संपत्ति का अंतरण निरस्त किया जा सकेगा।

(16) केन्द्र सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा आरोपित कर/शुल्क/अन्य प्रभारों का भुगतान पट्टाधारी द्वारा किया जाएगा।

टीप.– नगरीय निकाय आवश्यकतानुसार अन्य शर्तें भी सम्मिलित कर सकती है।

287

प्रारूप – दो

(नियम 18 देखिए)

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद.....

ऋण प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री/पत्नि..... निवासी..... को नगरपालिक निगम/ नगरपालिका परिषद/ नगर परिषद् द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अचल सम्पत्ति अंतरण नियम 2015 के अन्तर्गत निम्न विवरण अनुसार लीज पर भूखण्ड/आवास/दुकान आवंटित की गई है।

1. भूखण्ड/आवास/दुकान का आकार :–..... वर्गफीट
2. भूखण्ड/आवास/दुकान का पता :–.....
3. भूखण्ड/आवास/दुकान की लागत :–.....
4. भूखण्ड/आवास/दुकान को प्राप्त करने हेतु पट्टाधारी द्वारा नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद..... को वर्तमान तक भुगतान की गयी राशि :– .....

शासन, शासन के मण्डल, आयोग अथवा अन्य संस्थाओं, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने हेतु सम्पत्ति को बंधक रखने हेतु अनापत्ति इस शर्त पर प्रदाय की जाती है कि आवेदक द्वारा बंधक रखी सम्पत्ति का सम्पूर्ण मालिकाना हक नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद .... को देय राशि के पूर्ण भुगतान के उपरान्त ही अंतरित हो सकेगा।

आयुक्त/मुख्यनगरपालिका अधिकारी
नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद.....

284

प्रारूप–तीन
(नियम 20 देखिए)

लीज होल्ड भूमि को फ्री–होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन हेतु आवेदन

प्रति,

.....

.....

(संपरिवर्तन के लिए मुख्य कार्यपालिक अधिकारी)

जिला ..... मध्यप्रदेश

आवेदक का स्वयं अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार का छायाचित्र

मैं/हम/मेरे/हमारे लीज होल्ड अधिकार को फ्री–होल्ड में संपरिवर्तित कराना चाहते हैं, मेरे/हमारे ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

1) (क) प्रथम आवेदक (पट्टाधारी) का नाम .....

(ख) पिता/पति का नाम .....

(ग) स्थायी पता .....

(घ) वर्तमान डाक का पता .....

(ङ) दूरभाष क्रमांक (यदि कोई हो) .....

2) (क) द्वितीय आवेदक (पट्टाधारी) का नाम .....

(ख) पिता/पति का नाम .....

(ग) स्थायी पता .....

(घ) वर्तमान डाक का पता .....

(ङ) दूरभाष क यदि कोई हो .....

टिप्पणी :– समस्त पट्टाधारियों के उपरोक्त ब्यौरे प्रस्तुत करें, पट्टाधारियों में कोई एक संपरिवर्तन के लिए आवेदन कर सकता है, यदि वह उस आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य का प्राधिकृत वैध खास मुख्तारनामा धारित करें।

3) पट्टादाता के ब्यौरे : .....

(यदि पट्टा राज्य सरकार या उसके द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सीधे नहीं दिया गया है।)

4) पट्टे के ब्यौरे .....

(एक) पट्टेधारी का नाम .....

(दो) भू–खण्ड क्रमांक और खसरा नम्बर .....

(तीन) भूमि (भू–खण्ड) का क्षेत्रफल .....

(चार) ग्राम/कस्बा/नगर .....

(पांच) तहसील और जिला .....

289

285

(छह) वर्तमान वार्षिक भू-भाटक रूपये .....

(सात) पट्टे का प्रयोजन जैसा कि पट्टा विलेख में दर्शाया गया है .....

(आठ) पट्टा अवधि ..... से ..... तक

(नौ) आधे दिनांक तक का भू- भाटक का पट्टा विलेख में भुगतान के लिए ब्याज के सहित भुगतान कर दिया गया है? हाँ/नहीं

(दस) क्या नवीनीकरण किया गया है या नहीं ? हाँ/नहीं

5) क्या भूमि का वर्तमान उपयोग वही है, जो पट्टा–विलेख में उल्लेखित है ? हाँ/नहीं

6) क्या कोई विवाद किसी न्यायालय या राजस्व प्राधिकारी के समक्ष लंबित है ? हाँ/नहीं

7) संलग्न :–

(क) पट्टा विलेख की प्रति

(ख) स्थल मानचित्र

(ग) अनापत्ति प्रमाण–पत्र (यदि नियम 18 के अधीन अपेक्षित हो।)

अन्य अभिलेख :–

(1) अन्य पट्टाधारियों के विशेष (खास) मुख्तारनामा।

(2) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले का ब्यौरा (यदि कोई हो)।

(3) .....

दिनांक .....

स्थान .....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप–चार
(नियम 21 देखिए)
हस्तांतरण–विलेख

यह हस्तांतरण विलेख आज दिनांक ..... माह ..... वर्ष ..... को मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद/नगर परिषद ..... में स्थित पट्टे की भूमि को संपरिवर्तन (फ्री होल्ड) का अधिकार, म.प्र. नगर पालिका (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम, 2016 के नियम 26(4) में प्रदत्त शक्तियों के तहत, दिया जाता है, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी के माध्यम से (जिसके अंतर्गत उसके पदीय उत्तरवर्ती भी सम्मिलित है) प्रथम पक्ष तथा ..... (जिन्हें इसके पश्चात फ्री–होल्डधारी कहा गया है, जिसके अंतर्गत उसके पदीय उत्तरवर्ती, समनुदेशिती, अंतरिती भी सम्मिलित है) द्वितीय पक्ष के बीच किया जाता है।

भूमि भूमि के समाविष्ट क्षेत्र का माप ..... वर्गमीटर स्थित ..... तहसील ..... जिला ..... मध्यप्रदेश जो इससे संलग्न अनुसूची में अधिक विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित है, तारीख ..... से प्रारम्भ होने वाली तारीख ..... को समाप्त होने वाली वर्ष की कालावधि के लिए पट्टे पर दी गयी थी मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जारी आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा फ्री–होल्ड अधिकार में देने हेतु ..... प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन मंजूर किया गया है।

फ्री–होल्डधारी द्वारा चालान क्र. ..... दिनांक ..... द्वारा संपरिवर्तन प्रभार रू. ..... (रुपये ..... केवल) का भुगतान शासकीय खजाने में कर दिया गया है।

अतएव यह अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि, उपरोक्त आदेश और अनुबंध के अनुसरण में उक्त भूमि संबंधी पट्टा/विलेख इस विलेख के निष्पादन के पश्चात प्रभावहीन रहेगा।

अनुसूची

भूमि का प्लॉट .....
भूमि का नक्शा .....
स्थान .....
तारीख .....

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी के हस्ताक्षर
फ्री होल्डधारी के हस्ताक्षर

प्रारूप – पांच
(नियम 22)
नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद/नगर परिषद .....
अचल संपत्ति के अंतरण का रजिस्टर

अनुक्रमांक	संपत्ति का विवरण	आरक्षण की स्थिति	क्षेत्रफल	आरक्षित मूल्य	प्राप्त प्रीमियम	अंतरण विधि	पट्टाधारी का नाम व पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 / 2 / 2016

कार्यवाही विवरण

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता में दिनांक 26.02.2016 को संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के सभा कक्ष में अपर आयुक्त (मिशन संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना), संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, हडको के रीजन चीफ, श्री टी.वी. सुब्रमन्यम, नेशनल हाउसिंग बैंक के प्रतिनिधि श्री सुभाष की उपस्थिति में बैठक सम्पन्न हुई जिसमें अन्य अधिकारीगण संलग्न सूची अनुसार उपस्थित रहे।

बैठक में अपर आयुक्त (मिशन संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना) के द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुतीकरण किया गया :-

- पूर्व में स्वीकृत परियोजना एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तावित परियोजना का विवरण।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के लिए संचालनालय स्तर से, स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, अन्य वास्तुविदों से तैयार कराये गये प्रस्तावित मानचित्रों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया।
- संचालनालय स्तर से तैयार कराये गये नगरीय निकायों के वित्तीय विश्लेषण।

आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर द्वारा इंदौर शहर के लिए तैयार किया गया परियोजना प्रतिवेदन एवं वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्तुतीकरण के उपरांत आयुक्त महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये:-

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत निर्मित की जा रही आवासीय इकाईयों का लाभ आम जन को मिल सके इसके लिए अच्छे ब्रोशर बनाये जाए एवं उनकी मार्केटिंग एवं की जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन आवासीय इकाईयों का लाभ मिल सके।

अफोर्डेबल हाउसिंग इन-पार्टनरशिप के लिए-

आवासों के मानचित्र के संबंध में :-

प्रस्तुत मानचित्रों में नगर पालिक निगम, इंदौर द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग, निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के लिए प्रस्तावित किये गये मानचित्र को उपयुक्त पाया गया इसी अनुसार अन्य शहरों की योजना में नीचे लिखे अनुसार मानचित्रों में संशोधन कराया गया तथा सभी को निर्देशित किया गया कि पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन दिनांक 02 मार्च, 2016 तक प्रस्तुत किया जाए।

- आवासों के ले-आउट, ऐसे तैयार किये जाए कि सूर्य का प्रकाश दिन में सभी घरों में अधिकतम आ सके जिससे दिन में विद्युत का उपयोग कम से कम हो सके। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन किया जाए।
- बहुमंजिला भवनों में किचन के साथ बाश एरिया दिया जाय इसके अतिरिक्त एक बालकनी अनिवार्य रूप से दिया जाय जिसका रहवासी आवश्यक दैनिक उपयोग कर सके।
- बेड रूम का साईज न्यूनतम 10 X 10 वर्गफीट रखा जाय।
- लिविंग रूम का साईज न्यूनतम 10 X 13 वर्गफीट रखा जाय।
- बाथरूम का साईज न्यूनतम 4 X 6.5 वर्गफीट रखा जाय।
- टायलेट का साईज न्यूनतम 3.5 X 4 वर्गफीट रखा जाय।
- रसोई घर का साईज न्यूनतम 6 X 7 वर्गफीट रखा जाय।
- बहुमंजिला आवासीय इकाईयों में लगाई जाने वाली लिफ्ट उच्च मानक की हो एवं एक से अधिक लिफ्ट लगाने की स्थिति में Synchronized हो।

288

हितग्राही चयन एवं आवास आवंटन के सम्बंध में :-

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व निविदा प्रक्रिया में लगने वाले समय के साथ-साथ ही हितग्राही का चयन, हितग्राही अंश की पूर्ति की कार्यवाही, आवासों का आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए।

(i) आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए:-

- हितग्राही का चयन किसी विशेष सत्र को पूरे तरह से सम्मिलित करते हुए ग्राम एवं शहर के हितग्राही जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवासीय इकाई लेने के लिए पात्र हो उनको भी योजना में सम्मिलित कर आवासों का आवंटन किया जाए, जिससे ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि आवासीय इकाईयों का निर्माण अधिक हो जाए एवं हितग्राहियों की संख्या कम रहे।
- आर्थिक रूप से कमजोर हितग्राहियों का चयन कर उनको आवासीय इकाईयों का आवंटन आवासीय इकाईयों के नम्बर का निर्धारण लाटरी के माध्यम से योजना प्रारम्भ करने के पूर्व कर दिया जाए जिससे हितग्राही अपने आवास का निर्माण के समय निरीक्षण कर सके एवं हितग्राही से हितग्राही अंश की निर्माण के समय ही प्राप्त की जाए।
- हितग्राही अंश योजना प्रारम्भ के पूर्व ही सुनिश्चित कर हितग्राहियों से न्यूनतम राशि पंजीयन के समय जमा कराई जाए।
- शेष राशि बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराते हुए हितग्राही अंश की पूर्ति की जाए ताकि राशि की अपर्याप्त व्यवस्था होने पर निर्माण कार्य समय पर पूर्ण किया जा सके।
- निर्माण कार्य पूर्ण होते ही हितग्राही को निर्मित आवासीय इकाई का आधिपत्य दिया जा सके।
- शेष राशि भवनों के निर्माण कुर्सी छत, फिनिशिंग स्तर पर एवं आधिपत्य दिये जाने के अनुपात में हितग्राही से प्राप्त किये जाए।

(ii) कमजोर आय वर्ग के लिए:-

- विज्ञापन एवं अन्य माध्यमों से किये गये प्रचार-प्रसार उपरांत निर्धारित समयावधि में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करने के उपरांत हितग्राहियों को आवासों का आवंटन लाटरी के माध्यम से किया जाए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदनों के साथ पंजीयन जमा की गई हो।
- हितग्राही से शेष राशि भवनों के निर्माण कुर्सी छत, फिनिशिंग स्तर पर एवं आधिपत्य दिये जाने के अनुपात में प्राप्त किये जाए।
- इस वर्ग के हितग्राहियों को बैंकर एवं अन्य माध्यमों से अवगत कराया जाए कि राशि रू. 6.00 लाख तक की आय होने की स्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक-2 के अंतर्गत क्रेडिट लिंक सब्सिडी के अंतर्गत 6.5 ब्याज अनुदान राशि रू. 6.00 लाख के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) माध्यम एवं उच्च आय वर्ग के लिए:-

- विज्ञापन एवं अन्य माध्यमों से किये गये प्रचार-प्रसार उपरांत निर्धारित समयावधि में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करने के उपरांत हितग्राहियों को आवासों का आवंटन लाटरी के माध्यम से किया जाए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदनों के साथ पंजीयन शुल्क जो कि प्रकल्पों के विक्रय मूल्य का न्यूनतम 10 प्रतिशत हो वह जमा की गई हो।
- हितग्राही से शेष राशि भवनों के निर्माण कुर्सी छत, फिनिशिंग स्तर पर एवं आधिपत्य दिये जाने के अनुपात में प्राप्त किये जाए।

293

आवासों के गुणवत्ता के संबंध में :-

आवासों का निर्माण उच्च स्तर का ऐसा किया जाए जैसे आम आदमी अपने आवासों का निर्माण कराते है। किसी भी तरह से गुणवत्ता में समझौता नही किया जाय। आवासों में मुख्यत

- अंदर आयल बाउंड पेंटिंग, बाहर एक्सटिरियर वेदर प्रूफ पेंट किये जाए।
- नल, विद्युत एवं सीवरेज की फिटिंग कंसील्ड की जाए।
- नल एवं विद्युत उपकरण उच्च क्वालिटि के लगाए जाए।
- सीवरेज पानी के बहाव के लिए पाईप उच्च श्रेणी की डाली जाए।
- फर्श मे विट्रीफाइड टाइल्स लगाई जाए।
- दरवाजे, पलश डोर एवं खिड़कियां उच्च श्रेणी की लगाई जाए।
- रेलिंग स्टील की लगाई जाए।
- सीवरेज से निकलने वाले अनुपयोगी जल का उपचारित करने के उपरांत उसका उपयोग पार्कों एवं ग्रावलेट्स में फ्लेशिंग के लिए उपयोग किया जाए।

परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जाने के संबंध में :-

- परियोजना में व्यवसायिक, मध्यम आय वर्ग, कमजोर आय वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए मिश्रित रूप से परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जाए।
- परियोजना में व्यवसायिक, मध्यम आय वर्ग, कमजोर आय वर्ग से अधोसंरचना एवं अन्य विकास से संबंधित लागत की पूर्ति करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए लागत मूल्य में कमी करने के लिए क्रास सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए।
- निर्माण उपरांत संचालन/संधारण के लिए रहवासी संघ का गठन करते हुए आवश्यक राशि की व्यवस्था कैसे की जायेगी इसकी गणना की जाए।

वित्तीय प्रबंधन के सम्बंध में :-

प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान के अतिरिक्त लगने वाली राशि की गणना कर विस्तृत वित्तीय प्रतिवेदन तैयार किया जाए। जिसमें मुख्यतः इन बातों का ध्यान रखा जाए:-

- नगर पालिक निगम, इंदौर एवं संचालनालय प्रस्तुत वित्तीय विश्लेषण के अनुसार सभी नगरीय निकाय वित्तीय प्रबंध के लिए कार्ययोजना तैयार करेंगे।
- आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए हितग्राही अंश निर्धारित किया जाए।
- निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग की आवासीय इकाईयों का विक्रय मूल्य योजना प्रारंभ करने के पूर्व निर्धारित कर दी जाए।
- आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के लिए आवासीय इकाईयों के पंजीयन एवं आवंटन/विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि की गणना कर आवासीय इकाईयों के निर्माण एवं अधोसंरचना विकास की कुल राशि की गणना कर राशियों का आकलन कर लिया जाए।
- संचालन/संधारण के लिए भी प्रत्येक वर्ग के हितग्राहियों की मासिक राशि निर्धारित की जाए जिसमें सुनिश्चित किया जाए कि आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए राशि कम से कम निर्धारित हो।
- परियोजना के क्रियान्वयन के लिए किये गये वित्तीय विश्लेषण के आधार पर आवश्यक होने पर नगरीय निकाय वित्तीय संस्था यथा हडको, नेशनल हाउसिंग बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से निर्माण किये जाने वाले स्थल को मॉर्टगेज कर निर्माण अवधी तक के लिए ऋण भी प्राप्त करे।

क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम–

- इसके अंतर्गत राशि रू. 6.00 लाख तक प्रतिवर्ष प्रतिपरिवार की आय होने पर 60 वर्गमीटर तक आवासीय इकाईयों का निर्माण/नये आवासों का क्रय/मरम्मत हेतु वित्तीय संस्थाओं से 6.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर राशि रू. 6.00 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाना है।
- हितग्राही को ब्याज अनुदान अग्रिम प्राप्त हो जावेगा।
- यदि हितग्राही राशि रू. 6.00 लाख से अधिक ऋण प्राप्त करता है तो राशि रू. 6.00 लाख से अधिक राशि पर वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित ब्याज दर भुगतान करना होगा।
- यह योजना प्रदेश के सभी शहरों में लागू है। नगरीय निकाय के अधिकारी बैंकों से समन्वय कर अधिक से अधिक हितग्राहियों का लाभ पहुचाने की कार्यवाही करें।

बेनिफिशरी लेड हाउसिंग–

- इसके अंतर्गत हितग्राही द्वारा स्वयं आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जाना है।
- निर्मित आवासीय इकाई का क्षेत्रफल न्यूनतम 30 वर्गमीटर तक होना अनिवार्य है।
- इस हेतु तैयार योजनाओं में चिन्हित हितग्राहियों को Socio Economic & Caste Census (SECC) के डेटा से जोड़कर एवं Upload कर 31 मार्च, 2016 तक संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाए।
- किसी भी शहर में ऐसी आवासीय इकाईयों का निर्माण अर्फोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के माध्यम से नहीं कराया जावेगा बल्कि भू-खंड पर निर्माण किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में हितग्राहियों को इस घटक से लाभ दिलाया जाए।
- इस घटक के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राही अपनी श्रेष्ठता अनुसार मानचित्र का चयन कर निर्माण कर सकेंगे।

गुणवत्ता नियंत्रण के सम्बंध में :–

- क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए सभी नगरीय निकाय अपने स्तर से सुपर विजन एवं क्वालिटी कंट्रोल के रूप में स्वतंत्र इकाई नियुक्त करेंगे।
- इसके लिए संचालनालय द्वारा निविदा प्रपत्र उपलब्ध कराया जावेगा।
- इस स्वतंत्र इकाई द्वारा कार्य का सापेक्ष सम्पादन साथ पुस्तिका में साप्ताहिक कार्य करना, लेबल तैयार करना, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षण आदि किया जावेगा।
- नगरीय निकाय के इंजीनियर एवं अधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि कार्य में रूकावट न हो।

बी.एस.यू.पी., आई.एच.एस.डी.पी. एवं शहरी आवास योजना के सम्बंध में–

- उक्त परियोजनाओं में निर्माणाधीन आवासीय इकाईयों का निर्माण निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जाए।
- अभी तक निर्मित आवासीय इकाईयों एवं 31 मार्च, 2016 तक निर्मित होने वाली आवासीय इकाईयों का अधिकांश हितग्राहियों को 31 मार्च, 2016 तक दिया जाना सुनिश्चित करें।

अन्य निर्देश–

1) पूर्व में विभाग द्वारा निर्देश दिये गये थे कि बी.एस.यू.पी., आई.एच.एस.डी.पी. योजना में आवंटित निधि का उपयोग किया जाए। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में भी आवंटित निधि का उपयोग किया जा सकेगा।

2) 15 मार्च, 2016 तक सभी नगरीय निकाय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, निविदा की कार्यवाही प्रारंभ कर दें और यह सुनिश्चित करें कि निविदा की कार्यवाही माह अप्रैल, 2016 में पूर्ण कर कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। कार्य प्रारंभ एवं कार्य पूर्ण होने का समय/तिथि

एवं हितग्राहियों को आपत्ति देने की तिथि निर्धारित होगी उसी तिथि को अनिवार्य रूप से सरकार कार्यवाही की जायेगी।

3) नगरीय निकायों के द्वारा निर्मित की जा रही आवासी इकाईयों में भूमि का मूल्य नहीं जोड़ा जाना है जिससे आवासीय इकाईयों की लागत कम होगी। इन निर्मित आवासीय इकाईयों की तुलना शासन की अन्य निर्माण एजेंसी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, विकास प्राधिकरणों की जायेगी। नगरीय निकायों के द्वारा निर्मित की जा रही आवासीय इकाईयां ऐसी हो कि निजी निर्माणकर्ता अथवा अन्य शासकीय एजेंसियों से गुणवत्ता में उच्च हो एवं लागत कम हो जिससे हितग्राही इन आवासीय इकाईयों को लेने में इच्छुक हो।

4) बैठक में उपस्थित नगर पालिक निगमों के द्वारा अवगत कराया गया कि शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ का गठन अभी तक नहीं किया गया है। निगमों द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2018 तक वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जाए जिसके उपरांत संचालनालय स्तर से चयन की कार्यवाही की जा सके।

नेशनल हाउसिंग बैंक के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि नेशनल हाउसिंग बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थायें जो निम्न आय वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग जिनके लिए ऋण उपलब्ध कराया जाना है इस संबंध में नेशनल हाउसिंग बैंक इंदौर शहर में एक कार्यशाला आयोजित करना चाहता है, जिस पर आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर से समन्वय कर नेशनल हाउसिंग बैंक तत्काल कार्यशाला आयोजित करें। उक्त निर्देश के साथ आयुक्त द्वारा सभी को निर्देशित किया गया कि योजना समय रूप से तैयार की जाए जिसमें निर्माण के साथ वित्तीय प्रबंधन, मार्केटिंग, सोशल इंजीनियरिंग आदि का ध्यान रखा जाए।

(प्रियंका दास)
अपर आयुक्त,
(मिशन संचालक, PMAY)
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल।

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता में दिनांक 26.02.2016 को संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के सभा कक्ष में आयोजित आयुक्त, (मिशन संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना) संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास– 2022 (शहरी) की समीक्षा बैठक संपन्न हुई जिसमें अन्य निम्नानुसार अधिकारीगण उपस्थित रहे।

1) श्री मनीष सिंह, आयुक्त, नगर पालिका निगम, इन्दौर।
2) श्री वेद प्रकाश, आयुक्त, नगर पालिका निगम, जबलपुर।
3) श्री सोमनाथ झारिया, आयुक्त, नगर पालिक निगम, रतलाम।
4) श्री एन.ए. खान, आयुक्त, नगर पालिक निगम, मुरैना।
5) श्री एस.के. सिंह, आयुक्त, नगर पालिक निगम, कटनी।
6) श्री डी.एस. परिहार, आयुक्त, नगर पालिक निगम, सतना।
7) श्री सुभाष, क्षेत्रीय प्रतिनिधि, नेशनल हाउसिंग बैंक, भोपाल।
8) श्री सुब्रमण्यम, क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, हडको भोपाल।
9) श्री एम.एल. जैन, संयुक्त संचालक, संचालनालय, कृषि विकास, भोपाल।
10) श्री जगदेन्द्र सिंह परिहार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विदिशा।
11) श्री ए.एस. परिहार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, डिण्डौरी।
12) श्री हिमांशु भट्ट, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मंदसौर।
13) श्री आर.एस. तिवारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, बुधनी।
14) श्री रामानुज मिश्रा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, शाहगंज।
15) श्री डी. एस.तिवारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़।
16) श्री संदीप, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बालाघाट।
17) श्री पी.के. राय, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बैतूल।
18) श्री भगवन्त सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, रामपुर बघेलान।
19) श्री के.एस. ठाकुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सिवनी।
20) श्री अरुण कुमार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, कटंगी।
21) [illegible], मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अनूपपुर।
22) श्री एस.एस. तिवारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, मंडला।
23) श्री आर.के. सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, होशंगाबाद।
24) श्री सुरेश कुमार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नरसिंहगढ़।
25) श्री के.बी.एस. बघेल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, खुर्रा।
26) श्रीमती [illegible] पिपलानिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, [illegible]।
27) श्री [illegible] प्रसाद गुप्ता, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, छतरपुर।
28) श्री हर्षवर्धन सिंह, अधीक्षण यंत्री, नगर पालिका निगम, इन्दौर।
29) श्री इन्द्रराज जैन, अधीक्षण यंत्री , नगर पालिका निगम, उज्जैन।
30) श्री एल.एस. रघुवंशी, कार्यपालन यंत्री नगर पालिक निगम, रतलाम।
31) श्री जी.के. दुबे, कार्यपालन यंत्री, नगर पालिका निगम, सागर।
32) श्री.एस.के. त्रिवेदी ,कार्यपालन यंत्री, नगर पालिका निगम, जबलपुर।
33) श्री अरुण तिवारी, कार्यपालन यंत्री , नगर पालिका निगम, सतना।
34) श्री आर.बी. गुप्ता, कार्यपालन यंत्री, नगर पालिका परिषद, गुना।
35) श्री जी.के. जैन, सहायक यंत्री, नगर पालिका निगम, सिंगरौली।
36) श्री भूपेन्द्र मनवारे, सहायक यंत्री, नगर पालिक निगम, छिन्दवाड़ा।

37) श्री जी.एल. गुप्ता, सहायक यंत्री, नगर पालिका परिषद, मंदसौर।
38) श्री आर.के. वर्मा, सहायक यंत्री, नगर पालिका परिषद, होशंगाबाद।
39) श्री. एस.डी. द्विवेदी, सहायक यंत्री, नगर पालिका परिषद, सिवनी।
40) श्री आर.सी. शुक्ला, सहायक यंत्री, नगर पालिका, विदिशा।
41) श्री अरुण नामदेव, सहायक यंत्री, नगर पालिका निगम, उज्जैन।
42) श्री सुशील सोनी, उपयंत्री, नगर पालिका निगम, उज्जैन।
43) श्री एस.एस. श्रीवास, उपयंत्री, नगर परिषद, खुरई।
44) श्री व्ही.के. दिक्षित, उपयंत्री नगर पालिका परिषद, डिण्डोरी।
45) श्री के.के. भदौरिया, उपयंत्री नगर पालिका परिषद, लखनी।
46) श्री रवीन्द्र, उपयंत्री, नगर पालिका परिषद, मारणी।
47) श्री सुशील अग्रवाल, उपयंत्री, नगर पालिका निगम, उज्जैन।
48) श्री सुभाष पंडित, उपयंत्री, नगर पालिक निगम, रतलाम।
49) श्री विक्रम सिंह, उपयंत्री, नगर परिषद, पथरिया।
50) श्री पी.डी. तिवारी, उपयंत्री, नगर पालिका परिषद, छतरपुर।
51) श्री अभिषेक बाथम, उपयंत्री, नगर परिषद, नरसिंहगढ़।
52) श्री एस.एल. झरिया, उपयंत्री, नगर पालिका परिषद, हरदा।
53) श्री एम.के. दिक्षित, उपयंत्री, नगर पालिका परिषद, राजगढ़।
54) श्री राजेश उपाध्याय, उपयंत्री, नगर पालिका परिषद, मंदसौर।
55) श्री सुनील सिंह, उपयंत्री नगर पालिक निगम, कटनी।
56) श्री आशीष राजपूत, उपयंत्री, नगर पालिका परिषद, भिण्ड।
57) श्री नजर अहमद अंसारी, उपयंत्री, नगर पालिका परिषद, अशोकनगर।
58) श्री संजय तिवारी, उपयंत्री, नगर पालिक निगम, सतना।
59) श्री पुष्पेन्द्र द्विवेदी, उपयंत्री, नगर पालिका परिषद, अनूपपुर।
60) श्री पी.एन. शुक्ला, उपयंत्री, नगर पालिका निगम, रीवा।
61) श्री आर.के. अग्रवाल, उपयंत्री, नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़।
62) श्री मनोज अग्रवाल, उपयंत्री, नगर पालिका परिषद, बैतूल।
63) श्री एम.एस. बुन्देला, उपयंत्री, नगर परिषद, मंडला-अमरपुर।
64) श्री विश्वजीत कुशवाह, उपयंत्री, नगर परिषद, रामपुर बघेलान।
65) श्री नीरोश जैन, उपयंत्री, नगर परिषद, बुधनी।
66) श्री राहुल डावरा, ए.एम. स्टेनिंग, आर.ई.पी.एल।
67) श्री सनमद, Consultant : आशा सिस्टम एण्ड कन्सलटेंट, भोपाल।
68) श्री अनुराग सोनी, Consultant आशा सिस्टम एण्ड कन्सलटेंट, भोपाल।
69) श्री मनदीप शर्मा, Consultant मेहता एसोशिएट, इन्दौर।

294

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म०प्र०, भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus St
Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
Tel. 0755-2554080 Fax 0755-2554080
Email:- anandsingh@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक/वी0प्र0/07/2016/ 3499 भोपाल, दिनांक 03/08/2016

प्रति,

1. आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, इन्दौर, जबलपुर, देवास, सतना, रतलाम, नया खण्डवा, सिंगरौली, बुरहानपुर, खण्डवा, छिंदवाड़ा एवं मुरैना
मध्यप्रदेश

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल, विकास प्राधिकरण, भोपाल,
मध्यप्रदेश

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,/नगर परिषद्,
भिण्ड, बुरा, शिवपुरी, विदिशा, छतरपुर, दमोह, मंदसौर, खरगौन, नीमच, पीथमपुर, होशंगाबाद, सीहोर, बैतूल, सिवनी, दतिया, नागदा, डबरा, डिन्डौरी, सारणी, बालाघाट, टीकमगढ़, हरदा, राजगढ़, खुरई, अनूपपुर, पथरिया, रामपुर बघेलान, चंदला, खजुराहो, नरसिंहगढ़, सुवासी, शाहगंज, ओंकारेश्वर, गंजबासौदा, लटेरी, विदिशा, सिरोंज, खुरसी, बैरसिया, दमोह, खुजनेर, देवालपुर, पाटनेगल, नरसिंहपुर, पाल, बैरला, हरदुस, महौली, बेरमा, मोतीपुर, पाटनी, पेटलावद, इटारसी, जावरा, मोहगांव, सौंसर, हरदा, मोतीपुर, गरजौन, खुर्द, सिंगोली, सीकेश, अजरकड़ा, जीरापुर, पाहुनका, चौरई, राजगढ़, सीतल, मल्हारगढ़, पिपरियाबांसी।
मध्यप्रदेश

विषय:- दिनांक 30.07.2016 को आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा दिये गये निर्देश के सम्बंध में।

---00---

विषयांकित डी.एम.ए.यू.आर.एम. (यू.आई.जी.), अमृत योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी आवासीय योजना) के अंतर्गत किये जा रहे निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति की समीक्षा दिनांक 30.07.2016 को आयुक्त एवं सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता में संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल के साथ वक्त में आयोजित की गई थी। जिसका कार्यवाही विवरण संलग्न प्रेषित है, जिस अनुसार कार्यवाही किये जाने एवं की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

(संलग्न उपरोक्तानुसार)

(आनंद सिंह)
कार्यपालन यंत्री,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/वी.प्र./07/2016/ 3499 भोपाल, दिनांक 03/08/2016

प्रतिलिपि-

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास को समय-सीमा में कार्यवाही कराये जाने हेतु।
2. टीम लीडर, Egis India Ltd, पी.डी.एम.सी. पैकेज-1, की ओर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु।
3. टीम लीडर, WAPCOS Ltd, पी.डी.एम.सी. पैकेज-2, की ओर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु।

कार्यपालन यंत्री,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 01/08/2016

कार्यवाही विवरण

श्री विवेक अग्रवाल, आयुक्त एवं सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता में दिनांक 30.07.2016 को संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के सभा कक्ष में उपस्थित कटारे, प्रमुख अभियंता एवं श्री मोहित बुंदस, अपर आयुक्त (मिशन संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना), संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास की उपस्थिति में अमृत योजना, जे.एन.एन.यू.आर.एम. (यू.आई.जी.), बी.एस.यू.पी., आई.एच.एस.डी.पी., राजीव आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिए आवास-2022) की समीक्षा बैठक संपन्न हुई जिसमें अन्य अधिकारीगण संलग्न सूची अनुसार उपस्थित रहे।

योजना क्रियान्वयन हेतु सामान्य निर्देश दिये गये जो निम्नानुसार हैं:-

प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिए आवास- 2022) हेतु सामान्य निर्देश :-

1. प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये BLC प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन संचालनालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 23.07.2016 के अनुसार कार्यवाही कर अनिवार्य रूप से 15 अगस्त से कार्य प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र.	प्रस्तावित कार्यवाही	समय-सीमा
1.	भूमि का आवंटन एवं हितग्राहियों की पहचान (निर्धारित प्रपत्र पर जानकारी, फोटोग्राफ, आधार कार्ड एवं बैंक खाता नम्बर आदि) एकत्रित करना ।	30 जुलाई 2016
2.	हितग्राहियों को राशि का आवंटन उनके खातों में करना ।	10 अगस्त 2016
3.	अधोसंरचना का विकास करने हेतु निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारंभ करना।	15 अगस्त 2016
4.	हितग्राहियों के आवासीय इकाईयों का निर्माण प्रारंभ करवाना ।	15 अगस्त 2016

2. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे शहरी गरीब जो मलिन बस्तियों में निवासरत हैं उनके लिए AHP घटक के अंतर्गत निर्मित किये जा रहे ई.डब्ल्यू.एस. के हितग्राहियों को योजना प्रारंभ करते समय ही आवासों का आवंटन कर दिया जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण के समय ही हितग्राहियों द्वारा स्वयं अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर चरणबद्ध निर्माण लागत के अनुपात में हितग्राही अंश भी नगरीय निकायों को प्राप्त हो सके जिससे निर्माण कार्य सुचारू रूप से किया जा सके।

296

3. सभी नगरीय निकाय जहाँ योजना स्वीकृत हो गई है, उन निकायों द्वारा पेर मलिन बस्ती के हितग्राहियों के लिए निर्मित किये जा रहे ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी. एवं एम.आई.जी. भवनों के व्ययन किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :-

- ब्रोशर, होर्डिंग, अखबार के माध्यम से मार्केटिंग किया जाकर एल.आई.जी. / एम.आई.जी. / एच.आई.जी. की बुकिंग प्राप्त करें।
- कार्य प्रारंभ होने से पहले सभी निकाय सम्पूर्ण प्रोजेक्ट कोस्ट का वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करें।
- बुकिंग के उपरांत कार्य प्रगति अनुसार भुगतान प्राप्त किया जाए।
- हितग्राही अंश हेतु बैंक ऋण की व्यवस्था प्रोजेक्ट कार्य प्रारंभ होने से पहले ही सुनिश्चित करें।

4. हाउसिंग बोर्ड / डी.डी.ए. / प्राइवेट बिल्डर की तर्ज पर गैर मलीन बस्तियों के आवासहीनों के लिए निर्मित की जा रही आवासीय इकाईयों के व्ययन हेतु पॉलिसी बनायें एवं इसका अनुमोदन एम.आई.सी. एवं पी.आई.सी. से करायें।

5. ऐसे नगरीय निकाय जिनके परियोजना प्रतिवेदन में कॉस्ट सब्सिडी का प्रावधान नहीं है वह निकाय अधोसंरचना के विकास हेतु विशेष निधि अथवा मुख्यमंत्री अधोसंरचना (द्वितीय चरण) द्वारा प्राप्त अनुदान से पूर्ति करेंगे। छोटे नगरीय निकाय नगर परिषद् अधोसंरचना विकास हेतु विशेष निधि से अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करें।

6. भूमि का आवंटन डी.पी.आर. तैयार करते समय ही करा लिया जाए जिससे स्वीकृत के उपरांत शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जा सके।

7. आवंटित की गई भूमि का उपयोग ऐसा किया जाए कि प्रोजेक्ट Commercially Viable रहे।

8. सभी निकाय HFAPoA हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाना सुनिश्चित करें।

9. IHSDP परियोजना को पूर्ण करने हेतु विशेष निधि से राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

10. यदि किसी शहर में हितग्राहियों को हितग्राही अंश की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त नहीं हो रहा हो तो नगरीय निकाय स्वयं मासिक किश्त निर्धारित कर एम.आई.सी. / पी.आई.सी. से स्वीकृति प्राप्त कर हितग्राहियों को आवास का आवंटन प्रदान करें एवं हितग्राही से मासिक मासिक किश्त लिया जाना सुनिश्चित करें।

11. प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत तैयार किये गये HFAPoA में निम्नानुसार घटकवार हितग्राही चिन्हित किये गये है:-

A. Details of Beneficiaries Identified under BLC as per HFAPoA

S. No.	City Name	Beneficiaries Identified under BLC as per HFAPoA	No. of Beneficiaries for which Projects Approved / Submitted under BLC	Balance Beneficiaries for Which Project can be Submitted	S. No.	City Name	Beneficiaries Identified under BLC as per HFAPoA	No. of Beneficiaries for which Projects Approved / Submitted under BLC	Balance Beneficiaries for Which Project can be Submitted	S. No.	City Name	Beneficiaries Identified under BLC as per HFAPoA	No. of Beneficiaries for which Projects Approved / Submitted under BLC	Balance Beneficiaries for Which Project can be Submitted
1	[illegible]	28,158	-	28,158	37	Guna	2,663	-	2,663	37	Narsinghpur	815	455	360
2	Sagar	23,406	831	22,575	38	Vidisha	2,491	-	2,491	38	Shahdol	982	580	402

301

3	Bhopal	13,383	-	13,383	21	Rewa	2,485	-	2,485	39	Betul	775	375	-
4	Jabalpur	10,739	100	10639	22	Khandwa	2,401	-	2,401	40	Morena	733	733	-
5	Gwalior	7,861	-	7,861	23	Sagar	2,325	-	2,325	41	Khajuraho	704	250	454
6	Satna	5,116	-	5,116	24	Chhatarpur	2,321	-	2,321	42	Ganjbasoda	703	-	393
7	Shivpuri	4,799	1,454	3,345	25	Hoshangabad	2,198	845	1,353	43	Sonkatch	538	-	338
8	Ujjain	4,740	606	4,134	26	Damoh	2,166	-	2,166	44	Pudri	641		141
9	Jhabua	4,541	1,038	3,503	27	Malhar	1,909	1,254	615	45	Dindori	419	-	419
10	Tikamgarh	4,109	580	3,529	28	Balaghat	1,641	-	1,641	46	Rehli	416	-	118
11	Khargone	4,070	-	4,070	29	Katni	1,638	-	1,638	47	Pathana	382	-	382
12	Ujjain	3,816	-	3,816	30	Singrauli	1,411	-	1,411	48	Sendhwa	337	337	-
13	Pithampur	3,650	-	3,650	31	Khurai	1,218	-	1,218	49	Khategaon	230	-	230
14	Tikamgarh	3,557	270	3,287	32	Harda	1,027	-	1,027	50	Chandla	193	-	193
15	Chhindwara	3,166	-	3,166	33	Anuppur	946	450	496	51	Ramgar Baghelan	163	-	163
16	Sheopur	3,073	-	3,073	34	Shivpuri	931	-	931	52	Rajgarh	83	-	83
17	Sehore	2,873	-	2,873	35	Narsinghpur	906	500	406	Total:		1,71,070	10,562	1,62,508
18	Seoni	2,324	-	2,324	36	Sarni	866	-	866					

उक्त प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा उपरांत निर्देशित किया गया कि भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन, मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 2016 के प्रथम सप्ताह में BLC प्रोजेक्ट के लिए सी CSMC आमंत्रित की जा रही है। योजनांतर्गत सम्मिलित सभी शहर 25 अगस्त, 2016 तक इस घटक के अंतर्गत योजना तैयार कर मंत्रालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

B. Details of Beneficiaries Identified under CLSS as per HFAPoA

S. No.	City Name	Beneficiaries Identified under CLSS as per HFAPoA	S. No.	City Name	Beneficiaries Identified under CLSS as per HFAPoA	S. No.	City Name	Beneficiaries Identified under CLSS as per HFAPoA
1	Indore	21,158	18	Bhind	1,017	35	Narsinghpur	294
2	Bhopal	13,383	19	Vidisha	916	36	Ganjbasoda	262
3	Ujjain	12,213	20	Guna	915	37	Sheopur	258
4	Jabalpur	1,906	21	Damoh	877	38	Dabra	249
5	Satna	1,839	22	Datia	838	39	Khurai	243
6	Chhindwara	3,811	23	Balaghat	823	40	Morena	210
7	Gwalior	3,373	24	Harda	788	41	Shahdol	203
8	Ratlam	2,832	25	Vishanpur	764	42	Pathria	192
9	Rewa	2,298	26	Bucharpur	615	43	Sonkatch	126
10	Chhatarpur	2,133	27	Malhar	597	44	Chandla	113

298

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0, भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-255-0080 Fax 0755-2554080
Email:- anandsingh@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक/नौ0प्र0/07/2016/1653 भोपाल, दिनांक 7.12.2016

प्रति,

समस्त जिला-कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय- प्रधानमंत्री आवास योजना के ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना (CLSS) घटक-2 अंतर्गत जिला स्तर पर बैंको को लक्ष्य निर्धारण करने के संबंध में।

संदर्भ :- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक दिनांक 11.08.2016

---000---

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक दिनांक 11.08.2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना (CLSS) घटक-2 अंतर्गत संलग्न सूची अनुसार जिलेवार हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। उक्त योजनांतर्गत जिला स्तर पर DLCC की बैठक आयोजित कर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को लक्ष्य निर्धारण करने एवं समय सीमा में लक्ष्य पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध है।

(मोहित बुंदस)
अपर आयुक्त, मिशन संचालक (HFA)
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

305

Pradhan Mantri Awas Yojana - Housing for All 2022
Vertical-II Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS)
District wise- Identified Beneficiaries

Sr. No.	District Name	No. of Beneficiaries
1)	BHOPAL	13383
2)	BALAGHAT	825
3)	BETUL	1382
4)	DINDORI	338
5)	GWALIOR	8110
6)	HARDA	788
7)	KHANDWA	1251
8)	SEHORE	771
9)	SHAHDOL	903
10)	TIKAMGARH	507
11)	DHAR	3474
12)	HOSHANGABAD	590
13)	INDORE	28158
14)	RATLAM	2872
15)	UJJAIN	13213
16)	JHABUA	500
17)	RAIGARH	1021
18)	Barwani	2105
19)	AGAR-MALWA	500
20)	SHAJAPUR	1500
21)	PANNA	700
22)	SIDHI	500
23)	ASHOKNAGAR	850
24)	BURHANPUR	616
25)	MORENA	1674
26)	SEONI	1247
27)	ANUPPUR	604
28)	JABALPUR	10739
29)	SINGRAULI	1317
30)	ALIRAJPUR	300
31)	REWA	2298
32)	DATIA	838
33)	CHHINDWARA	3811
34)	SATNA	4543
35)	MANDLA	800
36)	NEEMUCH	1400
37)	KATNI	1638
38)	VIDISHA	1138
39)	KHARGONE	930
40)	MANDSAUR	502
41)	DAMOH	1069
42)	CHHATARPUR	2314
43)	BHIND	1017
44)	SHEOPUR	258
45)	NARSINGHPUR	794
46)	UMARIA	700
47)	RAISEN	1500
48)	DEWAS	2626
49)	SAGAR	2568
50)	GUNA	913
51)	SHIVPURI	879
	Total	139713

500

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म०प्र०, भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
Tel. 0755-2554080 Fax 0755-2554080
Email:- anandsingh@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक/यॉ0प्र0/07/2016/ 13272 भोपाल, दिनांक 13/10/2016

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः- मध्यप्रदेश, नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिया जाना।

संदर्भः- 1. मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय का परिपत्र कमांक 2002/2015/18-3 भोपाल, दिनांक 30.12.2015।

2. मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय का परिपत्र कमांक 70//07/2015/18-3 भोपाल, दिनांक 02.01.2016।

3. मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय का परिपत्र कमांक 1573/2015/18-3 भोपाल, दिनांक 02.02.2016।

--00--

संदर्भित पत्र-3 मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक 1573/2015/18-3 भोपाल, दिनांक 02.02.2016 द्वारा निर्देशित किया गया था कि मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों को प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत पट्टा वितरण हेतु पूर्व की समय सारणी को निरस्त करते हुए पृथक से तिथि सूचित करने के निर्देश जारी किये गये थे।

दिनांक 06.10.2016 को प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना Benificry Led Construction के अंतर्गत स्वीकृत आवासीय इकाई की प्रगति की समीक्षा में उक्त रोक के कारण पट्टा न दिये जाने की जानकारी संज्ञान में लाई गई। यह निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से प्रचलित आवासीय योजनाओं हेतु हितग्राहियों को आवश्यकतानुसार पट्टा तैयार कर वितरित किया जाये।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त योजना के हितग्राही हेतु अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप पट्टा वितरण की कार्यवाही की जाये।

(आयुक्त सह सचिव द्वारा आदेशित)

(डॉ. मनू शर्मा)
अपर आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक .....13273...../2016 भोपाल, दिनांक 13/10/2016

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
9. समस्त आयुक्त, नगर पालिका निगम, मध्यप्रदेश।
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
11. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश।
12. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर परिषद, मध्यप्रदेश।

अपर आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Email:- pmay@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक यॉ0प्र0 / 07 / 2017 / 1546 भोपाल, दिनांक 03/02/2017.

302

प्रति,

1. आयुक्त ,
नगर पालिका निगम,
इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, कटनी, रतलाम, सिंगरौली, सतना, खंडवा, छिंदवाडा एवं मुरैना
मध्यप्रदेश।

2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद् / नगर परिषद,
मंदसौर, विदिशा, सिवनी, नीमच, शिवपुरी, खरगौन, पीथमपुर, छतरपुर, दमोह, गुना, सारणी, टीकमगढ़, हरदा, मंडला, अनुपपुर, डिण्डोरी, खुरई, पथरिया, रामपुर–बघेलन, बंदला, राजगढ़, बालाघाट, बुदनी, शाहगंज एवं रेहटी
मध्यप्रदेश।

विषयः–प्रधानमंत्री आवास योजना के AFFORDABLE HOUSING IN PARTNERSHIP (AHP) घटक अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन करने के संबंध में।

प्रधानमंत्री आवास योजना के AFFORDABLE HOUSING IN PARTNERSHIP (AHP) घटक अंतर्गत संलग्न सूची अनुसार योजना स्वीकृत की गई हैं, जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश की राशि के अतिरिक्त परियोजना लागत की व्यवस्था निकाय द्वारा स्वयं की जाना है। AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत योजना के वित्तीय प्रबंधन हेतु समय समय पर विभाग द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये थे:–

1. स्वीकृत योजना अंतर्गत EWS इकाईयों के हितग्राहियों को Pre-Allotment कर हितग्राहियों से पंजीयन राशि एवं आगामी किस्त जमा किया जाना, यदि हितग्राही आगामी किस्त जमा करने में सक्षम नही है, तो बैंक के माध्यम से हितग्राही को आवासीय ऋण उपलब्ध कराकर आगामी किस्त जमा किया जाना।
2. स्वीकृत योजना अंतर्गत LIG/MIG/HIG/COMMERCIAL इकाईयों की अग्रिम बुकिंग (Advance-Booking) कर बुकिंग राशि एवं आगामी किस्त जमा किया जाना।
3. LIG इकाईयों के हितग्राहियों को आगामी किस्त हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना के CLSS घटक के अंतर्गत बैंको के माध्यम से 6.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराकर आगामी किस्त जमा किया जाना।
4. विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक F-10-47/2015/18/2 दिनांक 13.11.2015 अनुसार अधोसंरचना विकास का वित्तीय प्रबंधन किया जाना।
5. निकायों को परियोजना क्रियान्वयन हेतु यदि ऋण की आवश्यकता है, तो संचालनालय के पत्र क्रमांक 9883 दिनांक 08 / 08 / 2016 द्वारा IL&FS के माध्यम से ऋण लेकर योजना का क्रियान्वयन समय सीमा में किया जाना।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है, की उक्त निर्देशों का पालन कर योजना के वित्तीय प्रबंधन हेतु गंभीरता पूर्वक विचार किया जायें, ताकि योजना का क्रियान्वयन निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जा सके एवं वित्तीय संसाधनो के अभाव में याजना के क्रियान्वयन में विलंब ना हो। इस हेतु निकाय स्तर पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर योजना का वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित किया जाये एवं संचालनालय को की गई कार्यवाही से 15.02.2017 तक अवगत कराया जाये।

(डॉ. मंजू शर्मा)
अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

303

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 अप्रैल 2017—चैत्र 30, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2017

क्र. 6322-80-21-ज(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12 अप्रैल, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

304

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०१७

मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी अधिनियम, २०१७

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

३. पात्र व्यक्तियों को किफायती मूल्य पर आवास या निःशुल्क आवासीय भूखण्ड की पात्रता.

४. पात्र व्यक्तियों का पंजीयन.

५. आवासों और आवासीय भूखण्डों का आबंटन.

६. जिला स्तरीय आवास समितियों का गठन.

७. जिला स्तरीय आवास समिति के कर्तव्य.

८. प्राधिकृत अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील.

९. नियम बनाने की शक्ति.

१०. निदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति.

११. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०१७.

मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी अधिनियम, २०१७

[दिनांक 12 अप्रैल 2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 20 अप्रैल, 2017 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य के पात्र निवासियों को किफायती मूल्य पर आवास या निःशुल्क आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने की गारंटी देने और उससे संसक्त तथा उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी अधिनियम, २०१७ है.

305

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(३) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं.

(क) ''किफायती मूल्य'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया गया मूल्य;

(ख) ''प्राधिकृत अधिकारी'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित, डिप्टी कलक्टर की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी जो आवास या आवासीय भू-खण्ड के लिए पात्र व्यक्तियों का पंजीयन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(ग) ''जिला स्तरीय आवास समिति'' से अभिप्रेत है, धारा ६ के अधीन गठित जिला स्तरीय आवास समिति;

(घ) ''मध्यप्रदेश का मूल निवासी'' से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित मध्यप्रदेश का मूल निवासी है;

(ङ) ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय वर्ग का कोई परिवार;

(च) ''पात्र व्यक्ति'' से अभिप्रेत है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय वर्ग का कोई व्यक्ति जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो और जिसका या तो स्वयं के नाम से या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से मध्यप्रदेश राज्य में कोई आवास या आवासीय भू-खण्ड नहीं है:

परन्तु सरकार की किसी योजना के अधीन स्वामी या पट्टाधारी के रूप में किसी प्रकार का आवास या भू-खण्ड रखने वाला व्यक्ति पात्र नहीं होगा किन्तु यदि कोई हितग्राही केन्द्रीय या राज्य सरकार की किसी योजना में विनिर्दिष्ट पात्रता मापदण्ड के अनुसार पात्र है तो ऐसी अपात्रता लागू नहीं होगी;

(छ) ''परिवार'' से अभिप्रेत है, पति/पत्नी, उनके अवयस्क बच्चे और २५ वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे:

परन्तु विधवा/तलाकशुदा पुत्री, बहन, पुत्रवधु, पिता, माता, ससुर/सास अथवा शारीरिक रूप से विकलांग भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, जो पूर्ण रूप से आश्रित हैं तथा एक ही छत के नीचे निवासरत हैं, परिवार का भाग माने जाएंगे;

(ज) ''आवास'' से अभिप्रेत है, आवासीय प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाए जाने योग्य २५ वर्ग मीटर से अन्यून प्रत्येक इकाई के अधिनिर्मित (सुपर बिल्टअप) (कंस्ट्रक्टेड) क्षेत्र की छत तथा शौचालय युक्त कोई एक मंजिली या बहुमंजिली अधोसंरचना;

(झ) ''क्रियान्वयन अधिकरण'' से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन आवास अथवा आवासीय भूखण्ड का निर्माण अथवा आबंटन करने के लिए सशक्त कोई अधिकरण और इसमें सम्मिलित होंगे, ग्रामीण अथवा नगरीय स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण तथा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड.

(ञ) "आवासीय भू-खण्ड" से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम में न्यूनतम ४५ वर्ग मीटर तथा अन्य क्षेत्र में ६० वर्ग मीटर की भूमि का कोई भाग, जिस पर किसी आवास का संनिर्माण अनुज्ञेय होगा.

पात्र व्यक्तियों को किफायती मूल्य पर आवास या निःशुल्क आवासीय भूखण्ड की पात्रता.

३. (१) प्रत्येक पात्र व्यक्ति एक किफायती मूल्य पर आवास या निःशुल्क आवासीय भूखण्ड के लिए पात्र होगा और राज्य सरकार समस्त पात्र व्यक्तियों को क्रमशः किफायती मूल्य पर आवास अथवा निःशुल्क आवासीय भूखण्ड की गारंटी देती है.

(२) कोई आवास या आवासीय भूखण्ड आबंटित करने की शक्ति क्रियान्वयन अभिकरण में निहित होगी तथा आवास संबंधी शिकायतों का निवारण जिला स्तरीय आवास समिति द्वारा किया जाएगा.

पात्र व्यक्तियों का पंजीयन.

४. (१) यदि कोई पात्र व्यक्ति, किफायती मूल्य पर कोई आवास या निःशुल्क आवासीय भूखण्ड प्राप्त करने के लिये किसी सर्वेक्षण में पात्र पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे पात्र व्यक्ति का विहित रीति में पंजीयन करेगा, जिसके पास अपनी पात्रता के प्रमाण में दस्तावेज हों.

(२) प्राधिकृत अधिकारी, पात्र व्यक्तियों का रजिस्टर संधारित करेगा और पंजीकृत हितग्राहियों की सूचना जिला स्तरीय आवास समिति को देगा.

आवासों और आवासीय भूखण्डों का आबंटन.

५. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नगरीय तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय, आवासों और आवासीय भूखण्डों के आबंटन के प्रयोजन के लिए ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, लैंड पूलिंग को अंगीकृत कर सकेगा.

जिला स्तरीय आवास समितियों का गठन.

६. राज्य सरकार, ऐसी रीति में तथा ऐसे सदस्यों को सम्मिलित करते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, जिला स्तरीय आवास समितियों का गठन कर सकेगी.

जिला स्तरीय आवास समिति के कर्तव्य.

७. जिला स्तरीय आवास समिति, उसके क्षेत्राधिकार के अधीन पंजीकृत किए गए पात्र व्यक्तियों की जानकारी के आधार पर आवास की आवश्यकताओं का प्राक्कलन करेगी. जिला स्तरीय आवास समिति, उसके क्षेत्राधिकार के अधीन पंजीकृत पात्र व्यक्तियों को किफायती मूल्य पर आवास या निःशुल्क आवासीय भूखण्ड क्रमशः उपलब्ध करवाने के लिये क्रियान्वयन अभिकरण को निदेश दे सकेगी और वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन भी करेगी जैसे कि राज्य सरकार द्वारा इसे सौंपे जाएं.

प्राधिकृत अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील

८. पात्र व्यक्ति के सम्मिलन अथवा अपवर्जन के प्राधिकृत अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील जिला कलक्टर के समक्ष होगी जो साठ दिवस के भीतर ऐसी अपील का निराकरण करेगा.

नियम बनाने की शक्ति.

९. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.

(२) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे.

निदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति.

१०. राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जैसे कि वह आवश्यक समझे.

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.

११. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाई दूर कर सकेगी.

307

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2017

क्र. 6322-80-इक्कीस-अ(प्रा.) अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी अधिनियम, 2017 (क्रमांक 13 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 13 OF 2017

THE MADHYA PRADESH ARTHIK ROOP SE KAMZOR VARG TATHA NIMNA AAY VARG KO AWAS GUARANTEE ADHINIYAM, 2017

TABLE OF CONTENTS

Sections :—

1. Short title extent and commencement.
2. Definitions.
3. Entitlement of houses at afforedable price or free of cost residential plots to eligible persons.
4. Registration of eligible persons.
5. Allotment of houses and residential plots.
6. Constitution of District Level Housing Committee.
7. Duties of District Level Housing Committee.
8. Appeal against the decision of the Authorized Officer.
9. Power to make rules.
10. Power of the State Government to issue directions.
11. Power to remove difficulties.

MADHYA PRADESH ACT

No. 13 OF 2017

THE MADHYA PRADESH ARTHIK ROOP SE KAMZOR VARG TATHA NIMNA AAY VARG KO AWAS GUARANTEE ADHINIYAM, 2017

[Received the assent of the Governor on the 12th April, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 20th April, 2017.]

An Act to gurantee houses at affordable price or free of cost residential plots to eligible residents of the State of Madhya Pradesh and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows:—

Short title and extent and commencement.

1 (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Arthik Roop Se Kamzor Varg Tatha Nimna Aay Varg Ko Awas Guarantee Adhiniyam, 2017.

(2) It shall extend to whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "affordable price" means price prescribed by the State Government from time to time;

(b) "Authorized Offcer" means an officer not below the rank of Deputy Collector prescribed by the State Government from time to time, who is authorized to register the eligible persons for a house or residential plot;

(c) "District Level Housing Committee" means a District Level Housing Committee constituted under section 6;

(d) "domicile of Madhya Pradesh" means the person who is native of Madhya Pradesh as prescribed by the State Government from time to time;

(e) "economically weaker section or lower income group" means a family of economically weaker section or lower income group as prescribed by the State Government from time to time;

(f) "eligible person" means a economically weaker section or lower income group persons who is domicile of Madhya Pradesh and who does not own either in his own name or in the name of any member of his family any house or residential plot in the State of Madhya Pradesh:

Provided that a person having any type of house or plot as an owner or as a lease holder under any scheme of the Government shall not be eligible, but if a beneficiary is eligible as per the eligibility criteria specified in a Central or State Government Scheme, then such ineligibility shall not be applicable.

(g) "family" means husband/wife, their minor children and unmarried children of less than 25 years of age:

provided that a widow/divorced daughter, sister, daughter-in-law, father, mother, father-in-law/mother-in-law or paysically challenged brother, sister, son, daughter who is wholly dependent and living under the same roof shall be considered part of the family;

(h) "house" means a single storey or multi-storied superstructure with roof and toilet of minimum super built-up (constructed) area of each unit not less than 25 square meters, usable for residential purposes;

(i) "implementing agency" means as agency empowered to construct or allot house or residential plot under this Act and shall include the rural or urban local bodies, development authorities and the Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board;

(j) "residentrail plot" means a piece of land of minimum 45 sqaare meters in municipal Corporations and 60 square meters in other areas, upon which construction of a house shall be permissible.

Entitlement of houses at affordable price or free of cost residential plots to eligible persons.

3. (1) Every eligible person shall be entitled to a house at affordable price or free of cost residential plot and the State Government guarantees houses at affordable price or free of cost residential plots gradually to all eligible persons.

(2) The power to allot either a house or a residential plot shall vest with the implementing agency, and the grievances of housing shall be redressed by the District Level Housing Committee.

4. (1) If an eligible person is identified in a survey for getting a house at affordable price or free of cost residential plot, the Authorized Officer shall register such eligible person in the prescribed manner, who is having documents in proof of his eligibility. **Registration of eligible person.**

(2) The Authorized Officer shall maitain the rgister of eligible persons and give information of registered beneficiaries to the District Level Housing Committee.

5. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, the urban and rural local bodies may adopt land pooling for the purpose of allotment of houses and residential plots in such manner as may be prescribed. **Allotment of houses and residential plots.**

6. The State Government may constitute District Level Housing Committees in such manner and consisting of such members as may be presribed. **Constitution of District Level Housing Committees.**

7. The District Level Housing Committee shall estimate the requirement of housing on the basis of the information of eligible persons registered under its jurisdiction. The District Level Housing Committee may direct implementation agency for providing houses at affordable price or free of cost residentail plots gradually to the eligible persons registered under is jurisdiction, and it shall also perform such other dutics as entrusted to it by the State Government. **Duties of the District Level Housing Committee.**

8. Appeal against the decision of inclusion or exclusion eligible person by the Authorized Officer shall lie before the District Collector, who shall dispose such appeal within a period of sixty days. **Appeal against the decision of the Authorized Officer.**

9. (1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the provisions of this Act. **Power to make rules.**

(2) All rules made under this Section shall be laid before the Legislative Assembly.

10. The State Government may isssue such directions as it may consider necessary to give effect to the provisions of this Act. **Power of the State Government to issue directions.**

11. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty. **Power to remove difficulties.**

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2017.

310

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0, भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2554080 Fax 0755-2554080
Email:- anandsingh@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक/या0प्र0/07/2017/4492 भोपाल, दिनांक 23/05/2017

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर परिषद,
चिचोली, बड़वानी, अलिराजपुर, झाबुआ, पांढुर्ना, हर्रई, म्होगांव–छिंदवाड़ा, डिण्डौरी, लखनादोन, धनपुरी, जयसिंहनगर, शहडोल, अठनेर, भावरा, जोबट, अंजड़, खेतिया, पल्सूद, पानसेमल, राजपुर, सेंधवा, नेपानगर, डही, धामनोद–धार, धरमपुरी, कुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर, पेटलावद, रानापुर, थांदला, भिकनगांव, महेश्वर, मण्डलेश्वर, बैहर, दमुआ, जम्ई, सौंसर, शाहपुरा–डिण्डौरी, बम्हनी, बिछिया, नैनपुर, निवास, बिजुरी, कोतमा, बुढ़ार, पाली, सैलाना मध्यप्रदेश।

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास योजना के Beneficiary Led Construction (BLC) घटक अंतर्गत स्वीकृत परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में।**

-----***-----

विषयांतर्गत आपके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के Beneficiary Led Construction (BLC) घटक अंतर्गत प्रस्तुत परियोजना भारत सरकार की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) द्वारा स्वीकृत की गई है। जिसके क्रियान्वयन हेतु संलग्न सूची अनुसार हितग्राहियों की प्रथम किश्त राज्यांश राशि रु. 40 हजार प्रति हितग्राही के मान से राशि आपके प्रधानमंत्री आवास योजना के खाते में अंतरित की जा रही है। अतः निम्न कार्यवाही तत्काल कर 02 दिवस में राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित करें।

1. स्वीकृत योजना अंतर्गत चिन्हित समस्त हितग्राहियों के आधार का सत्यापन।
2. स्वीकृत योजना अंतर्गत चिन्हित समस्त हितग्राहियों के बैंक खाते का प्रमाणिकरण ताकि भारत एवं सरकार से अनुदान राशि जारी होने पर हितग्राही को तत्काल DBT के माध्यम से अंतरित की जा सके।
3. स्वीकृत योजना अंतर्गत चिन्हित समस्त हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा जारी करना।
4. PMAY MIS में स्वीकृत योजना अंतर्गत चिन्हित समस्त हितग्राहियों को योजना से Attach करना।
5. Geo-tagging हेतु दो सर्वेक्षक एवं एक पर्यवेक्षक का नामांकन।
6. पट्टा वितरण (यदि आवश्यक हो तो)
7. भूमि आवंटन (यदि आवश्यक हो तो)

संलग्न – सूची।

(डॉ. मंजू शर्मा)
अपर आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक/या.प्र./07/2017/4493 भोपाल, दिनांक ...../...../2017

प्रतिलिपि :– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालनयंत्री संभागीय कार्यालय न. प्र.एवं विकास म.प्र. प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देशानुसार अधीनस्थ निकायो में BLC घटक अंतर्गत तत्काल कार्य प्रारंभ कर पालन प्रतिवेदन भेजा जाना सुनिश्चित करें।

अपर आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म०प्र०, भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2554080 Fax 0755-2554080
Email:- anandsingh@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

311

क्रमांक/यॉ0प्र0/07/2017/ 7086 भोपाल, दिनांक 19/5/2017

प्रति,

1 समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम
मध्यप्रदेश

2 समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,/नगर परिषद्
मध्यप्रदेश

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना के कियान्वयन के संबंध में।

संदर्भः- संचालनाय का पत्र दिनांक 29.02.2016।

--00--

विषयातंर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास के द्वारा दिनांक 26.02.2016 को आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के कियान्वयन के सम्बंध में विस्तृत निर्देश दिये गये थे, जिसमें आवासों के मानचित्र, आवासों के गुणवत्ता, परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना, वित्तीय प्रबंधन, हितग्राही के चयन आदि के सम्बंध में आवासों के गुणवत्ता के सम्बंध में मुख्यतः निम्न निर्देश दिये गये थेः-

1. अंदर आयल बाउंड पेंटिंग, बाहर एक्सटिरिय वेदर प्रूफ पेंट किये जाए।
2. नल एवं विद्युत उपकरण उच्च क्वालिटि के लगाए जाए।
3. सीवरेज पानी के बहाव के लिए पाईप उच्च श्रेणी की डाली जाए।
4. फर्श में विट्रीफाइड टाइल्स लगाई जाए।
5. दरवाजे, फ्लश डोर एवं खिड़कियां उच्च श्रेणी की लगाई जाए।
6. रेलिंग माइल्ड स्टील लगाई जाए।
7. सीवरेज से निकलने वाले अनुपयोगी जल का उपचारित करने के उपरांत उसका उपयोग पार्कों एवं टायलेट्स में फ्लेसिंग के लिए उपयोग किया जाए।

उक्त निर्देश के बाद भी कुछ स्थानों पर निर्माण किये जा रहे आवासीय इकाई के निरीक्षण पर पाया गया है, भवनों में खिड़की एल्यूमिनियम की जगह लोहे की Z सेक्शन लगाये जा रहे हैं। यह उचित नहीं है ई.डब्ल्यू.एस, एल.आई.जी. एवं एम.आई.जी. आवासों के लिए दरवाजा, खिड़की के विस्तृत Drawing & Specification संचालनालय स्तर से तैयार किये गये जो कि संलग्न अनुसार प्रेषित किये जा रहे हैं। भविष्य में सभी भवनों में संलग्न ड्राइंग अनुसार ही दरवाजे, खिड़की लगाया जाना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कार्य SOR पर प्रतिशत दर पर निविदा आमंत्रित कर करायी जा रहे हैं। जिन कार्य की निविदा जारी कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, उनमें उपरोक्तानुसार Variation अनुमोदित कर नियमानुसार कार्य कराया जाए। जिनकी निविदा जारी नहीं की गई है, उनके प्राक्कलन में संशोधन उपरांत जारी करें। भविष्य में बनाये जाने वाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में इसी तरह के प्रावधान किया जाये।

(प्रभाकांत कटारे),
प्रमुख अभियंता,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\E-6 Letter\Letter\Anand_Sir Letter 641

312

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0, भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2554080 Fax 0755-2554080
Email:- anandsingh@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक/यॉ0प्र0/07/2017/ 8714 भोपाल, दिनांक 04.07.2017

प्रति,

संयोजक,
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,
क्षेत्रीय कार्यालय, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
अरेरा हिल्स, भोपाल
मध्य प्रदेश

विषय:- प्रधान मंत्री आवास योजनान्तर्गत शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने हेतु सामान्य दिशानिर्देश।

भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन, मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी समूह के प्रतिवेदन अनुसार भारत में 1878.8 लाख आवासों की आवश्यकता है, जिसमें से लगभग 96 प्रतिशत आवासों की कमी आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग में है। मध्यप्रदेश में उपरोक्त वर्ग में 11.52 लाख आवासों की आवश्यकता पायी गई है। भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने हेतु प्रधान मंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल (शहरी) - 2022 योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के Affordable Housing in Partnership (AHP) एवं In-situ Slum Redevelopment (ISSR) घटक में प्रायः परियोजना लागत का 70 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं नगरीय निकाय द्वारा वहन किया जाता है, शेष हितग्राही अंश होता है।

शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हितग्राहियों को हितग्राही अंश की पूर्ति के लिए लिये बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ की गई चर्चानुसार सामान्य दिशानिर्देश इस पत्र के साथ संलग्न कर जारी किये जा रहे हैं। उपरोक्त दिशानिर्देश से सभी बैंक/वित्तीय संस्थाओं को अवगत कराने का कष्ट करें।

(संलग्न:- उपरोक्तानुसार दिशानिर्देश की प्रति)

(विवेक अग्रवाल)
आयुक्त, सहसचिव
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/HFA/2017/ 8715 भोपाल, दिनांक 04.07.2017

प्रतिलिपि,

1. आयुक्त, समस्त नगर पालिक निगम एवं मुख्य नगर पालिक अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद् एवं नगर परिषद्, मध्य प्रदेश।
2. क्षेत्रीय प्रबंधक, HUDCO, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावास भवन भोपाल।
3. क्षेत्रीय स्थानीय प्रतिनिधि, नेशनल हाउसिंग बैंक, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया परिसर, भोपाल।
4. जोनल प्रमुख, समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक/प्राइवेट बैंक/हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एवं अन्य वित्तीय संस्था।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त, सहसचिव
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

313

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने हेतु सामान्य दिशानिर्देश :–

भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन, मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी समूह के प्रतिवेदन अनुसार भारत में 1878.8 लाख आवासों की आवश्यकता है, जिसमें से लगभग 96 प्रतिशत आवासों की कमी आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग में है। मध्यप्रदेश में उपरोक्त वर्ग में 11.52 लाख आवासों की आवश्यकता पायी गई है। भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने हेतु प्रधान मंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल – 2022 योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के Affordable Housing in Partnership(AHP) एवं In-Situ Slum Redevelopment (ISSR) घटक में प्रायः परियोजना लागत का 70 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं नगरीय निकाय द्वारा वहन किया जाता है, शेष हितग्राही अंश होता है।

शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हितग्राहियों को हितग्राही अंश की पूर्ती के लिए लिये बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ की गई चर्चानुसार दिशानिर्देश जारी किये जा रहे है, जो निम्नानुसार है :–

1. उद्देश्य :–

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने हेतु ये मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये गये है।

2. लाभांवित हितग्राही :–

ये मार्गदर्शी सिद्धांत प्रदेश के ऐसे हितग्राहियों को वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में लागू होंगे जो योजनायें भारत सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकाय एवं हितग्राहियों के अंशदान से क्रियान्वित की जाती है। हितग्राही की आयु 60 वर्ष या कम हो, शहरी गरीब हो एवं उसका चयन नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा किया गया हो।

18 से 50 वर्ष तक के हितग्राहियों को बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से ऋण दिया जाये। 50 से अधिक 60 वर्ष तक के हितग्राहियों के साथ सह–आवेदक (Coborrowor) के साथ ऋण दिया जाये। सह–आवेदक (Co-borrowor) मुख्य आवेदक के परिवार का सदस्य हो यथा पत्नि, पुत्र, पुत्री (Blood Relation)। इसका सत्यापन नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी (जिनके द्वारा भवन आवंटन आदेश जारी किये जाते हैं) द्वारा दिया जायेगा। सह–आवेदक (Coborrowor) की आयु को ध्यान में रखते हुये ऋण अवधि का निर्धारण किया जायेगा।

3. हितग्राहियों का चयन :–

म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.07.2007/दिनांक 01.11.2014 में निर्धारित मापदण्ड अनुसार हितग्राहियों का चयन नगरीय निकायों द्वारा कर उसकी सक्षम स्वीकृति संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर से प्राप्त करनी होगी

द्वारा देय होगा तथा शेष राशि बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। मार्जिन मनी हितग्राही द्वारा नगरीय निकाय में जमा किया जावेगा।

8. प्रक्रिया शुल्क :-

बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा हितग्राही से किसी भी प्रकार की प्रक्रिया शुल्क नहीं लिये जाने के अनुमोदन मुख्यालय से प्राप्त करें। औउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जैसे- बीमा शुल्क, वैधानिक शुल्क आदि का भुगतान नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थाओं को किया जायेगा, जो निम्नानुसार होंगे :-

विवरण	राशि
स्टॉप ड्यूटी, राज्य सरकार, पंजीयन विभाग (कलेक्टर ऑफ स्टाम्प)	राशि रू. 3000.00
चार्ज नोटिंग, राज्य सरकार, प्राणिज्यक कर विभाग (सब रजिस्ट्रार)	राशि रू. 1000.00
बीमा शुल्क (बीमा कंपनी)	राशि रू. 1000.00
सरफेसाइ चार्ज (भारत सरकार की संस्था)	राशि रू. 300.00
सिविल संस्था चार्ज (बैंको की शेयर होल्डिंग संस्था)	राशि रू. 200.00
कुल-	राशि रू. 5,500.00

उक्त राशि रू. 5,500.00 (पाँच हजार पाँच सौ रूपये मात्र) में राज्य सरकार को किये जाने वाले भुगतान की छूट के लिये प्रयास किये जायेंगे परन्तु छूट न मिलने तक बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा गृह ऋण स्वीकृत करने के उपरांत तीन दिवस में नगरीय निकायों को मांग पत्र प्रस्तुत किया जायेगा एवं नगरीय निकायों द्वारा तीन दिवस में बैंक/वित्तीय संस्थाओं को भुगतान किया जायेगा उक्त भुगतान उपरांत बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा यथा शीघ्र ऋण वितरित कर दिया जाय।

9. ऋण की अदायगी हेतु संपत्ति का बंधक रखना :-

हितग्राही द्वारा ली जाने वाले ऋण के विरूद्ध वित्तीय संस्थाओं द्वार आवासीय इकाईयों को ऋण अवधि तक के लिये बंधक रखा जायेगा। बंधक के रूप में हितग्राही के पक्ष में किये गऐ अलाटमेंट की मूल प्रति वित्तीय संस्थाओं में जमा करायी जायेगी। ऋण राशि की पूर्ण अदायगी होने के उपरांत उक्त अलाटमेंट की प्रति बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा हितग्राही को मूलतः वापस कर दी जायेगी। पूर्ण ऋण भुगतान के उपरांत आवासीय इकाई की रजिस्ट्री हितग्राही के नाम करायी जायेगी।

10. ऋण राशि की अदायगी न किये जाने की स्थिति :-

यदि हितग्राही द्वारा ऋण राशि की लगातार तीन किस्तें अदायगी नहीं की जाती एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण अदायगी के संपूर्ण प्रयास करने के बाद यह सुनिश्चित हो गया हो कि हितग्राही ऋण की राशि अदा नहीं करेगा उस स्थिति में वित्तीय संस्थायें नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी को सूचना देगा, दी गई सूचना अनुसार नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा ऋण की राशि वापस प्राप्त करने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।

10.1 संबंधित नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा डिफाल्टर हितग्राही का आवास आवंटन निरस्त कर उस आवास को रिक्त कराया जायेगा। रिक्त होने के उपरांत नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा संधारित प्रतीक्षा सूची में से अग्रक्रम के आधार पर

आवास का आवंटन किया जायेगा। यह प्रक्रिया नगरीय निकायों द्वारा 45 दिवस में पूर्ण की जायेगी। द्वितीय हितग्राही द्वारा स्वयं हितग्राही अंश की राशि जमा की जायेगी अथवा उसके पास राशि न होने की स्थिति में पुनः वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। यह प्रक्रिया द्वितीय हितग्राही द्वारा 30 दिवस में पूर्ण करनी होगी। द्वितीय हितग्राही, हितग्राही अंश की पूर्ति हेतु निम्न विकल्प अनुसार कार्यवाही कर सकता है :-

10.1.1 यदि द्वितीय हितग्राही द्वारा ऋण न लेते हुये नगद राशि जमा की जाती है, तो यह राशि नगरीय निकाय में जमा होगी। नगरीय निकाय, मूल हितग्राही द्वारा लिये गये ऋण के विरूद्ध कुल देय राशि (Total Dues) की पूर्ति मूल हितग्राही को ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंक/वित्तीय संस्था को प्रदाय करेगा। बैंक/वित्तीय संस्था की कुल देय राशि (Total Dues) देने के उपरांत राशि बचती है, तो वह मूल हितग्राही को वापस की जायेगी।

10.1.2 यदि द्वितीय हितग्राही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेता है तो, इस संस्था द्वारा राशि नगरीय निकाय को भुगतान की जायेगी। नगरीय निकाय, मूल हितग्राही द्वारा लिये गये ऋण के विरूद्ध कुल देय राशि (Total Dues) की पूर्ति हेतु, मूल हितग्राही को ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंक/वित्तीय संस्था को प्रदाय करेगा। बैंक/वित्तीय संस्था की कुल देय राशि (Total Dues) देने के उपरांत राशि बचती है, तो वह मूल हितग्राही को वापस की जायेगी।

10.1.3 यदि द्वितीय हितग्राही उसी बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेता है, जिसमें मूल हितग्राही का ऋण था, बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा द्वितीय हितग्राही को (खण्ड-- 7 अनुसार) ऋण उपलब्ध कराया जायेगा एवं बैंक/वित्तीय संस्था की कुल देय राशि (Total Dues) देने के उपरांत राशि बचती है, तो वह मूल हितग्राही को वापस की जायेगी।

10.2 नगरीय निकायों में प्रतीक्षा सूची न होने की स्थिति में नगरीय निकाय द्वारा पुनः राज्य शासन के निर्देशानुसार हितग्राही का चयन कर आवंटन की प्रक्रिया कण्डिका 3 के अनुसार करेगा एवं द्वितीय हितग्राही को उपरोक्त प्रावधान अनुसार ऋण उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी।

10.3 यदि हितग्राही के ऋण अदायगी न करने की स्थिति में प्राधिकारी किसी भी कारण से आवासीय इकाई के पुर्न आवंटन में सफल न हो तो ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा प्राधिकारी को डिफाल्ट की दी गई सूचना की तिथि से 180 दिन के अंदर संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान प्राधिकारी द्वारा बैंक को किया जायेगा।

11. वित्तीय संस्थाओं की भूमिका :-

वित्तीय संस्थायें नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा चयनित सूची के हितग्राहियों को अपनी संस्थाओं के नियमों के साथ उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये यथासंभव स्थल पर ही नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी के सहयोग से ऋण उपलब्ध कराने की कार्यवाही करेंगे।

मध्य प्रदेश के सभी शहरों में कुल 4-5 लाख ऐसे आवासों का निर्माण किया जाना है। हितग्राही अंश की पूर्ती समय पर नहीं होने से कार्य पूर्ण होने में विलम्ब होगा एवं योजना का लक्ष्य समय पर प्राप्त नहीं हो सकेगा। हितग्राही की संख्या अधिक होने के कारण बैंक/वित्तीय संस्था सभी स्थलों पर लगने वाले शिविर में अपने प्रतिनिधि भेजे एवं हितग्राही को ऋण उपलब्ध करायें।

बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण प्राप्त करने की समस्त दस्तावेजीकरण औपचारिकता स्थल पर एक दिवस में कर ली जाय तथा हितग्राही को एक बार बैंक आने के लिये स्थल पर ही तिथि सुनिश्चित कर दी जाये। बैंक/वित्तीय संस्थायें 15 दिवस की अवधि में ऋण स्वीकृत कर नगरीय निकाय में उपलब्ध कराया जाय। बैंकों द्वारा निम्न स्थितियों पर ही आवेदनों को निरस्त किया जाय:-

1. हितग्राही द्वारा दी गई जानकारी गलत पायी जाती है।
2. किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर पाये जाने पर।

12. नगरीय निकायों की भूमिका :-

नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा हितग्राहियों की चयनित सूची, भूमि का मास्टर सर्च दस्तावेज, आवासों की कीमत, अनुमोदित ले-आउट प्लान, भवन का यूनिट प्लान, आवंटन आदेश की प्रति, प्रक्रिया शुल्क संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थाओं को उपलब्ध करायी जायेगी। स्थल पर शिविर लगाकर बैंक/वित्तीय संस्थाओं एवं हितग्राहियों के मध्य समन्वय कर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। ऋण राशि का पुनर्भुगतान न होने की स्थिति में कण्डिका 10 के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

13. ब्याज अनुदान :-

भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आवास निर्माण/मरम्मत/नये आवास क्रय करने हेतु ऋण राशि की ब्याज दर पर ब्याज अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में ऐसी योजना प्रभावशील नहीं है परन्तु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा भविष्य में यदि कोई योजना लागू की जाती तो योजना के प्रावधान अनुसार बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा हितग्राहियों को लाभ दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत कोई भी हितग्राही योजना के किसी एक ही घटक का लाभ ले सकता है। चूंकि इन हितग्राहियों को AHP/SSR घटक अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है, ये हितग्राही योजना के ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी (CLSS) अंतर्गत लाभ नहीं ले सकते। इन हितग्राहियों के ऋण पर बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रचलित ब्याज दर पर ऋण दिया जायेगा।

14. आय का सत्यापन :-

आय का प्रमाण पत्र हितग्राही द्वारा दिया जाय जिसमें हितग्राही अपने व्यवसाय के साथ कम से कम होने वाली आय राशि सत्यापित करें।

15. त्रिपक्षीय अनुबंध :-

वित्तीय संस्थाओं के नियमों एवं उपरोक्त दिशानिर्देशों के परिप्रेक्ष्य में Model Tripartite Agreement तैयार किया गया है। जिसे बैंक/वित्तीय संस्थाओं, नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी तथा हितग्राहियों के मध्य किया जायेगा।

16. गृह ऋण वितरण के चरण :-

हितग्राही ऋण का Disbursement चार चरणों में किया जावेगा। यह चार चरण निर्माण कार्य के आधार पर निम्नानुसार हैं :-

चरण क्र.	निर्माण कार्य की स्थिति	ऋण राशि का
1	Plinth स्तर पर	10%
2	Slab स्तर पर	30%
3	ब्रिक वर्क एवं प्लास्टर स्तर पूर्ण होने पर	30%
4	भवन पूर्ण होने पर	30%

चरण पूर्ण होने पर नगर निगम/नगर पालिका द्वारा हितग्राही को डिमांड नोट भेजना होगा जिसकी प्रति सम्बंधित बैंक/वित्तीय संस्था को दी जावेगी, बैंक द्वारा 10 दिन में Disbursement की कार्यवाही पूर्ण करना होगी।

17. Moratorium की अवधि :-

AHP/ISSR घटक के हितग्राहियों को आवास का आवंटन प्री-अलोटमेंट के द्वारा किया जावेगा, अतः हितग्राही को प्रथम Disbursement की दिनांक से 18 माह तक की मोरेटोरियम अवधि देना होगा। 18 माह पश्चात/आवास निर्माण पूर्ण होने पर हितग्राही की मासिक किश्त (EMI) प्रारंभ होगी। हितग्राही चाहे तो प्रथम चरण के Disbursement के साथ ही अपनी ऋण की किश्त देना प्रारंभ कर सकता है, बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा इस हेतु हितग्राही की राय लेना अनिवार्य होगा। मोरेटोरियम अवधी में हितग्राही द्वारा ब्याज का भुगतान सम्बंधित बैंक/वित्तीय संस्था के नियमानुसार किया जायेगा।

17. अग्रिम पुर्नभुगतान (Prepayment of Loan) :-

हितग्राही चाहे तो स्वयं के स्त्रोत से ऋण की राशि का अग्रिम पुनर्भुगतान कर सकता है उक्त पुनर्भुगतान की स्थिति में बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा हितग्राही से कोई भी अग्रिम पुनर्भुगतान शुल्क चार्ज नहीं करेंगे।

18. विवाद समाधान/मध्यस्थता खंड (Dispute resolution/Arbritation) :-

त्रिपक्षीय अनुबंध में किसी भी पक्षकार का अन्य किसी भी पक्षकार से कोई विवाद/समस्या उत्पन्न होती है, तो सभी पक्षकार मिलकर समस्या का समाधान करेंगे किन्तु समस्या समाधान नहीं होने की स्थिति में आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल द्वारा नामांकित अधिकारी की मध्यस्थता में समस्या का समाधान करेंगे।

(विवेक अग्रवाल),
आयुक्त, सहसचिव
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

त्रिपक्षीय अनुबंध

1. यह अनुबंध आज दिनांक ..... प्रथम पक्ष श्री.....आ. श्री ..... निवासी.....जिन्हें आगे हितग्राही कहा गया है।

एवं

2. द्वितीय पक्ष नगर पालिक निगम/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया जब तक की संदर्भ से अन्यथा प्रतिकूल न हो इस शब्द में द्वितीय पक्ष के उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक एवं एसायनीज भी सम्मिलित है।

एवं

3. .....बैंक/वित्तीय संस्था जो कि बैंक एक्ट ..... जिसका की पंजीयत कार्यालय.....स्थित है, और जिसका की प्रतिनिधित्व इसकी शाखाओं मे से एक जो कि .....(मध्य प्रदेश) पर स्थित है, जिसे आगे की बैंक/वित्तीय संस्था के नाम से संबोधित किया गया है, इस शब्द में तृतीय पक्ष के जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रतिकूल न हो उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक एवं एसायनीज भी सम्मिलित है।

4. हितग्राही को प्राधिकारी की प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल– 2022 योजना के अर्न्तगत **AHP/ISSR** घटक में स्थित ..... निर्मित आवासीय इकाई/भवन क्रं. ..... का आवंटन पत्र क्रं. ..... दि. ..... के द्वारा आवंटित किया गया है जिसका की हितग्राही द्वारा प्राधिकारी को एक मुस्त/किस्तों में जैसा की आवंटन की शर्तो में प्रावधानिक किया गया है, का भुगतान किया जाना है।

5. हितग्राही ने प्राधिकारी की उक्त योजना में आवासीय इकाई/भवन को क्रय करने हेतु राशि रु. ..... स्वयं द्वारा एवं शेष राशि हाउसिंग ऋण द्वारा बैंक/वित्तीय संस्था से आवेदन किया गया है। इसलिए बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा हितग्राही को राशि रू. .....(रू. .....) केवल का हाउसिंग ऋण प्रदान करना स्वीकार किया है हितग्राही वित्तीय संस्था/बैंक से स्वीकृत उक्त हाउसिंग ऋण बैंक/वित्तीय संस्था में प्रचलित शर्तो के अधीन लेने में अपनी सहमति देता है।

6. शर्तो के अनुसार हितग्राही/प्राधिकारी को उपरोक्त आवासीय इकाई को बंधक रखने की सहमति वित्तीय संस्था/बैंक को देता है। ऋण ली गई राशि बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी में जमा की जायेगी तथा ऋण की अदायगी हितग्राही द्वारा उक्त बैंक/वित्तीय संस्थाओं को किया जायेगा।

7. हितग्राही इस बात की सहमती देता है कि, प्रत्येक स्थिति में बैंक/वित्तीय संस्था की और से प्राधिकारी को किये गये ऋण भुगतान, यह माना जावेगा मानो सीधे हितग्राही को किया गया हो यदि बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा अथवा हितग्राही द्वारा प्राधिकारी को भुगतान में किसी भी प्रकार का विलम्ब होता है तो दोनो ही स्थितियों में हितग्राही की और से त्रुटि मानी जायेगी एवं हितग्राही प्राधिकारी को इस प्रकार विलम्बित भुगतान के लिये शास्ति यदि कोई हो तो भुगतान करेगा।

8. तृतीय पक्ष बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋण स्वीकृत आदेश में दर्शित किस्तों का भुगतान लगातार तीन किस्तों से अधिक का विलम्ब होता है, तो प्राधिकारी द्वारा आवासीय इकाई का आवंटन निरस्त एवं आवासीय इकाई रिक्त कराकर पुनः आवंटन संचालनालय के सामान्य निर्देश क्रमांक/यां.प्र./07/8714 दिनांक 04/07/2017 के अनुसार किया जायेगा।

9. प्राधिकारी हितग्राही का पृथक लेखा संधारण करेगा और बैंक/वित्तीय संस्थान से इसे प्राप्त होने वाली राशि का समायोजन उपरोक्त हितग्राही की आवंटित भवन/आवासीय इकाई की कीमत के मद में करेगा।

10. प्राधिकारी यह वचन देता है कि हितग्राही अंश के सम्पूर्ण भुगतान के उपरान्त भवन/आवासीय इकाई की लीजडीड निष्पादित करेगा, हितग्राही भी यह सुनिश्चित करेगा कि निष्पादित लीजडीड को पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध कराकर तुरन्त पश्चात वह उक्त भवन/आवासीय इकाई की लीजडीड/पट्टानामा बैंक/वित्तीय संस्था में जमा करेगा। तदउपरान्त हितग्राही को भवन/आवासीय इकाई का कब्जा दिया जायेगा।

11. बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत ऋण के लिये भवन/आवासीय इकाई उक्त ऋण की संपत्ति का भाग होगा।

12. प्राधिकारी इसके लिये सक्षम है कि किसी भी स्थिति में हितग्राही को रेफण्ड द्वारा अथवा अन्य किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से कोई राशि का भुगतान बैंक/वित्तीय संस्था की लिखित सहमति के बिना नहीं करेगा।।

13. भवन/आवासीय इकाई का पट्टा अहस्तांतरणीय है। हितग्राही द्वारा उक्त भवन/आवासीय इकाई को दानपत्र/विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय किया जाना प्रतिबंधित रहेगा एवं ना ही कोई ऐसा कार्य करेगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त भवन के टाईटल को प्रभावित करता हो।

14. यदि हितग्राही की ऋण अवधि में मृत्यु हो जाती है तो ऋण अदायगी की जिम्मेदारी उनके वारिस जिनके नाम पर प्राधिकारी के अभिलेखों में नामान्तरण/नाम संशोधन किया जायेगा, होगी।

15. हितग्राही द्वारा ऋण राशि की लगातार तीन किस्तें अदायगी नहीं की जाती एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण अदायगी के संपूर्ण प्रयास करने के बाद यह सुनिश्चित हो गया हो कि हितग्राही ऋण की राशि अदा नहीं करेगा उस स्थिति में वित्तीय संस्थायें नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी को सूचना देगा, दी गई सूचना अनुसार नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा ऋण की राशि वापस प्राप्त करने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।

15.1 संबंधित नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा डिफाल्टर हितग्राही का आवास आवंटन निरस्त कर उस आवास को रिक्त कराया जायेगा। रिक्त होने के उपरांत नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा संधारित प्रतीक्षा सूची में से अग्रतक्रम के आधार पर आवास का आवंटन किया जायेगा। यह प्रक्रिया नगरीय निकायों द्वारा 45 दिवस में पूर्ण की जायेगी। द्वितीय हितग्राही द्वारा स्वयं हितग्राही अंश की राशि जमा की जायेगी अथवा उसके पास राशि न होने की स्थिति में पुनः वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। यह प्रक्रिया द्वितीय हितग्राही द्वारा 30 दिवस में पूर्ण करनी होगी। द्वितीय हितग्राही, हितग्राही अंश की पूर्ति हेतु निम्न विकल्प अनुसार कार्यवाही कर सकता है :-

15.1.1 यदि द्वितीय हितग्राही द्वारा ऋण न लेते हुये नगद राशि जमा की जाती है, तो यह राशि नगरीय निकाय में जमा होगी। नगरीय निकाय, मूल हितग्राही द्वारा लिये गये ऋण के विरूद्ध कुल देय राशि (Total Dues) की पूर्ति मूल हितग्राही को ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंक/वित्तीय संस्था को प्रदाय करेगा। बैंक/वित्तीय संस्था की कुल देय राशि (Total Dues) देने के उपरांत राशि बचती है, तो वह मूल हितग्राही को वापस की जायेगी।

15.1.2 यदि द्वितीय हितग्राही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेता है तो, इस संस्था द्वारा राशि नगरीय निकाय को भुगतान की जायेगी। नगरीय निकाय, मूल हितग्राही द्वारा लिये गये ऋण के विरूद्ध कुल देय राशि (Total Dues) की पूर्ति हेतु, मूल हितग्राही को ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंक/वित्तीय संस्था को प्रदाय करेगा। बैंक/वित्तीय संस्था की कुल देय राशि (Total Dues) देने के उपरांत राशि बचती है, तो वह मूल हितग्राही को वापस की जायेगी।

15.1.3 यदि द्वितीय हितग्राही उसी बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेता है, जिसमें मूल हितग्राही का ऋण था, बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा द्वितीय हितग्राही को (खण्ड– 8 अनुसार) ऋण उपलब्ध कराया जायेगा एवं बैंक/वित्तीय संस्था की कुल देय राशि (Total Dues) देने के उपरांत राशि बचती है, तो वह मूल हितग्राही को वापस की जायेगी।

15.2 नगरीय निकायों में प्रतीक्षा सूची न होने की स्थिति में नगरीय निकाय द्वारा पुनः राज्य शासन के निर्देशानुसार हितग्राही का चयन कर आवंटन की प्रक्रिया कण्डिका 4 के अनुसार करेगा एवं द्वितीय हितग्राही को उपरोक्त प्रावधान अनुसार ऋण उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी।

"परन्तु यदि हितग्राही के ऋण अदायगी न करने की स्थिति में प्राधिकारी किसी भी कारण से आवासीय इकाई के पुर्न आवंटन में सफल न हो तो ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा प्राधिकारी को डिफाल्ट की दी गई सूचना की तिथि से 180 दिन के अंदर संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान प्राधिकारी द्वारा बैंक को किया जायेगा"।

16. हितग्राही स्वयं के स्त्रोत से ऋण की राशि का अग्रिम पुनर्भुगतान कर सकता है। उक्त पुनर्भुगतान की स्थिति में बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा हितग्राही से कोई भी अग्रिम पुनर्भुगतान शुल्क चार्ज नहीं किया जायेगा।

17 हितग्राही ऋण का Disbursement अधिकतम चार चरणों में किया जावेगा। यह चार चरण निर्माण कार्य के आधार पर निम्नानुसार हैं :–

चरण क्र.	निर्माण कार्य की स्थिति	ऋण राशि का
1	Plinth स्तर पर	10%
2	Slab स्तर पर	30%
3	ब्रिक वर्क एवं प्लास्टर स्तर पूर्ण होने पर	30%
4	नयन पूर्ण होने पर	30%

प्रति चरण पूर्ण होने पर नगरीय निकाय द्वारा हितग्राही को डिमाड नोट भेजना होगा जिसकी प्रति संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था को दी जावेगी, बैंक द्वारा 10 दिन में Disbursement की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

322

17. बैंक द्वारा उक्त ऋण पर हितग्राही को प्रथम Disbursement की दिनांक से ..... माह तक मोरेटोरियम अवधि प्रदान की जाती है। हितग्राही की किश्त (EMI) दिनांक ..... से प्रारंभ होगी। मोरेटोरियम की अवधि में हितग्राही द्वारा बैंक के नियमानुसार ब्याज का भुगतान किया जावेगा।

18. त्रिपक्षीय अनुबंध में किसी भी पक्षकार का अन्य किसी भी पक्षकार से कोई विवाद/समस्या उत्पन्न होती है तो सभी पक्षकार मिलकर समस्या का समाधान करेंगे किन्तु समस्या समाधान नहीं होने की स्थिति में संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल मध्य प्रदेश की मध्यस्थता में समस्या का समाधान करेंगे।

प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष तृतीय पक्ष

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-4061053 Fax 0755-4061052
Email:- snoray@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक/यो0प्र0/07/2017/12170 भोपाल, दिनांक 11/10/2017

323

// आदेश //

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के आदेश क्र./यो.प्र./07/2017/11545 भोपाल, दिनांक 21.09.2017 द्वारा भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिये आवास 2022, अंतर्गत योजना को गति प्रदान करने एवं नियत अवधि में लक्ष्य पूर्ण करने हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने बाबत् आदेश जारी किया गया था। प्रशासनिक कारणों से निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है। शेष जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति यथावत् है।

क्र.	जिले का नाम	पूर्व में नियुक्त प्रभारी अधिकारी का नाम एवं पद	संशोधन उपरांत नियुक्त प्रभारी अधिकारी का नाम एवं पद
1	अशोक नगर	श्री जेपी. पारा कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास ग्वालियर संभाग, ग्वालियर	श्री आर. के. कार्तिकेय, संयुक्त संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल
2	भिण्ड	श्री आर के कार्तिकेय, संयुक्त संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल	श्री जेपी पारा कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
3	धार	श्री सी.यू.रॉय, उप संचालक संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल	श्री अभय राजनगांवकर, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंदौर संभाग, इंदौर
4	विदिशा	श्री राजीव गोस्वामी, अधीक्षण यंत्री, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल	श्री सी.यू.रॉय, उप संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल
5	बुरहानपुर	श्री अभय राजनगांवकर, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंदौर संभाग, इंदौर	श्री राजीव गोस्वामी, अधीक्षण यंत्री, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल
6	सिंगरौली	श्री एल.डी. विश्वकर्मा कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास रीवा, संभाग रीवा	श्री राकेश तिवारी, सहायक यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास रीवा संभाग रीवा
7	उमरिया	श्री राकेश तिवारी, सहायक यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रीवा संभाग, रीवा	श्री संजय कुमार, अधीक्षण यंत्री, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल
8	छिंदवाड़ा	श्री सुरेश सेजकर, अधीक्षण यंत्री, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल	श्री प्रदीप मिश्रा, कार्यपालनयंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर संभाग, जबलपुर
9	नरसिंहपुर	श्री प्रदीप मिश्रा, कार्यपालनयंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर संभाग, जबलपुर	श्री सुरेश सेजकर, अधीक्षण यंत्री, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल
10	सिवनी	श्री संजय कुमार, अधीक्षण यंत्री, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल	श्री दिनेश सिंह, उप संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल

संलग्न – (PMAY योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत)

(डॉ. मंजू शर्मा)
अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल, मध्यप्रदेश

324

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2554080 Fax 0755-2554
Email:- anandsingh@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0, भोपाल
Directorate. Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

क्रमांक/यौ0प्र0/07/2017/13658 भोपाल, दिनांक 05.12.2017

प्रति,

1. आयुक्त,
नगर पालिक निगम, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर
कटनी, रतलाम, खण्डवा, मुरैना, रीवा, सतना, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश।

2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर परिषद/राजगढ़, विदिशा, रुठरणी, हरदा, शाहगंज,
बुदनी, रेहटी, सिवनी मालवा, इटारसी, राजसेन, गुना, शिवपुरी, राघौगढ़ विजयपुर,
खरगौन, पीथमपुर, धार, डिण्डौरी, बालाघाट, सिवनी, मण्डला, रामपुर बघेलन, अनूपपुर,
दमोह, छतरपुर, खुरई, पथरिया, चंदला, टीकमगढ़, मंदसौर, नीमच,
मध्यप्रदेश।

विषयः-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के AHP घटक अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के संबंध में दिशा निर्देश।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के AHP घटक अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में निम्नानुसार निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें-

स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के AHP परियोजना के कार्यस्थल पर पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सूचना पटल लगाया जाये जिसमें उपयोग की जा रही निर्माण सामग्री के Specification, निर्माता कम्पनी का नाम, अनुमानित लागत, आवश्यक इकाईयों की संख्या (EWS, LIG, MIG, HIG), कार्य प्रारंभ दिनांक, कार्य समाप्ति दिनांक एवं NBC Code का उल्लेख किया जाये।

निर्देशों का पालन कर पालन प्रतिवेदन एक सप्ताह मे प्रेषित करना सुनिश्चित करने का अनुरोध है।

(एच.एन. गुप्ता)
मुख्य अभियंता,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठां. क्र.यौ0प्र0/7/2017/13659 भोपाल, दिनांक 05/12/2017

प्रतिलिपि,

1. निज सचिव, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. निज सचिव, प्रमुख अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. समस्त संयुक्त संचालक/संभागीय कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास संभागीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।
4. Egis India Pvt. Ltd. TL की ओर सभी स्वीकृत परियोजनाओं के निर्माण स्थल पर उपरोक्तानुसार व्यवस्था कर 07 दिवस में पालन प्रतिवेदन निकायों से स्थलवार योजनावार प्रस्तुत कराने हेतु प्रेषित करें।

मुख्य अभियंता,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्यप्रदेश भोपाल

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0, भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2554080 Fax 0755-2554080
Email:- anandsingh@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक/यो0प्र0/07/2018/1927 भोपाल, दिनांक 01/.03./2018

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, सागर, रीवा, सतना, सिंगरौली, छिन्दवाड़ा, कटनी, मुरैना, खण्डवा
मध्य प्रदेश

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिक परिषद् एवं नगर परिषद अनूपपुर, बालाघाट, बुधनी, चाँदला, छतरपुर, दमोह, धार, डिंडौरी, गुना, हरदा, इटारसी, खरगौन खुरई, मंडला, मंदसौर, नीमच, पथरिया, पीथमपुर, राघोगढ़-विजयपुर, रायसेन, राजगढ़, रामपुर-बघेलान रेहटी, सारणी, सिवनी, सिवनी-मालवा, शाहगंज, शिवपुरी, टीकमगढ़, विदिशा
मध्य प्रदेश

विषय :- प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) – AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके निकाय में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक-3 AHP अंतर्गत परियोजना स्वीकृत की गई है। लगभग सभी निकायों में कार्य प्रारंभ हो गया है। स्वीकृत परियोजना अनुसार केन्द्रांश एवं राज्यांश के अतिरिक्त हितग्राही अंश एवं LIG/ MIG/ COMMERCIAL इकाइयों से भी राशि प्राप्त कर योजना का कार्य पूर्ण किया जाना है। पूर्व में उक्त के वित्तीय प्रबन्धन हेतु आपको निर्देशित भी किया गया है आपको लगातार विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौखिक एवं लिखित में भी निर्देशित किया गया है की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय प्लान तैयार कराकर क्रियान्वयन किया जाये तथा ब्रिज लोन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाये किन्तु देखा जा रहा है कि निकाय पूर्ण रूप से केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि पर निर्भर होकर कार्य कर रहे हैं एवं वित्तीय प्रबंधन नहीं होने से कार्य रुकने की स्थिति निर्मित हो रही है जिस पर प्रमुख सचिव महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि निम्न कार्यवाही कर 7 दिवस में संचालनालय को सूचित करें:-

- परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय प्रबंधन प्लान तैयार करे एवं LIG/MIG/Commercial इकाइयों की लागत तय कर राशि का प्रबंध करें।
- समस्त हितग्राहियों से हितग्राही अंश की राशि प्राप्त करना प्रारंभ करे एवं कैंप लगाकर हितग्राहियों के बैंक ऋण स्वीकृत करावें (इस हेतु संचालनालय से त्रिपक्षीय अनुबंध एवं दिशानिर्देश जारी किये गए हैं, उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें)।

[illegible]
[illegible]

क्रमांक/कं0प्र0/27/2018/[illegible] भोपाल, दिनांक [illegible]

326

प्रति,-

1. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम
मध्यप्रदेश

2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्/नगर परिषद्
मध्यप्रदेश।

विषयः-शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिये आवास-2022 के अंतर्गत लाभ दिये जाने हेतु।

संदर्भः-माननीय मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा क्र. B-4408 एवं B-4427 दिनांक 24.02.2018।

—00—

विषयान्तर्गत दिनांक 24.02.2018 को मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्नानुसार घोषणा की गई है :-

- B-4408 जबलपुर (असंगठित श्रमिक महासम्मेलन) पनागर - 24.02.2018 [illegible] मजदूरों को मिलेंगे पक्के आवास/ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन को आवास [illegible] मकान निर्माण हेतु सहायता दी जायेगी।
- B-4427 जबलपुर (असंगठित श्रमिक महासम्मेलन) पनागर - [illegible] 2011 की सूची के बाद भी जो पात्र है, उन्हें पक्का मकान दिया जायगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिये आवास-2022 के अंतर्गत [illegible] क्षेत्र में शहरी गरीबों के लिये नगरीय निकायों के माध्यम से आवासों का निर्माण मुख्यतः दो घटकों में प्रथम अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप [illegible] कंस्ट्रक्शन में किया जा रहा है।

संभागीय एवं जिला स्तर पर श्रम विभाग एवं श्रम कर्मकार मंडल के कार्यालय में सम्पर्क कर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता से लाभ एवं कर्मकार मंडल के द्वारा प्रदाय किये जाने वाले अतिरिक्त अनुदान दिलाया जाना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त सह प्रमुख सचिव द्वारा आदेशित)

(डॉ. मंजू शर्मा)
अपर आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक :24/03/2018

पृष्ठां. क्र.यां0प्र0/7/2018/3616

प्रतिलिपि,

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास को उपरोक्त आदेश उपलब्ध कराकर पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।

अपर आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश

327

भोपाल दिनांक 03 /04/2018

क्रमांक एफ-10-47/2015/18-2:: राज्य शासन एतददद्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास- (शहरी) के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिया गया है कि-

प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास- (शहरी) को निरंतर वर्ष 2022 तक रखा जावे।

1. निर्धारित किये गये लक्ष्य अनुसार दिसम्बर- 2018 तक 5 लाख आवासीय इकाई नगरीय निकाय अथवा प्रदेश की अन्य पैरास्टेटल एजेंसियों के माध्यम से निर्माण किया जावे। इस हेतु तैयार किये गए रोडमैप अनुसार विभाग को बजट में आवश्यक राशि निम्नानुसार उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

1.1 दिसम्बर 2018 तक 5.00 लाख EWS आवासों हेतु केन्द्रांश की राशि रु. 7534.74 करोड़ में राज्यांश राशि रु. 5460.59 करोड़ सम्मिलित करते हुए कुल राशि रु. 12995.33 करोड़ की स्वीकृति दी जाती है।

1.2 5.00 लाख EWS आवास पूर्ण करने हेतु केन्द्रांश की राशि रु. 6,272.93 करोड़ में राज्यांश राशि रु. 4,457.29 करोड़ सम्मिलित करते हुए शेष राशि रु. 10,730.23 करोड़ की स्वीकृति दी जाती है।

1.3 मार्च 2019 तक 1.00 लाख आवास पूर्ण करने हेतु केन्द्रांश की राशि रु. 1500.00 करोड़ में राज्यांश राशि रु. 1150.00 करोड़ सम्मिलित करते हुए कुल राशि रु. 2650.00 करोड़ की स्वीकृति दी जाती है।

1.4 वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1.50 लाख आवास पूर्ण करने हेतु केन्द्रांश की राशि रु. 2278.59 करोड़ में राज्यांश राशि रु. 1745.50 करोड़ सम्मिलित करते हुए कुल राशि रु. 4024.09 करोड़ की स्वीकृति दी जाती है।

1.5 वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1.50 लाख आवास पूर्ण करने हेतु केन्द्रांश की राशि रु. 2278.59 करोड़ में राज्यांश राशि रु. 1745.50 करोड़ सम्मिलित करते हुए कुल राशि रु. 4024.09 करोड़ की स्वीकृति दी जाती है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1.00 लाख आवास पूर्ण करने हेतु केन्द्रांश की राशि रु. 1528.59 करोड़ में राज्यांश राशि रु. 1170.50 करोड़ सम्मिलित करते हुए कुल राशि रु. 2699.09 करोड़ की स्वीकृति दी जाती है।

उपरोक्त व्यय के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के घटकवार आवासीय इकाइयों का आवश्यकतानुसार राज्यांश की निर्धारित सीमा में घटकों में परिवर्तन किया जा सकेगा।

2. योजना के घटक-4 लाभार्थी आधारित स्व निर्माण (BLC) अंतर्गत हितग्राही को राज्यांश कि प्रथम किश्त भारत सरकार की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) से परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत होने के उपरांत दे दिया जाये ताकि हितग्राही आवास का निर्माण प्रारंभ कर सके तदोपरांत भारत सरकार से केंद्रांश प्राप्त होने पर हितग्राही को शेष राशि की स्वीकृति दी जाती है।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना की दिशानिर्देशिका कि कंडिका क्र. 14.7 को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन एजेंसी को परियोजनाओं कि वास्तविक प्रगति के आधार पर निधियां जारी करने की स्वीकृति दी जाती है।

4. एस.ई.सी.सी. डाटा वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित है। वर्ष 2011 के बाद भी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी गरीब निवास करने लगे हैं। अतः ऐसी स्थिति में एस.ई.सी.सी. डाटा से हितग्राही का मिलान किया जाये परन्तु यदि किसी हितग्राही का एस.ई.सी.सी. डाटा में उल्लेख नही मिलता है और भौतिक रूप से वह स्थल पर पाया जाता है तथा योजना अनुसार अन्य मापदण्ड पूर्ण करता है तो उसे योजनान्तर्गत अपात्र घोषित न किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

ऐसे हितग्राही जो संबंधित आबादी क्षेत्र में पूर्व से निवासरत हैं एवं नगरीय निकाय को नियमित सम्पत्तिकर/समेकित कर का भुगतान कर रहे हैं किन्तु उनके पास भूमि स्वामित्व सम्बंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पा रहे है उस स्थिति में सभी हितग्राहियों को भी योजना के बी.एल.सी. घटक हेतु पात्र किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

ऐसे हितग्राही जिनके पास विक्रय पत्र/दानपत्र का नोटरी दस्तावेज उपलब्ध हैं तथा विगत 5 वर्षो से उस स्थल पर निवासरत हैं व भूमि स्वामित्व संबंधी कोई विवाद नही है वे हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य के लिए आवास (शहरी) के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2022 तक के लिए प्रावधानित राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ (SLTC) एवं शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ (CLTC) के गठन हेतु लगाई गई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट (पीएमसी) के सामग्री क्रय हेतु राशि रु. 7.50 करोड़ एवं बढ़े हुए अतिरिक्त पारिश्रमिक हेतु राशि रु. 37.7208 करोड़ का भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है जो राज्य बजट (हाउसिंग फॉर ऑल) से राशि रु. 9.04416 करोड़ प्रतिवर्ष अथवा आवश्यकतानुसार कुल पांच वर्ष में राशि रु. 45.2208 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

7. प्रदेश के ऐसे हितग्राही जिनका पंजीयन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में लाभ प्राप्त करने के दिनांक के पूर्व तक का है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत राशि रू. 1.00 लाख अतिरिक्त अनुदान संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी जाती है।

8. राजीव आवास योजनान्तर्गत भारत सरकार से केन्द्रांश का अनुपात कम किये जाने से राशि रु. 83.98 करोड़ कम प्राप्त होगी उक्त राशि का व्यय राज्य सरकार के बजट हाउसिंग फॉर ऑल से किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

उपरोक्तानुसार कार्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

03/04/18
(भरत यादव)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृ. क्रमांक एफ-10-45/2015/18-2 भोपाल दिनांक 03/04/2018

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर मंत्रि-परिषद आदेश दिनांक 13 मार्च, 2018 के आयटम क्रमांक 8 में दिये गये निर्देश में आवश्यक बजट उपलब्ध कराने हेतु।
2. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर मंत्रि-परिषद आदेश दिनांक 13 मार्च, 2018 के आयटम क्रमांक 8 के बिन्दु क्रमांक 7 में दिये गये निर्देश में प्रशासकीय विभाग से आदेश जारी कराने हेतु।
3. प्रमुख सचिव, (समन्वय), मंत्रालय, भोपाल की ओर मंत्रि-परिषद आदेश दिनांक 13 मार्च, 2018 के आयटम क्रमांक 8 के संदर्भ में।
4. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, (राजस्व) एवं समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
7. समस्त आयुक्त नगर पालिक निगम, एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद मध्यप्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

03/04/18
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
Palika Bhawan, Near 6 ...
Shivaji Nagar, Bhopal – 4...
Email:- pmay@mpurban.g...
Website: www.mpurban.g...

330

क्रमांक यौ०प्र०/07/2018/4020

प्रति,

भोपाल, दिनांक 04/0...

1. आयुक्त,
नगर पालिक निगम, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, सागर, सत...
रिंगरौली, कटनी, रतलाम, खंडवा, छिंदवाड़ा एवं मुरैना
मध्यप्रदेश

2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका, परिषद/नगर परिषद दमोह, छतरपुर, गुना, बालाघाट, सिवनी, मंदसौ...
निदिशा, अनुपपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी, मंडला, नीमच, धार एवं पीथनपुर
मध्यप्रदेश

विषयः–प्रधानमंत्री आवास योजना के AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत MIG आवासों को Credit Lin... Subsidy Scheme (CLSS) का लाभ सितम्बर 2018 तक पहुचाने के संबंध में।

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार मध्यम आय वर्ग (MIG) के हितग्राहियों के लिये Credit Link Subsidy Scheme (CLSS) मार्च 2019 तक ही लागू रहेगी, इस संबंध में प्रधानमंत्री आवास योजना के AHP घटक अंतर्गत आपकी निकाय में स्वीकृत MIG आवासों को लाभ पहुचाने हेतु शिघ्र कार्यवाही करना आवश्यक है, जिससे योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा सकता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत समस्त MIG आवासों का आवंटन हितग्राहियों को जून–2018 के पहले पूर्ण करें एवं आवंटन उपरांत सितम्बर–2018 के पूर्व बैंको के माध्यम से हितग्राहियों को CLSS का लाभ पहुचाना सुनिश्चित करें ताकि CLSS की Subsidy की राशि भारत सरकार से मार्च–2019 तक प्राप्त की जा सकें एवं प्रदेश में क्रियान्वित Cross-Subsidy Model सफलता पूर्वक क्रियान्वित हो सकें।

संलग्न– भारत सरकार द्वारा MIG वर्ग हेतु CLSS के दिशानिर्देश।

(मंजू शर्मा)
अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक यौ०प्र०/07/2018/4021

भोपाल, दिनांक 04/04/20...

प्रतिलिपिः–

1. समस्त संयुक्त संचालक संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. समस्त अधिक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करे।

अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15/05/2018

क्र.एफ.एस.- 1-01/2018/18-4

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम
मध्यप्रदेश

2. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर परिषद
मध्यप्रदेश

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिए आवास 2022 शहरी) के AHP घटक अंतर्गत आवासों का आवंटन की प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश।

प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिए आवास 2022 शहरी) के AHP घटक अंतर्गत आवासों का आवंटन के लिए म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 418 "ए" एवं 426 "ए" तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 346 की शक्तियों के अधीन निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे है, प्रदेश के समस्त नगरीय निकाय इस दिशा-निर्देश अनुसार योजनातर्गत निर्मित आवासीय इकाईयों का चयन सुनिश्चित करेंगे।

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिए आवास) अंतर्गत निर्मित आवसीय इकाई म.प्र. नगर पालिका अचल संपत्ति का अंतरण नियम, 2016 से विमुक्त रहेंगी।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिए आवास) अंतर्गत निर्मित आवासीय इकाई अथवा भू-खण्ड (मलिन बस्ती में निवास कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों के लिये निर्मित आवासीय इकाई अथवा भू-खण्ड को छोडकर) के अंतरण हेतु सक्षम प्राधिकारी नगर पालिक निगम के लिए मेयर-इन-कॉउंसिल एवं नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद के लिए प्रेसिडेंट-इन-कॉउंसिल से स्वीकृति प्राप्त कर अंतरण की कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी (नगर पालिक निगम के लिए आयुक्त एव नगरपालिका परिषद/नगर परिषद के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी) द्वारा की जायेगी।

3. आवासीय इकाई के अंतरण में आरक्षण अचल संपत्ति अंतरण नियम, 2016 के नियम 9 अनुसार होगा (मलिन बस्ती के निवासरत हितग्राहियों के लिए निर्मित आवासीय इकाईयों आरक्षण से मुक्त रहेगी)।

[illegible] मूल्य का निर्धारण भूमि निःशुल्क प्राप्त होने के कारण भूमि का मूल्य छोड़ते हुए आवासीय इकाई की लागत एवं उससे होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा, जिसका अंतिम अनुमोदन मेयर-इन-कौंसिल/चेयरमेन-इन-कौंसिल से कराया जायेगा।

5. विज्ञापन जारी कर आवासीय इकाईयों का आवंटन निर्धारित किये गये मूल्य पर प्रथम आये प्रथम पाओ पर किया जायेगा।

6. आवासीय इकाईयों का आवंटन ड्रॉ होल्ड पर लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

7. आवासीय इकाईयों के क्रय के लिए हितग्राहियों को आवश्यक ऋण नगरीय निकायों के द्वारा बैंक/ वित्तीय संस्थाओं से दिलाया जायेगा। जिसका पुर्नभुगतान हितग्राही सीधे बैंक/वित्तीय संस्थाओं को करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

15/05/18
(भरत यादव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृ. क्रमांक- एफ 1-01/2016/16-3 भोपाल, दिनांक-15/05/2018

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व), मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास,म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15/05/18
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0, भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2554080 Fax 0755-2554089
Email:- anandsingh@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

233

क्रमांक/यू0प्र0/07/2018/5576 भोपाल, दिनांक 17/07/2018

प्रति,

1. समस्त आयुक्त
   नगर पालिक निगम मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी
   नगर पालिका परिषद/नगर परिषद मध्यप्रदेश

विषय:–प्रधानमंत्री आवास योजना के AHP घटक अंतर्गत हितग्राही अंश के संबंध में।

——000——

प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, भोपाल का आदेश क्र. एफ–10–47/2015/18–2 दिनांक 13.11.2015 की कण्डिका क्र. 6(III) के प्रावधान है कि **"आवासीय इकाई में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अनुदान के अतिरिक्त लगने वाली राशि हितग्राही द्वारा वहन किये जाने की अनुमति दी जाती है।"**

दिनांक 12.05.2018 की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेन्ट एजिस के रेजीडेंट इंजीनियर की समीक्षा बैठक मे यह तथ्य सामने आया है कि AHP घटक के अंतर्गत EWS वर्ग के हितग्राही स्वयं अथवा अपने से वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर हितग्राही अंश की पूर्ती करना चाहते है उनसे पूर्ण हितग्राही अंश नहीं लिया जा रहा है अपितु उनसे कहा जाता है कि 20 प्रतिशत राशि जमा कर निकाय के माध्यम से ऋण प्राप्त करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि हितग्राही स्वयं अथवा अपने से किसी वित्तीय संस्था से ऋण लेकर हितग्राही अंश की पूर्ती करता है तो उससे हितग्राही अंश लेकर आवास का आवंटन किया जावे। ऐसे हितग्राही जो हितग्राही अंश स्वयं अथवा किसी वित्तीय संस्था से ऋण लेकर हितग्राही अंश की पूर्ती नहीं कर सकते है उन्हे निकाय के माध्यम से त्रिपक्षीय अनुबंध कर वित्तीय संस्था से ऋण उपलब्ध कराया जाने में मदद करना है।

अतः उपरोक्त अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

(डॉ. मंजू शर्मा)
अपर आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल,दिनांक 17/7/2018

पृष्ठां. क्र.यू0प्र0/7/2018/5577
प्रतिलिपि,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/संभागीय कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश।
2. टीम लीडर एजिस इण्डिया लिमि (पी.एम.ए.यायू) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्यप्रदेश भोपाल

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0, भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
Patha Bhawan, Near 6 No Bus S
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel: 0755-2554080 Fax 0755-255408
Email:- anandsingh@mpurban.gov.
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक/यो0प्र0/07/2018/7879 भोपाल, दिनांक 19/7/2018

प्रति

1. समस्त आयुक्त
   नगर पालिक निगम मध्यप्रदेश

2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी
   नगर पालिका परिषद/नगर परिषद
   मध्यप्रदेश

विषय–मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजना 2018 से प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे हितग्राही जिनका पंजीयन संनिर्माण कर्मकार मण्डल मे है, उनको मण्डल से राशि रु. 1.00 लाख अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराने हेतु।

संदर्भ–मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 13.07.2018

—000—

उपरोक्त संलग्न संदर्भित राजपत्र का अवलोकन करें, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत, चिन्हित पात्र पाये गये हितग्राही जिनका पंजीयन संनिर्माण कर्मकार मण्डल मे है, उन्हें मण्डल की तरफ से प्रत्येक हितग्राही को राशि रु. 1.00 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान के अतिरिक्त उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख है। हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना के किसी भी घटक का हो, उसे लाभ प्राप्त होगा। हितग्राही को अनुदान कैसे मिलेगा इसकी प्रकिया भी राजपत्र मे दी गयी है।

प्रदेश के सभी नगरीय निकायों मे प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित है, आप सभी ऐसे हितग्रहियों की सूची तैयार कर (राजपत्र मे दी गयी प्रकिया अनुसार) जिला श्रम अधिकारी को प्रस्तुत कर संयुक्त संचालक तथा संचालनालय को अवगत कराते हुये तत्काल हितग्राही को अनुदान उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(संलग्न – राजपत्र दिनांक 13.07.2018)

(विकास मिश्रा) 19.7.18
अपर आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/यो0प्र0/07/2018/7880 भोपाल, दिनांक 19/7/2018

प्रतिलिपि–

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, कर्मकार कल्याण मण्डल, श्रम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त संयुक्त संचालक/कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त जिला परियोजना अधिकारी,जिला शहरी विकास अभिकरण मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त जिला श्रम अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6. टीम लीडर एजिस इण्डिया कंसल्टिंग प्रा. लि. (पीएमएवाय) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर आयुक्त 19.7.18
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

335

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2018

अधिसूचना क्रमांक/भ.स.क.म.म-2018, 4593.— भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 (2) सहपठित म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम 2002 के नियम 277, 278 एवं 279 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचित योजना **"मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास(नगरीय) योजना 2018"** में उल्लेखित प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा विशिष्ठ मामलों को अभिकथित करने वाली पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को एतद द्वारा निरस्त करता है तथा **"मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजना 2018"** अधिसूचित करता है :-

"मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजना 2018"

(क) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना- (1) यह योजना "मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजना 2018" कहलाएगी।

(2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के नगरीय क्षेत्र में लागू होगी।

(3) यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

(4) यह योजना भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों, जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक हैं पर लागू होगी।

(ख) परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(1) "अधिनियम" - का आशय "भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" से अभिप्रेत है।

(2) "नियम" - का आशय "म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2002" से अभिप्रेत है।

(3) "बोर्ड या मण्डल" – से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित "म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" से अभिप्रेत है।

(4) "सचिव" से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त "मण्डल के सचिव" से अभिप्रेत है।

(5) "हिताधिकारी" से आशय "समस्त वैध परिचय पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों" से अभिप्रेत है।

(6) इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में जिन्हें अधिनियम या नियम में परिभाषित किया गया है वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं।

(ग) योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता –

पात्रता :–

(1) भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत ऐसे निर्माण श्रमिक जिनका हिताधिकारी के रूप में पंजीयन उक्त योजना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के पूर्व हुआ है वे योजना में हितलाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

(2) ऐसे निर्माण श्रमिक जिनका हिताधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन उक्त योजना के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात हुआ है, वे पंजीयन दिनांक से एक वर्ष उपरांत योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

(घ) योजना का विवरण एवं हितलाभ :–

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना वर्तमान में नगरीय क्षेत्र में राज्य शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। उक्त योजना के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा हितग्राही को अनुदान प्रदान किया जाता है।

(2) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा पात्र पाये गये हितग्राहियों में से यदि कोई हितग्राही पंजीकृत निर्माण श्रमिक है तो उसे केन्द्र तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से रूपये 01 लाख सहायता राशि के रूप में मण्डल से नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित करने वाले नगरीय विकास एवं आवास विभाग को प्रदान किया जायेगा।

(ङ) योजनांतर्गत सहायता राशि भुगतान की प्रक्रिया –

(1) योजनांतर्गत पात्रता तथा आवेदन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुरूप होगी।

(2) पात्र पाये गये पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सूची उनके यूनिक पोर्टल कोड (पंजीयन क्रमांक) के साथ एकजाई रूप से नगरीय क्षेत्र हेतु नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा संबंधित जिले की सूची प्रतिमाह जिला श्रम कार्यालयों को प्रेषित की जायेगी, जिसके आधार पर जिला श्रम कार्यालय द्वारा नगरीय क्षेत्र हेतु प्रति हितग्राही रूपये 01 लाख दर से सहायता राशि योजना संचालित करने वाले विभाग नगरीय विकास एवं आवास विभाग को ई.पी.ओ. पद्धति के माध्यम से भुगतान की जायेगी।

(3) योजना के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुरूप होगी तथा पंजीकृत हितग्राहियों निर्माण श्रमिक का चयन भी नगरीय क्षेत्र हेतु नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जायेगा।

इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि मात्र पंजीकृत हितग्राहियों निर्माण श्रमिक हेतु ही उपयोग में लाई जायेगी।

(घ) पदाभिहित अधिकारी– सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी।

(छ) विसंगति का निवारण– योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

एल. पी. पालक, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2018

क्र. 695-522-पीएस-श्रम-2018.—इस विभाग के ज्ञाप दिनांक 17 मई, 2018, द्वारा निम्नानुसार योजनाएं स्वीकृत करते हुये राजपत्र में अधिसूचित की गई थी:—

(1) मुख्यमंत्री जनकल्याण (अन्त्येष्टि सहायता) संबल योजना, 2018

(2) मुख्यमंत्री जनकल्याण (अनुग्रह राशि भुगतान) संबल योजना, 2018

(3) मुख्यमंत्री जनकल्याण (उपकरण अनुदान) संबल योजना, 2018

2. श्रम विभाग के परिपत्र क्र. 585-पीएस-श्रम-2018 दिनांक 23 मई 2018 द्वारा उक्त तीनों योजनाओं के स्थान पर "मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना, 2018" स्वीकृत की गयी है अतः राज्य शासन एतद्द्वारा दिनांक 17 मई 2018 को जारी उपर्युक्त तीनों योजनाएं निरस्त करता है.

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म०प्र०, भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
Palika Bhawan, Near A. No. [illegible]
Shivaji Nagar, Bhopal - [illegible]
Tel: 0755-[illegible] Fax: 0755-[illegible]
Email: [illegible]
Website: www.mpurban.gov.in

338

क्रमांक/सं०प्र०/07/2018/11110 भोपाल, दिनांक 05/10/2018

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
मध्यप्रदेश

2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्/नगर परिषद्
मध्यप्रदेश

विषयः- निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री के सम्बंध में।

---00---

संचालनालय में विभिन्न निर्माण सामग्री के Manufacturers द्वारा समय-समय पर आवेदन देकर उनके द्वारा तैयार करवाई जा रही निर्माण सामग्री को निर्माण कार्य में उपयोग करने के लिए List of Approved Brand and Makes में सम्मिलित करने के लिए अनुरोध किया है, जो आवेदन संचालनालय को प्राप्त हुये उनका संक्षिप्त विवरण संलग्न प्रपत्र में दिया जा रहा है।

जहां तक की विभाग के Integrated Standard Shedule of Rates 2012 अथवा Bidding Document में किये गये प्रावधान का प्रश्न है विभिन्न निर्माण सामग्री के Make या Manufacturer के बारे में सूचि सहित उल्लेख किया गया है परन्तु यह स्पष्ट किया गया है कि सामान्य Indicative की सूची है, यदि निर्माण सामग्री की विशिष्टियों की पूर्ति करते हुए कोई "Equivalent" सामग्री का उपयोग प्रस्तावित करता है तो भी यह नियमानुकूल होगा। कार्य के Engineer In-charge का यह दायित्व होगा कि दर अनुसूची अथवा निविदा में दिये गये निर्माण सामग्री के Specifications को पूर्ति करने के लिए आवश्यक Test या Test Certificats आदि को पूर्णतः जांच कर प्रावधानित Indicative List के दर्शित Make का Equivalence स्थापित करने के उपरांत Equivalent सामग्री के लगाये जाने के विषय में निर्णय ले यदि किसी प्रकरण विशेष में Engineer In-charge को निर्णय लेने में कोई दिक्कत होती है तो सम्बंधित नगरीय निकाय (नगर निगम को छोड़कर) के मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अध्यक्षता में निकाय के वरिष्ठतम इंजीनियर, सम्भाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री एवं Independent Agency SQC/PDMC/PMC के RE की एक समिति द्वारा परीक्षण किया जाकर यथोचित निर्णय लिये जाये। नगर पालिक निगम के मामले में आयुक्त नगर पालिक निगम की अध्यक्षता में निगम के वरिष्ठतम यंत्री, कार्य के प्रभारी यंत्री एवं Independent Agency SQC/PDMC/PMC के RE की समिति द्वारा निर्णय लिया जाये।

(संलग्नः- उपरोक्तानुसार)

(प्रभाकांत कटारे)
प्रमुख अभियंता,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठ. क्र.सं०प्र०/7/2018/11111 भोपाल, दिनांक : 05/10/2018

प्रतिलिपि,

समस्त संभागीय कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश को उक्त आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख अभियंता,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,

URBAN ADMINISTRATION & DEVELOPMENT DEPARTMENT
LIST OF PRODUCT

S.No.	Name of Applicant	Material/Item/Product	Details of Product	ISI/ISO Details
1	Oasis	Tiles& Sanitary ware	Polished Vitrified 60cmx60cm	ISO [illegible]
2	Oasis	Tiles	Kerastone Full Body Vitrified [illegible] thickness [illegible] 3mm	ISO [illegible]
3	Oasis	Tiles	Double Charge Vitrified Glossy Finish (120x[illegible]80x[illegible]cm, 60x60cm)	IS [illegible]
4	Oasis	Tiles	Digital Wall Tiles (30x45cm)	ISO [illegible]
5	Oasis	Tiles	Mariposa Ceramic Wall 30x60cm/ Glossy /Matt	IS [illegible]
6	Orient bell Tiles	Tiles	*Ceramic and Vitrified tiles *Ultra - Vitrified tiles	ISO [illegible]
7	Orient bell Tiles	Tiles	Floor Tiles Collection	ISO 14001:2015 ISO 9001:2015
8	Oasis	Tiles	*PGVT [illegible] Wooden [illegible] 80x120cm [illegible] 80x80cm/60x60cm/[illegible] 0cm	IS [illegible]
9	[illegible]	Tiles	* Digital Ceramic Tiles * Polished Porcelain [illegible] * Glossy	ISO [illegible]
10	[illegible] Pvt Ltd	Tiles	Vitrified Double Charged& Soluble Salt with	ISO 9001:2008
11	[illegible]	Tiles	*Vitrified Tiles *Wall Tiles	ISO 9001,14001,18001
12	Oasis	Tiles	*Elevation Wall Tiles (30x60cm) *Parking Tiles, [illegible]	ISO 9001:2008
[illegible]	Johnson	Tiles	Vitrified Tiles, Marvels	ISO 9001:2015
14	[illegible] Vitrified Pvt Ltd	Tiles	Vitrified Tiles, Marvels	ISO [illegible]
15	Kerala Agritech PVT LTD	Pipe & Fittings	* HDPE Pipe & Fittings * DWC HDPE Pipe & Fittings * HDPE Cable Duct Pipes * CPVC Pipes & Fittings * U PVC Pipes & Fittings * CI Pipes & Fittings	ISO [illegible]
16	SFMC Pvt.Ltd.	Pipe fitting	*PPR	ISO 9001:2015
			*PVC	ISI : 15801
			*SWR	
			*CPVC	
17	West Well Polytubes	Pipes	*HDPE Pipes for water supply	ISO [illegible]
			*HDPE Pipes for water *Sewerage	IS [illegible]
			*HDPE Pipes for irrigation purposes	
18	Shree Jogi pipe Industries	Pipes	HDPE Pipes and Sprinkles Pipes PE 63, PE 80, PE 100	ISO [illegible]
				IS [illegible]

19	[illegible] Industries LLP	Pipes & Fittings	* PPR Pipes	[illegible]
		Tank	* ABS Pipes	IS/ISO 4435 [illegible]
			* SWR Pipes	
			* HDPE Pipes	
			* CPVC Pipes	
			* Water Storages Tank	
			* Composite Pipes	
20	B.B. Poly plast LLP	Pipes	* High Density Polyethylene	IS 4984 [illegible]
			* Portable Water Supply	
21	M/S Kunsha Plastics Pvt Ltd.	Pipes & Fittings	* PPR Pipes	ISO [illegible] 2015
			* AGRF Pipes	ISO [illegible] 2015
			* SWR Pipes	
			* HDPE Pipes	
			* CPVC Pipes	
			* Water Storages Tank	
			* Composite Pipes	
			*UPVC Pressure piping	
			* SWR piping systems	
22	Sigma Flow Control India LLP	Valves, ductile iron pipe fittings and Couplings	* Gate Values (50NBto1000NB, rating PN 10/16)	
			* Butterfly Values (50NBto2000NB, rating PN 10/16)	ISO 9001:2008
			*Non-Return Value (50NBto1000NB, rating PN 10/16)	
			*Kinetic Value (50NBto2000NB, rating PN 10/16)	
23	AVK Valves India PVT LTD	Valves	* Gate Valves DN32-DN300	
			* Air Valves DN50-DN[illegible]	
			* Large Diameter Gate Valves	
			* Butterfly Valves DN200-DN1200	
			* Repair Clamps	
24	SANGAM STEEL Mahalaxmi TMT Pvt Ltd.-An Integrated Steel Plant	Steel Bar	Sangam TMT, TMX Bar of SD/550 grade DST bar.	BIS [illegible] grade
25	Dhawan Sanitary Udyog	Bathroom Fitting and Accessories	Bathroom Fittings and Accessories	ISO 9001:2008
26	Plasterrid Sanitary (OPV) LLP	Bath Fittings	S.S. Bath Fittings and Accessories	IS 8931:1994
		Kitchen Sinks	*PVM Bath Fittings and Accessories	
		Plastic Cistern	* S.S. Kitchen Sinks and Plastic Cistern	
27	Bhawani Sales & Marketing	Frames	*Vishwas Pre cast Frames	IS 4523 [illegible]
			*RCC Frames for Building	

28	AQUA	Pumps	*Water Pumps, Waste Water Pumps, Sewage, Power, Strom water	ISO 9001:2015
29	Redix Electro Systems Pvt. Ltd	Manufacture of Process Control Instrumentation	* Flow Meters * Flow Switches * Flow Indicators * Flow Totalisers * strainers	ISO 9001:2008
30	KEI	Wires and Cables		IS : 694 ISO 9001:2015
31	Forbes Marshal	Flow Metre, Lable Transmeter, COD, BOD Mazering Device		ISO 9001:2015
32	Surescal	Wate Hammer Control Solutin		
33	Inhibco	Water Solution	* STP * ETP * ZLD * Water Treatment	ISO 9001:2015
34	Roca	Bathroom Products		ISO 9001:2015
35	Surya		Gi Pipes, Ms Pipes, CPVC Pipes, UPV Pipes,	ISO 9001:2015
36	Alstone Pvt. Ltd.	WPC (Wood Polymer Composit Board)	Door Fram, Plywoods	ISO 9001:2015
37	Icam System Ltd.	Electrical & Contol Salution, Information Salution	Wood Polymer Composite	ISO 9001:2015
38	Jain Irrigation System Ltd.	UPVC , CPVC, Skelt PVC (Pipes)		IS [illegible] IS [illegible]

(Anand Singh)
Executive Engineer
Urban Development & Housing
Madhya Pradesh

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
Paloi Bhawan, Near [illegible] Sagar Nagar, Bhopal - [illegible]
Email: [illegible]
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक यौ0प्र0/07/2018/11255 भोपाल, दिनांक 16-10-18

342

प्रति,

1 आयुक्त,
समस्त नगर पालिक निगम,
मध्यप्रदेश।

2 मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
समस्त नगर पालिका, परिषद/नगर परिषद
मध्यप्रदेश।

विषयः–प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सरेण्डर किये गये हितग्राहियों को PMAY MIS से हटाने के संबंध में।

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये सरेण्डर के प्रस्ताव भारत सरकार की केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति द्वारा स्वीकृत किये जा चुके है इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

1. जिन सरेण्डर की परियोजनाओं में 100 प्रतिशत हितग्राहियों का PMAY MIS में परियोजनाओं से जोड़ने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, उन परियोजनाओं में संलग्न दिशानिर्देश अनुसार पात्र हितग्राहियों को Attach करने की (अपात्र/गलत Attach किये गये हितग्राहियों को हटाने की) कार्यवाही 18/10/2018 तक किया जाना सुनिश्चित करें।

2. जिन परियोजनाओं में हितग्राही पूर्णतः Attach नहीं किये गये है एवं उनमें यदि सरेण्डर उपरांत जितने हितग्राहियों की संख्या होती है उतनी संख्या के पात्र हितग्राही यदि योजना में जोड़ लिये गये है, तो उसकी सूचना संचालनालय को 18/10/2018 तक प्रस्तुत करें, क्योंकि जितने हितग्राही सरेण्डर योजना से जोड़े हुये है, केवल उन्ही हितग्राहियों में से पूर्णरिक्त परियोजनों में हितग्राही Attach हो सकेगें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंधित कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण कर इस संचालनालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(विकास मिश्रा) 16/X/18
अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक यौ0प्र0/07/2018/11256 भोपाल, दिनांक 16-10-18
प्रतिलिपिः–

1. समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. समस्त अधिक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. टीम लीडर एवं संभागीय RE समस्त संभाग, EGIS India Consulting Engineers Pvt. Ltd., PMC प्रधानमंत्री आवास योजना आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

16/X/18
अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास

343

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0, भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2554080 Fax 0755-2554081
Email:- anandsingh@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक/यू0प्र0/07/2018/ 1227 भोपाल, दिनांक 17/10/2018

प्रति,

समस्त
जिला परियोजना अधिकारी,
मध्यप्रदेश

विषयः–प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत लगाई जा रही टाईल्स के संबंध में।
संदर्भः–1. माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर, म.प्र. का आदेश क्र. W.P.No. 15213/2018 दिनांक 19.09.2018
2 संचालनालय का पत्र क्र. 10942 दिनांक 05.10.2018

—00—

विषयान्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय पीठ, ग्वालियर, म.प्र. की याचिका क्र. W.P.No. 15213/2018 के निर्णय दिनांक 19.09.2018 की प्रति संलग्न है। उक्त आदेश का पालन कर दिनांक 20.12.2018 तक माननीय उच्च न्यायालय को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है। इस संबंध में संदर्भित पत्र क्रमांक 02 द्वारा नगरीय निकाय के समस्त आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है

अतः समय – सीमा में कार्यवाही करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(विकास मिश्रा) 17.10.18
अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्रदेश, भोपाल

3 5 4

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

कार्यवाही विवरण

क्रमांक 2428 / 1091 / 2018 / 18-3

भोपाल दिनांक 17.10.2018

विषय–प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा समय सीमा की बैठक में दिये गये निर्देश।

—00—

दिनांक 17.10.2018 को मंत्रालय के सभा कक्ष में विभाग प्रमुखों की समय सीमा की बैठक का आयोजन प्रातः 11:00 बजे किया गया। जिसमें प्रमुख सचिव द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये :–

1. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के स्तर पर अमृत योजना के रिफार्म से संबंधित मॉडल बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में प्रावधान पूर्व से होने के कारण भारत सरकार को प्रमुख सचिव की ओर से इस आशय का पत्र प्रेषित किया जाये तथा पत्र में यह भी स्पष्ट करें कि Climate resilient construction में भारत सरकार से स्पष्टीकरण आने के उपरान्त रिफार्म पूर्ण हो सकेगा। अमृत शहरों के मास्टर प्लान की कार्यवाही दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाये। **(कार्यवाही–संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश)**।

2. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल के पुनर्घनत्वीकरण की परियोजनाओं की [illegible] आदर्श आचार संहिता की अवधि में पूर्ण कर ली गयी तथा मध्यप्रदेश आवास [illegible] प्रेषित किये जाये। **(कार्यवाही–आयुक्त, मध्यप्रदेश, गृह निर्माण मण्डल)**।

3. सिंगरौली, मुरैना, उज्जैन, सीहोर, झाबुआ, शहडोल जैसी पुनर्घनत्वीकरण की परियोजनायें जिनमें भूमि उपयोग उपांतरण की कार्यवाही नगर तथा ग्राम निवेश स्तर से की जानी है, उन प्रकरणों की समीक्षा समय सीमा की बैठक में की जायेगी। इन सभी प्रकरणों की समय सीमा निर्धारित की जाये। कार्य की गति को बढ़ाया जाये। कार्य संतोषप्रद नहीं है। मध्यप्रदेश, गृह निर्माण मण्डल के अधिकारी जिनका गोपनीय प्रतिवेदन प्रमुख सचिव स्तर तक [illegible] **(कार्यवाही–आयुक्त, मध्यप्रदेश, गृह निर्माण मण्डल)**।

4. गृह निर्माण मण्डल की अटल आश्रय योजना के ऐसे प्रकरण जिसमें सर्विस टैक्स अधिरोपित करने के पूर्व मकान पूर्ण कर लिये गये है, उनमें सर्विस टैक्स के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया जाये। **(कार्यवाही–आयुक्त, मध्यप्रदेश, गृह निर्माण मण्डल)**।

5. गृह निर्माण मण्डल के [illegible] को 12[illegible] [illegible] किया [illegible] जायेगा, उसकी कार्य योजना आगामी समय सीमा की बैठक में प्रस्तुत की जाये। **(कार्यवाही–आयुक्त, मध्यप्रदेश, गृह निर्माण मण्डल)**।

6. अमृत योजना की सीवेज परियोजना में आदर्श आचार संहिता के समय एसटीपी बनाये [illegible] पर ध्यान दिया जाये। अमृत योजना अन्तर्गत प्रदेश को रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। **(कार्यवाही–प्रमुख अभियंता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास)**।

7. लोकायुक्त के ऐसे 11 प्रकरण जिनमें जांच प्रतिवेदन [illegible] माह से अधिक अवधि से [illegible] उनकी समीक्षा करके अगले सप्ताह तक निराकृत किये जाये। **(कार्यवाही–अपर आयुक्त [illegible], संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास)**।

निरंतर–2

345

8. स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत जिलो के प्रभारी अधिकारियों के रूप मे शासन के उप सचिव स्तर के अधिकारियों को भी संलग्न किया जाये। स्टार रैटिंग में हर स्तर के शहरों को सम्मिलित किया जाये। 7 स्टार रैटिंग के स्तर तक कम से कम 25 शहर को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाये। 3 स्टार रैटिंग के स्तर तक प्रदेश के सभी शहरों को लाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास भारत सरकार के संयुक्त सचिव से चर्चा करके स्टार रैटिंग के पोर्टल को 3 स्टार रैटिंग से अधिक स्तर तक प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 मे प्रदेश के नगरीय निकायों को अधिक से अधिक संख्या में टॉप 100 शहरों में लाने की कार्ययोजना तैयार की जाये। इसके लिये विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जिले का प्रभार दिया जाना, सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना, स्थानीय स्तर पर सूचना संप्रेषण की कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत होने वाली सभी गतिविधियों तथा कार्यक्रमों की कार्य योजना तथा की गयी कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण आगामी समय सीमा की बैठक मे प्रस्तुत किया जाये। **(कार्यवाही–अपर आयुक्त (व्ही.एम), उप संचालक (एन.डी), संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास)।**

9. एमपीयूडीसी के अन्तर्गत जो परियोजनायें प्रारंभ हो चुकी है, उनकी प्रगति की समीक्षा आगामी समय सीमा की बैठक में की जायेगी। **(कार्यवाही–प्रमुख अभियंता, एमपीयूडीसी)।**

10. प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सभी 4.37 लाख स्वीकृत आवासों को जीओ टेग किया जाये। अधिक से अधिक राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जाये। जो राशि भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है उसे नगरीय निकायों के माध्यम से शत प्रतिशत हितग्राहियों को पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाये। घरों के निर्माण को पूर्ण करने पर ध्यान दिया जाये। जो कन्सल्टेंट प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लगाये गये है उनकी समीक्षा करने के उपरान्त उपयुक्त मेनपॉवर को कार्य पर रखा जाये। प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तृत समीक्षा आगामी समय सीमा की बैठक में पुनः की जायेगी। **(कार्यवाही–अपर आयुक्त (व्ही.एम), उप मुख्य अभियंता (पीएमएवाय), संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास)।**

16. आगामी समय सीमा की बैठक दिनांक 25.10.2018 को प्रातः 11:00 बजे संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के सभा कक्ष में आयोजित की जायेगी।

(राजीव निगम)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृष्ठ: क्रमांक 2419 / 1091 / 2018 / 18-3 भोपाल दिनांक 17 10 2018

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग म.प्र.
2. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल.
3. निज सचिव, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.
4. आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल.
5. आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल.
6. आयुक्त, नगरपालिक निगम भोपाल.
7. अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
8. प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. अपर संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

10 प्रमुख / मुख्य अभियंता, मेट्रो / एमपीयूडीसी / सीपीए / संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल

11 समस्त उप सचिव / अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग

12 समस्त संयुक्त संचालक / समस्त उप संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.

13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

347

INSTRUCTION Sl. No. 6

ECI letter No. 437/6/2009-CC&BE dated 5th March, 2009 addressed to the Cabinet Secretary, Govt. of India and the Chief Secretaries and Chief Electoral Officers of all States and UTs

Sub: General Elections – Enforcement of the Model Code of Conduct - reg.

Sir,

I am directed to state that the Commission has considered various aspects in the context of the Model Code of Conduct during General Elections and decided to issue to following Guidelines regarding implementation/processing of the various projects, schemes, rural development programmers etc. by the Central/State Governments:

1. All Model Code of Conduct related directions shall be issued only by the Commission. The Cabinet Secretariat or any other government agency should reiterate and disseminate the directions of the Commission for compliance.

2. RBI may continue to take decisions unhindered on monetary policy issues.

3. After the Model Code of Conduct comes into effect, the Ministry of Finance will need to take prior approval of the Commission on any policy announcements, fiscal measures, taxation related issues and such other financial relief. Similarly, other Ministries/ Departments will need to take prior approval of the Commission before announcing any relief/benefit.

4. The following types of existing works can be continued by the government agencies without reference to the Election Commission after the Model Code of Conduct comes into force:

   a. Work-Projects that have actually started on the ground after obtaining all necessary sanctions;

   b. Beneficiary-projects where specific beneficiaries by name have been identified before coming of the Model Code of Conduct into force;

   c. Registered beneficiaries of NREGA may be covered under existing projects. New projects under NREGA that may be mandated under the provisions of the Act may be taken up only if it is for the already registered beneficiaries and the project is already listed in the approved and sanctioned shelf of projects for which funds are also already earmarked.

5. There shall be no bar to release of funds for the completed portion of any work subject to observance of laid down procedures and concurrence of finance department.

6. The following type of new works (whether beneficiary or work oriented) that fulfill all the following conditions before Model Code of Conduct comes into effect can be taken

up under intimation to the Commission.

a. Full funding has been tied up.

b. Administrative, technical and financial sanctions have been obtained

c. Tender has been floated, evaluated and awarded and

d. There is contractual obligation to start and end the work within a given time frame and failing which there is an obligation to impose penalty on the contractor.

e. In case of any of the above conditions not being met in such cases prior approval of the Commission shall be sought and obtained.

7. Global tenders already floated, can be evaluated and finalized where duty time limits are specified for such purpose.

8. Tenders other than global tenders, that are already floated may be evaluated but not finalized without prior approval of the Commission. If they are not already floated, they shall not be floated without prior approval of the Commission.

9. Commission invariably takes a humanitarian view on the work that are necessitated due to man-made or natural calamities.

a. Ex-gratia payments and gratuitous relief in the aftermath of a disaster can be given directly to the persons affected at the current rates/scales of assistance presently in force, under intimation to the Commission. No change in the extant and prescribed scales of payments, however, shall be made in the existing rates/scales without prior permission of the Commission.

b. Payment directly to the hospitals from CM's/PM's Relief Fund in lieu of direct cash payment to individual patients (beneficiaries) will be permissible without reference to the Commission.

c. Emergent relief works and measures that are aimed to mitigate the hardships directly and solely of the persons affected in a disaster may be taken up under intimation to the Commission.

d. However, new works that may be necessitated by way of preventive measures to mitigate the likely effects of natural disasters like repair of embankments, water channels etc. can be taken up only with prior permission of the Commission.

e. Also, an area shall not be declared drought/flood affected or any such calamity affected without prior approval of the Commission. The extent of area already declared to be calamity-affected cannot be expanded without prior approval of the Commission.

349

f. Similarly, any selective assistance to a group of persons from the PM's or the CM's Relief Fund will require prior approval of the Commission.

10. The following type of activities will require prior permission of the Commission:

a. New works and project cannot be taken up from discretionary funds of whatever nature. Discretionary fund, in this context, includes funds which are provided for in the budget in a generic manner and for which no detailed and sanctioned project exists prior to Model Code of Conduct coming into effect.

b. Proposals for revival of sick PSUs, governmental take over of enterprises etc. (or any policy decision on similar lines) cannot be taken up.

c. Fresh auctions of liquor vends etc. cannot be held even if the annual auction time falls within the Model Code of Conduct period. Where necessary, the government should make interim arrangements as provided in their respective laws.

d. Area of operation of any existing project/scheme/programme can not be extended or expanded.

e. No land allocation shall be made by the government to any entity, whether individual or an enterprise.

f. Signing a MOU or an agreement where the government is a party will also require prior clearance by the Commission.

11. Regular recruitment/appointment or promotion through the PSC, State Public Service Commissions or the Staff Selection Commission or any other statutory authority can continue. Recruitments through non-statutory bodies will require prior clearance of the Commission.

12. While starting any work (including any relief work) or developmental activity no formal function shall be held involving any political functionary. As a matter of good practice, normal functions and publicity even with the presence of official functionaries should be kept to the minimum.

13. Where works are to be undertaken or functions are to be held in fulfilment of International commitments, prior concurrence of the Commission shall be taken.

14. All Government of India references to the Election Commission of India shall be made preferably through the Cabinet Secretariat. In so far as reference from State Governments are concerned, the same shall be made to the Election Commission of India through the Chief Electoral Officer (CEO) of the state concerned.

This may be brought to the notice of all concern authorities.

INSTRUCTION Sl. No. 7

ECI letter No. 437/6/INST/2009-CC&BE dated 9th March, 2009 addressed to Shri S R Apadhoti Jt. Secretary, Cabinet Secretariat, New Delhi.

Subject: Applicability of Model Code to various Govt. schemes/projects etc

I am directed to refer to your D.O. No. JS (SBA)/2009/04 dated 4th March, 2009, addressed to Shri J.P. Prakash, Deputy Election Commissioner and to state that the Commission has decided that any additional work under the following schemes referred to in your letter, shall be undertaken with the prior approval of the Commission :-

1. Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP)- M/o Water Resources.
2. National Social Assistance Programm (NSAP) – M/o Rural Development
3. Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) - including the scheme of purchase of buses for urban transport system- M/o Urban Development
4. Accelerated Power & Development Reform Programme (APDRP)- M/o Power
5. Indira Awas Yojana (IAY) – M/o Rural Development
6. Swarnajayanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY) M/o Rural Development
7. SampoornaGraminRojgar Yojana (SGRY) – M/o Rural Development
8. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) -- M/o Rural Development
9. Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) – M/o Textiles
10. National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) – M/o Rural Development
11. ~~Affordable Housing~~- to be implemented by M/o Housing and Urban Poverty Alleviation (HUPA).

Kindly acknowledge the receipt of the letter.

35

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755- 2488961 , Fax 0755-
Email:- rchaturvedi@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रं./यो0प्र0/प्रशि0/7/18-19/11297 भोपाल, दिनांक 18/10/2018

प्रति,

1. आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन, रतलाम, सिंगरौली, सतना, कटनी, मुरैना, छिंदवाड़ा एवं खण्डवा (म.प्र.)।

2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद/नगर परिषद,
बिदिशा, इटारसी, हरदा, राजगढ़, रायसेन, सिवनी-मालवा, सारणी, बुधनी, शाहगंज, रेहटी, खुरई, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पथरिया, चंदला, खरगौन, धार, पीथमपुर, बालाघाट, सिवनी, मण्डला, डिण्डौरी, अनूपपुर, मंदसौर, गुना, राघौगढ़, शिवपुरी एवं रामपुरबघेलान (म.प्र.)।

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना के एएचपी घटक की योजना बावत्।

संदर्भ.- समय-समय पर की गई समीक्षा बैठक।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समय-समय पर की गई समीक्षा में परिलक्षित हुआ कि अधिकांश योजना हेतु वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त नहीं की गई हैं एवं न ही अभी तक संबंधित विभागों में इसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के प्रस्तुत प्रस्ताव व योजना की डीपीआर से स्पष्ट है कि योजना बनाते समय निकायों द्वारा नियुक्त योजना सलाहकार द्वारा योजना के सभी पहलुओं को महत्ता से नहीं लिया गया है। सलाहकार द्वारा योजना के मानचित्र क्षेत्र के मास्टर प्लान अनुरूप तैयार नहीं किये गये है, और न ही सलाहकार द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश से ले-आउट का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु मानचित्र (ले-आउट) समय पर तैयार किये गये। अन्य वैधानिक स्वीकृतियां जैसे- सिया से पर्यावरण स्वीकृति, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से स्वीकृति, वन विभाग से अनुमति, रैरा से स्वीकृति आदि लिये जाने हेतु आवेदन के लिए जानकारी तैयार किये जाना, प्राक्कलन तैयार करने में भी त्रुटियां हुई है। जिससे योजना में निर्मित/निर्माणाधीन आवासीय इकाईयों की कीमत सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। फलस्वरूप निकाय के वित्तीय प्रावधान की पूर्ति न होने से कियान्वयन में विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कतिपय निकायों के पास स्वीकृत योजना एवं प्राक्कलन की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध नहीं है, जिसे यथाशीघ्र प्राप्त कर निकाय में सुरक्षित रखा जाये। उपरोक्त कृत्य अनुबंध का उल्लंघन है। इस स्थिति में योजना सलाहकार पर अनुबंध अनुसार अर्थदण्ड आरोपित कर क्षतिपूर्ति की मांग करे एवं नियमानुसार ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही करे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि सलाहकार के भुगतान करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये की सलाहकार द्वारा जो सेवाए दी गई है वह संतोषजनक एवं अनुबंध के अनुसार पूर्ण है। इस आशय का प्रमाण पत्र निकाय के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दिया जाना होगा। प्रमाण पत्र पर निकाय के सक्षम तकनीकी अधिकार, संभागीय कार्यपालन यंत्री एवं संभागीय संयुक्त संचालक भी संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करेंगे।

18/10/18

(विकास मिश्रा)
अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रं./यो0प्र0/प्रशि0/7/18-19/11298 भोपाल, दिनांक 18/10/2018

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.।
2. समस्त संभागीय अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

18/10/18

अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास

35

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
Tel. 0755- 2488961 , Fax 0755-
Email:- rchaturvedi@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्र./या0प्र0/प्रशि0/7/18-19/11337 भोपाल, दिनांक 22/10/2018

प्रति,

Egis
India Consulting Engineers Pvt . Ltd.,
Plot No. 66, Sector - 32 Gurgaon,
Haryana- 122001, India

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों के निरीक्षण बाबत्।

---000---

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निकाय में किये जा रहे आवासो के निर्माण के संबंध में भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के डायरेक्टर श्री आर.एस. सिंह एवं श्री सुनिल पारिख, क्षेत्रीय संयोजक द्वारा स्थल का भ्रमण किया गया, अवलोकन में तथ्य उजागर हुआ कि अधिकांश आवासों पर चित्रित लोगो (LOGO) में परिवार के पुरूष सदस्य का ही नाम अंकित है। अंतिम GEO Taging के समय भी यह सुनिश्चित नहीं किया कि घर के किचन में नल कनेक्शन, प्लेटफार्म, लाफ्ट का प्रावधान एवं घर में शौचालय का निर्माण पूर्ण हो चुका है। मूलभूत संरचना के विकास मे बाहा विद्युत व्यवस्था, पक्की सड़क, पक्की नाली की भी व्यवस्था होनी चाहिये। प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाईन अनुसार उपरोक्त कार्य अंतिम GEO Taging के पहले किये जाने आवश्यक होते है। EGIS के अधिकारी/कर्मचारियो द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही की गई है। संचालक महोदय द्वारा एजिस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर टिप्पणी दी गई की उनके द्वारा नगर प्रवास के दौरान नॉन पार्टीसिपेट्री एप्रोच (Non Participatry Approach) की गई है, जो कि योजनाहित में नही है। नगरीय क्षेत्र में पदस्थ एजिस के कर्मचारी भी तकनीकी रूप से कमजोर है, इस कृत्य के कारण डायरेक्टर (HFA) महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। संचालनालय को आपकी लापरवाही एवं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाईन अनुसार उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करे।

22/10/18

(विकास मिश्रा)
अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल, मध्यप्रदेश

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
Tel. 0755- 2488961 , Fax 0755-
Email:- rchaturvedi@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्र./या.प्र./प्रशि/7/2018-19/11335 भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
मध्यप्रदेश।

2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर परिषद
मध्यप्रदेश।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :- 1. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा टी.एल. बैठक दिनांक 17.10.18 में दिये गये निर्देश।
2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता संबंधी निर्देश।

संलग्न संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो, जिसमें प्रमुख सचिव महोदय द्वारा समय-सीमा बैठक दिनांक 17.10.18 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। संदर्भित पत्र-1 के पैरा 10 अनुसार अधिक से अधिक राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जाये। जो राशि भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है उसे नगरीय निकायों के माध्यम से शत प्रतिशत हितग्राहियों को पहुँचाया जाना समय-सीमा मे सुनिश्चित किया जाये। घरों के निर्माण को पूर्ण करने पर ध्यान दिया जाये।

संदर्भ दो के परिप्रेक्ष्य मे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गये है दिशा-निर्देश क्रमांक 6 एवं 7 संलग्न है। उक्त निर्देशों का पालन करते हुए योजनान्तर्गत निकायों को प्राप्त राशि यथाशीघ्र हितग्राहियों के खाते मे अंतरित किया जाना सुनिश्चित करे जिससे योजना की प्रगति बाधित न हो।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(गुलशन बामरा)
आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल,मध्यप्रदेश

पृ. क्र./या.प्र./प्रशि/7/2018-19/11336 भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल
2. निज सचिव, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।
3. समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
4. अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, समस्त संभागीय कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
5. EGIS India Consulting Engineers Pc. Ltd., Plot No. 56, Sector-32, Gurgaon, Haryana-122001, India

आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल,मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक / 8/2018

क्रमांक एफ 3–113/16/18–5

प्रति,

संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
म0प्र0 भोपाल

विषय :– भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों हेतु भोपाल विकास योजना में आवासीय योजना के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 4198/टी.सी./2018 भोपाल दिनांक 24.07.2018

—00—

संदर्भित पत्र के तारतम्य में निर्देशानुसार लेख है कि, भारत सरकार क प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु बना गई है, जिसमें झुग्गी व्यवस्थापन भी सम्मिलित है। अतः प्रदेश की उन विका योजनाओं जिसमें भोपाल विकास योजना–2005 की कंडिका 4.4.3 के समान प्रावधा किये गये हो, उसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना की परियोजनाओं क तदानुसार अनुमति/अनुज्ञा प्रदान किया जाना उचित होगा।

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभ

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी हबीबगंज पुलिस थाना के पास भोपाल-462016

क्रमांक 4738 / नग्रानि / टी.सी / 220 / सर्कुलर / नग्रानि / 2018 भोपाल, दिनांक 16/

355

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय .....

विषयः– भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों हेतु प्रा उपांतरण प्रकरणों का भोपाल विकास योजना की कण्डिका 4.4.3 के अनुर निराकरण बाबत्।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग का पत्र क्रमांक 3–113 / 18 / 18–5 दिनांक 01.08.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन के संदर्भित पत्र क्रमांक एफ 3–113 / 18 / 18 दिनांक 01.08.18 पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि, भारत सरकार की प्रधानम आवास योजना शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु बनायी गयी है, जि झुग्गी व्यवस्थापन भी सम्मिलित है।

शासन द्वारा भोपाल विकास योजना 2005 की कण्डिका 4.4.3 (छायाप्रति संल जिसमें स्पष्ट लेख है कि 4.4.3 *"झुग्गी में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की वि गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते है। यदि झुग्गी झोपड़ी को किसी स्थान पर व्यवस्थ कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में सिर्फ तालाबों का जल ग्रहण क्षेत्र आमोद-प्रमोद के क्षेत्र यथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिवे झुग्गी झोपड़ी का व्यवस्थापन ग्राहय होगा।"* उक्त के समान जिन विकास योजना में प्रा किये गये है, उन विकास योजनाओं में, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की अनुमति / अभिम आपके क्षेत्राधिकार में प्रभावशील नगरों की नगर विकास योजना में उक्त प्रावधान होने योजनान्तर्गत प्राप्त प्रकरण का निराकरण जिला कार्यालय स्तर पर, किया जाना सुनि किया जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (दो)।

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल

EE (RC) copy of this letter may be forwarded to all ULBs 27/7/18

क्रमांक 4739 / नग्रानि / टी.सी / 220 / सर्कुलर / नग्रानि / 2018 भोपाल, दिनांक

पृ.कमांक

प्रतिलिपिः–

1. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर संदर्भ के तारतम्य में सूचनार्थ।

संचालक
नगर तथा ग्राम निवे
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\RP.PA\TC\note sheet\PMAY.docx

363

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

कार्यवाही विवरण

क्रमांक 2535/1091/2018/18-3 भोपाल दिनांक 01.11.2018

विषय:-प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा समय सीमा की बैठक मे दिये गये निर्देश।

--00--

दिनांक 31.10.2018 को संचालनालय के सभा कक्ष मे विभाग प्रमुखो की "समय सीमा" की बैठक का आयोजन प्रातः 11:00 बजे किया गया; जिसमे प्रमुख सचिव द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-

1. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के लिये प्रत्येक जिला प्रभारी अधिकारियो के अपने जिले के प्रत्येक नगरीय निकाय मे व्यक्तिशः भ्रमण करना है। प्रत्येक निकाय के नगरपालिकाओं/अधिशासियों के साथ बैठक करके स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाई; प्रत्येक बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार कराया जाये तथा प्रत्येक सप्ताह कार्यालय द्वारा वितरण मे दिये गये निर्देश का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये। (कार्यवाही-समस्त प्रभारी सचिवगण/अपर आयुक्त (व्ही.एम)/उप संचालक (एन.डी), संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास)।

2. एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत जो निजी भागीदारी मे जिन कंपनियों को क्लस्टर आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है तथा वर्तमान में अनुबंध अनुसार कार्यवाही सम्पादित होने मे समय लग रहा है उन निकायों में नगरीय निकाय अपने स्तर पर कचरे को घर-घर एकत्रिकरण तथा कचरे पृथक्करीकरण (गीला तथा सूखा कचरे को घर से अलग-अलग एकत्रित करना) की कार्यवाही प्रारंभ कर दे। (कार्यवाही-अपर आयुक्त (व्ही.एम), उप संचालक (एन.डी), संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास)।

3. स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 हेतु फीकल स्लज मेनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा अन्य कार्य जो नगरीय निकाय के स्तर पर पूर्ण करने के लिये विधान सभा की आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत विस्तृत परिपत्र संचालनालय स्तर से जारी किया जाये, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को पूर्ण करने के लिये नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़, उन्नयन तथा संधारण का कार्य किया जाना है। इन कार्यो के लिये आदर्श आचार संहिता के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग द्वारा छूट प्रदाय की गयी है। (कार्यवाही-अपर आयुक्त (व्ही.एम), उप संचालक (एन.डी), संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास)।

4. रीवा के प्रभारी अधिकारी श्री अजय श्रीवास्तव द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मऊगंज जिला रीवा श्री अमित कर्मा को तत्काल निलंबित करते हुये उनके स्थान पर संयुक्त संचालक, रीवा संभाग से जानकारी प्राप्त करके किसी अन्य सक्षम अधिकारी को मुख्य नगरपालिका अधिकारी मऊगंज का प्रभार सौंपा जाये। (कार्यवाही-अपर आयुक्त (एस.एस.), संयुक्त संचालक (एग.व्ही), संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास)

5. स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के प्रभारी अधिकारियो के आगामी समय सीमा की बैठक में पुनः चर्चा की जायेगी। (कार्यवाही-अपर आयुक्त (व्ही.एम), उप संचालक (एन.डी), संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास)।

निरंतर...2

6. प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत आवासों की शतप्रतिशत जीओ टैगिंग सुनिश्चित की जाये। पंजीयन के दल के ऐसे सदस्य जो कार्य को ठीक ढंग से संपादित नहीं कर रहे हैं उनको हटाकर अनुभवी अभियंताओं को लाईन पर रखा जाये। संचालनालय स्तर से पीएमयू द्वारा स्वयं का अपना सिस्टम समीक्षा हेतु तैयार किया जाये, जिसमें नगरीय निकायों द्वारा हितग्राही को दी जाने वाली प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय किश्त तथा राशि, पूर्ण हो चुके मकानों की जानकारी, उपयोगिता प्रमाण पत्र की जानकारी जीओ टैग किये गये मकानों की जानकारी इत्यादि निकायवार संकलित की जाये। **(कार्यवाही–अपर आयुक्त (व्ही.एम)/अधीक्षण यंत्री (एस.के.), संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास)**

7. प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इस सप्ताह हेतु निम्नानुसार तीन लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं :–

7.1 नगरीय निकायों के पास उपलब्ध राशि हितग्राहियों के खाते में शतप्रतिशत हस्तांतरित कर दी जाये

7.2 नगरीय निकायवार संचालनालय स्तर पर जानकारी तैयार कर स्पष्ट संधारित की जाये।

7.3 जीओ टैगिंग के गेप को पूर्ण किया जाये **(कार्यवाही–अपर आयुक्त (व्ही.एम)/अधीक्षण यंत्री (एस.के.), संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास)।**

8. मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के कार्यों की प्रस्तावित पूर्णता दिनांक पर कार्य को पूर्ण किया जाये। यदि कार्य समय दिनांक को पूर्ण होना संभव नहीं हो पा रहा है, तो इसका स्पष्ट कारण समीक्षा बैठक में बताया जाये। परियोजनाओं के डिजाईन अप्रूवल की गहन समीक्षा प्रमुख अभियंता, श्री बंसोरिया द्वारा स्वयं की जावे। डिजाईन अप्रूवल की समय सीमा निर्धारित की जाये। परियोजनाओं के लिये साईट उपलब्ध कराई जाये। प्रमुख अभियंता एमपीयूडीसी अपने अधीनस्थ अधिकारियों का दल गठित करके लक्ष्य निर्धारित करें तथा उसकी साप्ताहिक समीक्षा करें। आगामी समय सीमा की बैठक में ऐसे अधिकारी जिनकी प्रगति धीमी है उन्हें प्रमुख सचिव के समक्ष बैठक आहूत करके निर्देश दिये जायें। शेष राशि बैंक द्वारा बिल लंबित परियोजना में राशि रु. 20 मिलियन को व्यय करने पर ध्यान दिया जाये। **(कार्यवाही-प्रमुख अभियंता, एमपीयूडीसी)**

9. दिनांक 07.11.2018 को दीपावली पर्व होने के कारण आगामी समय सीमा की बैठक दिनांक 14.11.2018 को प्रातः 11:00 बजे संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के सभा कक्ष में आयोजित की जायेगी।

(राजीव निगम)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृ. क्रमांक 257/1091/2018/18-3 भोपाल दिनांक 01.11.2018

प्रतिलिपि:

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, म.प्र.,
2. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल,
3. निज सचिव, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
4. आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल,
5. आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल,
6. आयुक्त, नगरपालिक निगम भोपाल,
7. अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल,

358

8. प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
9. अपर संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
10. प्रमुख/मुख्य अभियंता, मेट्रो/एमपीएडीसी/सीपीए/संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल
11. समस्त उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
12. समस्त संयुक्त संचालक/समस्त उप संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग